₹20

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

नवम्बर 2015



- भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था
  —मौलाना जलालुद्दीन उमरी
- मंगल ग्रह, मंगलवार और अंधविश्वास
  —डॉ० सुरेन्द्र अज्ञात
- हिन्दी सम्मेलन बनाम हिन्दी दुर्दशा
  —मो० के० रहमानी
- विकास में बाधक खुदगर्ज सियासत
  —विद्या प्रकाश

NIDAN HEALTH CARE & RESEARCH CENTER
(NIDAN NURSING HOME)

Near Lohsigna Maidan, Kallu Chowk, Hazaribagh,
Jharkhand, Pin-825301



ADVANCED PEDIATRIC CENTRE

SPECIAL FACILITIES FOR CRITICALLY ILLNEW BORN

Facilities :

- Ventilator SLE 2000.
- C-PAP.
- Hi-Flow Oxygen.
- Radiant Warmers.
- LED Phototherapy
- Infusion Pumps.
- Central Oxygen Supply.
- Multipara Monitor.

GERIATRIC/ADULT CARE UNIT, ICU/EMERGENCY

Specialize Services are Diabetes and Complication. Heart/Cardiac Problems, Respiratory Problems like Asthma And COPD, Malaria Specially Cerebral Malaria, Sleep Disorders-OSA, Insomnia & Others.

Contact for Inquiry :

Mobile (Office) : 08409727837, Manager : 09934585303
Website : www.nidanhealthcare.org, Email : info@nidanhealthcare.org

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 25 अंक 5 नवम्बर 2015

रहमान के (प्रिय) बन्दे वही हैं जो धरती पर नम्रतापूर्वक चलते हैं और जब जाहिल उनके मुंह आएं तो कह देते हैं : "तुमको सलाम !" जो अपने रब के आगे सजदे में और खड़े रातें गुज़ारते हैं। –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 20/- विशेषांक रु० 30/-

वार्षिक रु० 220/-, दो वर्ष 425/-

पांच वर्ष 1000/-, आजीवन रु० 5000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–100 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–35 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

माया की नदिया के पार चलें

आ री सखी ! किस सोच में है, चल उस सजना के द्वार चलें ।
उसने हमको याद किया है, उस पर तन मन वार चलें ।।

उसकी महिमा के गुन गाएं, मस्ती में सरशार चलें ।
उसकी ख़ुशी की ख़ातिर आओ, छोड़ के सब घर-बार चलें ।।

दिल का फ़र्ज़ भी पूरा हो, सिर का भी क़र्ज़ उतार चलें ।
जो कुछ पास है करने उसके चरणों पर बलिहार चलें ।।

प्यार का यह मधुमास सुहाना रोज़ कहां हाथ आता है ।
उसके मिलन की शुभ बेला है, करके सात सिंघार चलें ।।

मस्त पवन के झोगों में है ख़ुशबू उस मन मोहन की ।
चलो जहां तक मिलती जाए, जुल्फ़ों की महकार चलें ।।

पलकों पर कुछ मोती रख लें, होंठों पर तस्बीह के फूल ।
उलझन में हैं उसके लिए लेकर क्या-क्या उपहार चलें ।।

अपने ऊंचे सिंहासन से आज वह नीचे उतरा है ।
जिसका दास है सारा जग उस राजा के दरबार चलें ।।

दिल हो उसकी याद का दर्पण आंखों में दर्शन की प्यास ।
जिधर पुकारे हमको सजना हम दीवाना वार चलें ।।

प्रेम है दिल में उसकी धरोहर, उस पर कोई आंच न आए ।
दो दिन की जीवन की बाज़ी जीत चलें या हार चलें ।।

दर-दर की क्यों ठोकर खाएं, किससे दिल का दर्द कहें ।
जो सबकी सुनने वाला है अब उसके दरबार चलें ।।

हम न चलें उसकी मर्ज़ी पर प्रेम की यह रुसवाई है ।
उसका इशारा पाकर तो दरिया क्या है कुहसार चलें ।।

कच्ची माटी की यह काया गल भी जाए तो क्या ग़म ।
उससे मिलन को 'अश्अर' माया की नदिया के पार चलें ।।

● ताजुद्दीन 'अश्अर' रामनगरी



कहां क्या है ?

माया की नदिया के पार चलें	–ताजुद्दीन 'अशअर' रामनगरी	3
कुरआन ज्योति		5
हदीस मंजरी		6
साम्प्रदायिकता एवं फॉसीवाद... (संपादकीय)		7
जागो, चेतो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो (आपके पत्र)		9
कुरआन का अनुवाद क्यों पढ़ें ? (अभिमत)		11
ब्याज का औचित्य	–मौलाना अबुल आला मौदूदी	13
बस क़िस्सों में मुमकिन है पुनर्जन्म	–दिनेश मिश्रा	17
प्रतिध्वनि (कहानी)	–डॉ॰ मुहम्मद कलीम ज़िया	19
गांधी ज्यंती की सार्थकता	–सवाई सिंह	21
विलम्ब या वंचन (कविता)	–ओमप्रकाश बजाज	22
आरक्षण व्यवस्था की नहीं है कोई अवधि	–पी॰ एल॰ मीमरोठ	23
अवतारवाद और रिसालत (पुस्तक-समीक्षा)	–डॉ॰ त्रिलोकी सिंह	25
भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था	–मौलाना जलालुद्दीन उमरी	26
मंगल ग्रह, मंगलवार और अंधविश्वास	–डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात	29
हिन्दी सम्मेलन बनाम हिन्दी दुर्दशा	–सी॰ के॰ रहमानी	33
शोषित, पीड़ित के पक्षधर कवि नागार्जुन	–प्रो॰ डॉ॰ यशवतंकर एस॰एल॰	37
विकास में बाधक खुदग़र्ज़ सियासत	–विद्या प्रकाश	39
गले में गिल्टी : कारण एवं लक्षण	–डॉ॰ देवेन्द्र लालचन्दानी	41
कैसे रुके महिला अपराध ?	–निशा प्रवीण	43
अब्दुर्रहमान ख़ां को फांसी	–संपादन प्रभाग	45
धरती की सबसे बड़ी चुनौतियां	–भरत डोगरा	47
मंगल ग्रह पर पानी ? (बालवीथी)	–संपादन प्रभाग	49
क्या मंगल ग्रह पर जीवन है ?	–संपादन प्रभाग	50



(91) कमज़ोर, बूढ़े और बीमार लोग और वे लोग जो जिहाद में शरीक होने के लिए रास्ते का ख़र्च नहीं पाते, अगर पीछे रह जाएं तो कोई दोष नहीं, जबकि वे पूरी निष्ठा के साथ अल्लाह और उसके रसूल के वफ़ादार हों।[92] ऐसे उत्तमकारों पर आपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं है और अल्लाह क्षमा करने वाला और दया दर्शाने वाला है। –क़ुरआन, 9:91

92. इससे मालूम हुआ कि जो लोग देखने में विवश हों, उनके लिए भी केवल कमज़ोरी और बीमारी या मात्र निर्धनता क्षमा के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, बल्कि उनकी ये मजबूरियां केवल उस स्थिति में उनके लिए क्षमा का कारण बन सकती हैं, जबकि वे अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे वफ़ादार हों, वरना अगर वफ़ादारी मौजूद न हो तो किसी व्यक्ति को केवल इसलिए क्षमा नहीं किया जा सकता कि वह कर्तव्य निभाने के समय बीमार या धनहीन था। अल्लाह केवल प्रत्यक्ष को नहीं देखता है कि ऐसे सब लोग जो बीमारी की डॉक्टरी सर्टिफ़िकेट या बुढ़ापे और शारीरिक कमी की मजबूरी पेश कर दें उसके यहां समान रूप से मजबूर समझ लिए जाएं और उन पर से पूछताछ समाप्त हो जाए। वह तो उनमें से एक-एक आदमी के दिल का जायज़ा लेगा, उसके पूरे छिपे और खुले बर्तावों को देखेगा और यह जांचेगा कि उसकी यह मजबूरी एक वफ़ादार बन्दे की-सी मजबूरी थी या एक द्रोही और बाग़ी की-सी। एक आदमी है कि जब उसने कर्तव्य की पुकार सुनी तो दिल में लाख-लाख शुक्र अदा किया कि "बड़े अच्छे अवसर पर मैं बीमार हो गया, वरना यह बला किसी तरह टाले न टलती और ख़ामख़ाही मुसीबत भुगतनी पड़ती।" दूसरे आदमी ने यही पुकार सुनी तो तिलमिला उठा कि 'हाय, कैसे समय पर इस कमबख़्त बीमारी ने आ दबोचा। जो समय मैदान में सेवा करने का था, वह किस बुरी तरह यहां बिस्तर पर नष्ट हो रहा है।" एक ने अपने लिए तो सेवा से बचने का बहाना पाया था, मगर इसके साथ उसने दूसरों को भी इससे रोकने की कोशिश की। दूसरा यद्यपि स्वयं बीमारी के बिस्तर पर विवश पड़ा हुआ था, पर वह बराबर अपने नातेदारों, मित्रों और भाइयों को जिहाद का जोश दिलाता रहा और अपनी देखभाल करने वालों से भी कहता रहा कि "मेरा अल्लाह मालिक है, दवा-इलाज का प्रबंध किसी न किसी तरह हो ही जाएगा, मुझ अकेले इन्सान के लिए तुम इस मूल्यवान समय को नष्ट न करो जिसे सत्य धर्म की सेवा में लगना चाहिए।"

एक ने बीमारी के बहाने से घर बैठकर लड़ाई का पूरा समय बददिली फैलाने, बुरी ख़बरें उड़ाने, सामरिक प्रयत्नों को ख़राब करने और मुजाहिदों के पीछे उनके घर बिगाड़ने में लगाया। दूसरे ने यह देखकर कि मैदान में जाने के सौभाग्य से वह वंचित रह गया है, अपनी सीमा तक पूरी कोशिश की कि घर के मोर्चे (Home-front) को मज़बूत रखने में जो अधिक से अधिक सेवा उससे हो सके, उसे करे। प्रत्यक्ष में तो ये दोनों ही विवश हैं, पर अल्लाह की दृष्टि में ये दो अलग-अलग प्रकार के विवश किसी प्रकार भी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह के यहां क्षमा अगर है तो केवल दूसरे व्यक्ति के लिए। रहा पहला व्यक्ति तो वह अपनी विवशता के बाद भी ग़द्दारी और बेवफ़ाई का अपराधी है।

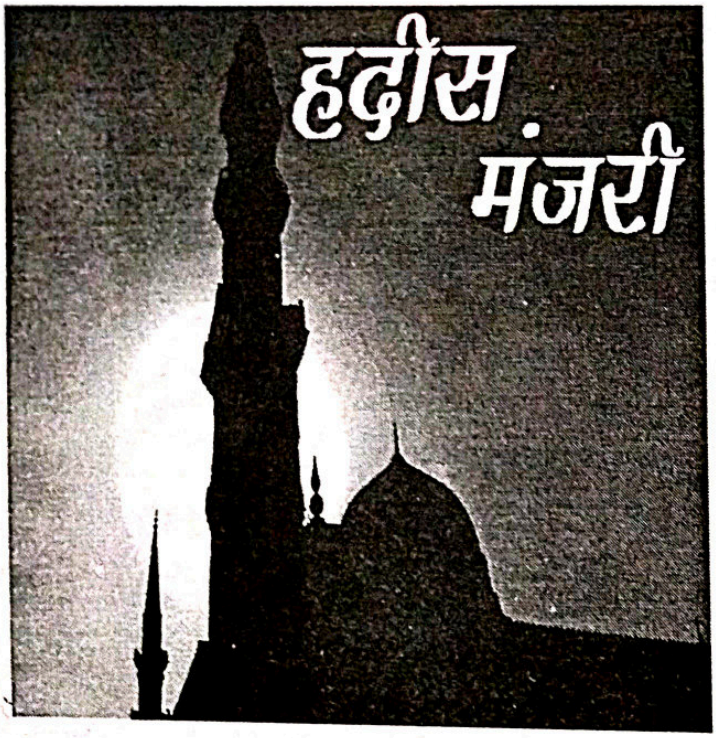

वे चीज़ें जिनसे रोका गया है

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "जो व्यक्ति अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भली बात कहे या चुप रहे ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू मूसा (रज़ि॰) से रिवायत है वे कहते हैं : मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), कौन-सा मुसलमान सर्वश्रेष्ठ है ? आपने कहा : "वह जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से मुसलमान सुरक्षित रहें ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत सह्ल बिन सअद (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जो व्यक्ति मुझे अपने दोनों जबड़ों के बीच की चीज़ (ज़ुबान) और अपने दोनों पावों के बीच की चीज़ (गुप्तांग) के विषय में ज़मानत दे, तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूं ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि उन्होंने नबी (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना : "एक बन्दा बात करता है और विचार नहीं करता कि बात अच्छी है या नहीं वह उसके कारण दोज़ख़ में उससे कहीं अधिक दूर तक गिर जाता है जितना कि पूर्व और पश्चिम के बीच दूरी है ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "कभी बन्दा अल्लाह तआला की ख़ुशी की बात करता है और उसे उसके महत्व का ज्ञान नहीं होता । अल्लाह उस बात के कारण उसके दर्जों को ऊंचा कर देता है । और कभी बन्दा अल्लाह तआला की अप्रसन्नता की कोई बात कहता है और उसे उसकी गंभीरता की ख़बर नहीं होती उसकी उस बात के कारण जहन्नम में गिर जाता है ।"

–बुख़ारी

● हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह (रज़ि॰) से रिवायत है कि उन्होंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), मुझे आप कोई ऐसी बात बताइए जिसे मैं मज़बूती से पकड़ लूं । आपने कहा : "कहो : मेरा रब अल्लाह है, फिर इस पर जम जाओ ।" मैंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), मेरे विषय में आप किस चीज़ का अधिक भय रखते हैं ? तो आपने अपनी ज़ुबान को पकड़ लिया, फिर कहा : "इससे ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन सहीह' है ।

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "बिना अल्लाह के स्मरण के ज़्यादा बातें न किया करो क्योंकि अल्लाह तआला के स्मरण के बिना ज़्यादा बातों से दिल कठोर हो जाता है और लोगों में सबसे अधिक दूर वह होता है जिसका दिल कठोर है ।"

–तिरमिज़ी

● हज़रत उक़्बह बिन आमिर (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि मैंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), मुक्ति किस चीज़ के द्वारा प्राप्त होती है ? आपने कहा : "अपनी ज़ुबान को क़ाबू में रखो और अपने घर को काफ़ी समझो और अपने गुनाहों पर रोया करो ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन' है ।

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

साम्प्रदायिकता एवं फॉसीवाद– भारतीय समाज के दो बड़े शत्रु

देश में सांप्रदायिकता और फासीवाद का बढ़ता रुझान बहुत चिंताजनक और आत्मघाती है । उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर स्थित दादरी के बिसाहड़ा गांव में पिछले दिनों जो कुछ घटित हुआ, वह इस बढ़ती कुप्रवृत्ति का जीवंत उदाहरण है । वैसे पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं घटित होती रही हैं, जिनसे साफ़ पता चलता है कि देश में ऐसे लोग मौजूद हैं, जो हिंसा, अराजकता और स्वेच्छाचारिता पर यक़ीन रखते हैं और जिन्हें देश के संविधान और विधि-विधान के प्रति कोई दायित्व-बोध नहीं है । बिसाहड़ा में जो निंदनीय घटना घटी, वह इसी मानसिकता का एक नतीजा है । गोहत्या की झूठी ख़बर फैलाकर 50 वर्षीय मुहम्मद अख़्लाक़ की जान ले ली गयी । वरिष्ठ पत्रकार स्वामीनाथन एस॰ अंकलेश्वर अय्यर लिखते हैं, ''एक बीफ़ खाने वाले हिंदू के तौर पर मैं दादरी में मुहम्मद अख़्लाक़ के घर में बीफ़ रखा होने की अफ़वाह के बाद उनकी हत्या किये जाने से बेहद परेशान हूं । इससे भी दुखद बी॰जे॰पी॰ के नेताओं की ओर से हत्या को साफ़ रंग देने का प्रयास है । ...यह दावा कि सभी हिंदू गोहत्या का विरोध करते हैं, ग़लत है । हां, आज ताक़तवर उच्च जातियां बीफ़ के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन दलित और जनजातियां हमेशा से बीफ़ खाती रही हैं । ...दलित आदिवासी बहुजन एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन धारावाथ कहते हैं, 'दलित समुदाय के लिए बीफ़ प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत रहा है ।' ...लेकिन मैं भवभूति के नाटक के आधार पर ही यह भी दावा करता हूं कि बीफ़ खाने का अधिकार प्राचीन हिन्दू परंपरा का हिस्सा रहा है । एक ब्राह्मण के तौर पर मैं वशिष्ठ मुनि के पदचिन्हों पर ख़ुशी से चल रहा हूं ।'' (नभाटा, नयी दिल्ली, 5 अक्तूबर 2015)। घर में गोमांस रखने की अफ़वाह फैलाकर अख़्लाक़ की हत्या का कोई कैसे औचित्य ठहरा सकता है ? पुलिस द्वारा मांस को जांच के लिए भेजना एक अवैधानिक कार्रवाई है, क्योंकि क़ानून में मांसाहार पर कोई रोक नहीं है । अब मांस-जांच में यह बकरे का मांस सिद्ध हुआ है, जो मुहम्मद अख़्लाक़ की सुनियोजित हत्या की ओर संकेत करता है । इस घटना के विरोध में देश के विभिन्न भागों में विरोध-प्रदर्शन एवं अन्य आयोजन हुए हैं, जो सराहनीय क़दम है । दिल्ली और कोटा (राजस्थान) में हुए प्रदर्शन उल्लेखनीय हैं । केरल के तिरुवनंतपुरम में बीफ़ पार्टी का आयोजन उल्लेखनीय है । जो बयान आ रहे हैं, वे भी सांप्रदायिकता व फासीवादी मानसिकता पर चोट करते हैं, जो समय की बड़ी मांग है । सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज मार्कण्डेय काटजू का कहना है कि ''वे गोमांस खा चुके हैं और मौक़ा मिलेगा तो फिर खाएंगे । उन्होंने कहा कि गोहत्या पर पाबंदी की मांग सिर्फ़ राजनीतिक है और ऐसा किये जाने से विदेशों में भारत की छवि ख़राब होगी । उन्हें हमारे ऊपर हंसने का मौक़ा मिलेगा । हाल में महाराष्ट्र और हरियाणा में गोमांस पर प्रतिबंध लगाया गया था । उन्होंने गोमांस के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि यह सस्ते प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है । नगालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और केरल में गोमांस की बिक्री

पर रोक नहीं है । काटजू का कहना है, ''गोहत्या के ख़िलाफ़ शोर मचाने वाले लोगों को उन गायों की भी फ़िक्र करनी चाहिए, जिन्हें ठीक से चारा नहीं मिलता है । मैंने गायों को कचरा खाते हुए देखा है ।'' उन्होंने कहा, ''दुनिया में ज़्यादातर लोग गोमांस खाते हैं । क्या वे सभी लोग पापी हैं ? मुझे गोमांस खाने में कुछ ग़लत नहीं दिखता ।'' दादरी की घटना पर अंग्रेज़ी की मशहूर पत्रकार एवं लेखिका शोभा डे ने काफ़ी तंज़ भरे अंदाज़ में ट्वीट किया की ''मैंने अभी-अभी गोमांस खाया है, आओ मुझे मार डालो ।''

उधर उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आज़म ख़ान ने गोमांस के निर्यात पर पाबंदी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा । उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ''अगर सरकार को गोमांस खाने पर पाबंदी लगानी है तो सबसे पहले गोमांस के निर्यात पर रोक लगाने की ज़रूरत है ।'' इस घटना की आड़ में जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करे, उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए । इस सिलसिले में विभिन्न वक्तव्यों में घटना के कथित पक्षकारों के कई निंदनीय उद्गार भी सामने आये हैं । आइए कुछ सांप्रदायिक और फासीवादी वक्तव्यों पर भी एक नज़र डालते हैं–वी॰एच॰पी॰ के प्रवक्ता विनोद बंसल का कहना है कि ऐसे लोग हिन्दू के नाम पर अभिशाप हैं और हिंदू जीवन पद्धति को अपमानित कर रहे हैं । उनका कहना है कि इस तरह के बयान देकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये लोग क़ानून का उल्लंघन कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ज़रूरत है । केन्द्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा का दावा है कि यह महज़ एक 'घटना' थी । पूर्व विधायक नवाब सिंह नागर कहते हैं कि जिन लोगों ने ताक़तवर ठाकुरों की भावनाओं को आहत करने की हिम्मत की है, उन्हें इसके अंजाम का एहसास भी होना चाहिए । वे दावा करते हैं कि हत्या करने वाली भीड़ में 'मासूम बच्चे' भी हैं, जिनकी उम्र 15 साल से कम है । कई भाजपा नेता मुसलमानों पर गोमांस खाने का आरोप लगाते हैं । विचित्र तोमर चाहते हैं कि गाय के हत्यारों को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, न कि मुसलमानों का क़त्ल करने वालों को । श्रीचंद शर्मा कहते हैं कि ''यदि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं तो हिंसा अवश्यंभावी है ।'' ज़ाहिर है, ये वक्तव्य घोर आपत्तिजनक और सांप्रदायिक सद्भाव के नितांत विरोधी हैं । इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़ित परिवार का सहयोग करके अच्छा कार्य किया है । उन्होंने पीड़ित परिवार को कुल 45 लाख का मुआवज़ा दिया । मुख्यमंत्री ने इसके पहले परिजनों को 20 लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की थी । विगत 4 अक्तूबर 15 को उन्होंने अख़्लाक़ के तीन भाइयों को भी पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की । मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों भाइयों की माली हालत बेहद खस्ताहाल होने की वजह से उन्हें मदद देने का फ़ैसला किया गया है । घटना में गंभीर रूप से घायल अख़्लाक़ के पुत्र का इलाज सरकारी ख़र्च पर कराने की घोषणा करते हुए अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाया कि किसी भी हाल में दोषियों को बख़्शा नहीं जाएगा । मुख्यमंत्री की इस घोषणा का यदि व्यावहारिक क्रियान्वयन किया गया, तो निश्चय ही देश में जान-बूझकर पनपायी जा रही सांप्रदायिकता पर अवश्य रोक लगेगी । ज़रूरत इस बात की है कि सांप्रदायिकता और फासीवाद के विरुद्ध एक मज़बूत लड़ाई लड़ी जाए । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह बयान स्वागत योग्य है कि ''हमें ग़रीबी से लड़नी चाहिए, एक दूसरे से नहीं ...देश को एकजुट रखना चाहिए ।''

जागो-चेतो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो

ईश्वर ने मनुष्य के लिए जो मार्गदर्शन भेजा है उसमें मानव सम्मान और मानव कल्याण को बहुत महत्व दिया गया है । कुरआन में कहा गया है–

इसी कारण इसराईल की संतान के लिए हमने यह आदेश लिख दिया था कि "जिसने किसी मनुष्य को हत्या के बदले या धरती में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और कारण से मार डाला उसने मानो सारे इन्सानों की हत्या कर दी और जिसने किसी की जान बचायी उसने मानो सारे इन्सानों की रक्षा की । (कुरआन, 5:32)

पूजा उपासना में हुई भूल-चूक और कमियों को तो ईश्वर क्षमा कर देगा, किन्तु मनुष्य के प्रति किये गये अपराध और मानवाधिकारों के हनन को तो ईश्वर भी क्षमा नहीं करेगा । ऐसा ईश्वर ने स्वयं कहा है ।

इसलिए है मानव जागो चेतो अपने व्यवहार में सुधार लाओ । आपस की नफ़रत को मिटा डालो और मानव मात्र का सम्मान करो । अवश्य ही ईश्वर की सहायता तुम्हारे साथ होगी ।

अपनी कमज़ोरियों पर नियंत्रण पाओ और सकारात्मक सोच को बढ़ावा दो । ईश्वर पर पूरा भरोसा करो और जीवन को सार्थक बनाओ ।

रामस्वरूप झैवर

शास्त्रीनगर विस्तार, भीलवाड़ा, राजस्थान

समाजोपकारी

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका 'कान्ति' का जुलाई अंक पढ़कर अत्यंत खुशी हुई । इसमें अनेक लेख ग़ज़ल, कविता आदि पढ़ने को मिले ।

'कान्ति' भ्रम फैलाने वाली बातों की सच्चाई सामने लाकर समाज पर उपकार कर रही है । धर्म के नाम पर जो पाखंड पेश किया जा रहा है 'कान्ति' उससे बचाने का प्रयास कर रही है । मेरी कामना और मेरा विश्वास है कि 'कान्ति' उन्नति के शिखर पर चढ़ेगी ।

हरिद्वार प्रसाद किसलय

राजापुर, भोजपुर, बिहार

हिन्दी काव्य का उर्दू और उर्दू शायरी का हिन्दी में अनुवाद हो

अगस्त के अंक में उर्दू के आधार स्तंभ आलेख अच्छा लगा । इन शायरों को याद करना मतलब ठंडी हवा का झोंका । नयी पीढ़ी इन सबको नहीं जानती, वह तो सिर्फ़ हिन्दू और मुसलमान जानती है । ऐसी दुखद राह पर हिन्दुस्तान चल पड़ा है । नतीजे अच्छे नहीं होंगे ।

आज़ादी के बाद एक बड़ी ग़लती लाल क़िले को कवि सम्मेलन और मुशायरा अलग-अलग करना था । फिर उसके बाद धीरे-धीरे यह शायर हमारी यादों को ग़ायब हो गये । 20 साल बाद लगभग हम इन्हें भूल जाएंगे ।

यह सरकार का नहीं विश्वविद्यालयों का काम था कि वे इन पर शोध कराता । अनुवाद कराता, सरकार अवश्य मदद करती । देश के कितने विश्वविद्यालयों के उर्दू विभागों ने उर्दू शायरों पर कितना काम किया ? खंगालेंगे तो होश उड़ जाएंगे । कौन दोषी है ? अपनी तरफ़ उंगली उठाना बहुत मुश्किल होता है जनाब ।

हमें हिन्दी कवियों के उर्दू अनुवाद और उर्दू शायरों के हिन्दी अनुवाद की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए था । काम करने वाले लोगों ने अय्याशी भाषाई ध्रुवीकरण, दूसरी भाषा के शायरों कवियों को तंगनज़री से देखने साम्प्रदायिक नज़रिया विकसित करके सत्ता से नज़दीकी हासिल करने की तिकड़म में अपनाया । आज हम सब एक-दूसरे पर उंगली उठाये खड़े हैं । हम ज़रा यह भी देख लें कि हमने एक उंगली उठायी है तो तीन उंगली हमारी ही तरफ़ उठी है । फ़िलहाल 'नज़ीर' का शेअ्र मुझे याद आ रहा है–

तू ऐसी चाल कारवां के साथ चल 'नज़ीर'
कि जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले ।

आनंद शर्मा

बिहारीपुर कहरवान, बरेली

बच्चों को बचाएं

मोबाइल, टी०वी०, कंप्यूटर, वीडियो गेम और इस तरह के दूसरे उपकरणों के लगातार प्रयोग से बच्चों के कोमल

शरीर को बहुत नुक़सान पहुंचता है । उंगलियों, कलाई और हाथ की नसों में दर्द होने लगता है । आंखों की रक्तवाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं । गर्दन और पीठ में भी दर्द रहने लगता है । इन उपकरणों का इस्तेमाल केवल ज़रूरत पड़ने पर ही किया जाना चाहिए ।

यशपाल जैन 'आदर्श'

राजापार्क, जयपुर (राजस्थान)

भाग्य और कर्म

एक बार भाग्य व कर्म धरती पर सैर कर रहे थे । घूमते-घूमते उन्हें एक भिखारी दिखायी पड़ा । भाग्य ने दया कर उसे एक क़ीमती अंगूठी दे दी । भिखारी ने इससे कुछ दिन सुख से बिताये । कुछ समय बाद कर्म और भाग्य दोबारा आये तो उन्हें वह भिखारी फिर भीख मांगता दिखायी पड़ा । इस बार भाग्य ने उसे एक क़ीमती हार दे दिया । तीसरी बार फिर वे आये तो वह फिर भी भीख मांग रहा था । भाग्य को क्रोध आ गया और भिखारी से बोला तू दरिद्र ही रहेगा । इस बार कर्म को दया आ गयी और कर्म बोला तुम काम क्यों नहीं करते, भीख से कब तक गुज़ारा चलेगा । भिखारी बोला–काम के लिए कुछ पैसों की भी तो ज़रूरत होती है । कर्म बोला, मैं तुम्हें कुछ फल देता हूं तुम इसे बेचकर धंधा करो । काफ़ी समय बाद कर्म और भाग्य फिर आये तो उन्हें वह भिखारी दिखायी नहीं पड़ा । वे बाज़ार की ओर निकल गये जहां वह फलों का एक बड़ा व्यापारी के रूप में बैठा था । यह कर्म करने का ही फल था कि भिखारी से एक बड़ा व्यापारी बन गया ।

घेवरचन्द गोदीका

जयपुर, राजस्थान

धन्यवाद

'कान्ति' का जून 2015 अंक प्राप्त हुआ, अंक में मेरी लघुकथा को भी स्थान दिया गया है, धन्यवाद ।

हैरानी हुई कि इतने समय बाद मेरी किसी रचना को कान्ति' में स्थान दिया गया है ।

अमित कुमार लाडी

डोंडा स्ट्रीट फ़रीदकोट, पंजाब

दुष्कर्म और अत्याचार ?

एक समाचार पत्र में यह पढ़कर बहुत दुख हुआ कि देश में रोज़ लगभग 100 से अधिक दुष्कर्म हो रहे हैं । यही नहीं इनमें 37 मासूम बच्चियां होती हैं । देश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार सरकार और समाज के मुख पर तमाचे से कम नहीं है ।

लगभग हर 14 मिनट में एक दुष्कर्म होता है । हर छह मिनट में महिला के साथ बदसूलिकी की जा रही है । हर 60 मिनट में एक महिला दहेज के लिए मारी जा रही है । हाल में उपरोक्त आंकड़े राष्ट्रीय ब्यूरो ने जारी किये हैं । घोषणाओं और भाषणों में महिला सशक्तीकरण की बात भले ही ज़ोर-शोर से की जाती है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से लेकर जयपुर, भोपाल और छत्तीसगढ़ ही नहीं गांवों, क़स्बों तक में महिलाओं के साथ बदसूलीकी की जाती है । हर मिनट किसी न किसी कोने में कोई न कोई महिला हिंसा का शिकार होती नज़र आती है । इस प्रकार की ख़बरें रोज़ समाचार पत्र में पढ़ने को आती हैं ।

यह सब क्यों हो रहा है ? अब समय आ गया है इस पर गहराई से सोचा जाए ? इन पर नियंत्रण कैसे रखा जाए ? लोग जागरूक बनें । बच्चों को शुरू से ही नैतिक संस्कारों की शिक्षा दी जाएं । ऐसे अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए । अपराधियों को कठोर से कठोर दंड मिले, शीघ्र न्याय हो ।

यशपाल जैन 'आदर्श'

जयपुर (राजस्थान)

मिसाल बने मिसाइलमैन

कमाल के थे–
डॉ॰ अब्दुल कलाम ।
कर्म प्रिय कुशल व्यक्तित्व के धनी थे ।
तपन झेल ग़रीबी में पढ़े
आगे बढ़े निरंतर ।
सपने देखे वही–
जो अदम्य लगन से पूरा कर सके ।
संवरता गया भविष्य उत्साह से उनका ।
घनीभूत पीड़ा को झेलते हुए ।
सोच और कर्मठता ने
बना दिया उन्हें प्रसिद्ध वैज्ञानिक ।
सादगी के दम पर मंज़िले छूकर
बने देश के 'राष्ट्रपति' ।
मिसाइलमैन मिसाल बने ।
क्षण हर क्षण के सही उपयोग के ।

निरंजन कुमार 'निराकार'

रामगढ़, रतलाम (म॰प्र॰)

क़ुरआन का अनुवाद क्यों पढ़ें ?

जिस प्रकार सारे अरबी जानने वाले मुसलमान नहीं हैं, उसी प्रकार यह भी सत्य है कि सारे मुसलमान अरबी भाषा नहीं जानते हैं ।

क़ुरआन चूंकि अरब में अवतरित हुआ, अत: इसकी भाषा अरबी है । अन्य लोगों तक इसे पहुंचाने के दो रास्ते हैं, पहला–सबको अरबी भाषा सीखी जाए तथा दूसरा–क़ुरआन का अनुवाद करके इस लोगों तक पहुंचाया जाए ।

दोनों तरीक़ों में दूसरा तरीक़ा ज़्यादा आसान है । सबके बस की बात नहीं कि अरबी सीख लें । यह ज़्यादा आसान है कि कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी मातृभाषा में पारंगत होने के साथ-साथ अरबी भाषा सीख ले । दोनों भाषाओं में माहिर हो जाने के बाद वह अरबी क़ुरआन का अपनी भाषा में अनुवाद कर ले तथा उसे अपने लोगों तक पहुंचाए ।

क़ुरआन अल्लाह की आख़िरी किताब है तथा इसको लोगों तक पहुंचाने का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को सौंपा तथा उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद यह दायित्व आप (सल्ल०) की उम्मत का है । इस उम्मत पर यह फ़र्ज़ है कि क़ुरआन को सारी दुनिया तक पहुंचाए । इसका सबसे आसान तरीक़ा यह है कि क़ुरआन के अनुवादों को सारी दुनिया तक पहुंचा दिया जाए । इस दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग वे हैं, जो क़ुरआन सीखते और सिखाते हैं । अत: हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का क़ौल है–

"ऐ अबू ज़र (रज़ि०) सुबह होते ही तुम अल्लाह की किताब से एक आयत सीख लो, यह उससे बेहतर है कि तुम एक हज़ार रकअतें अदा करो ।" (इब्न माजा)

क़ुरआन में है–"...मगर इनको वही लोग समझते हैं, जो इल्म रखने वाले हैं ।" (क़ुरआन, 29:43)

"इनसे पूछो, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों कभी एक समान हो सकते हैं ?" (क़ुरआन, 39:9)

परन्तु आज हम देख रहे हैं कि स्वयं मुसलमान क़ुरआन से ग़ाफ़िल हैं । उन्हें नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है ? केवल कुछ अरबी आयतों को कंठस्थ कर लिया जाता है, ताकि नमाज़ पढ़ सकें । स्वयं मुसलमानों को नहीं पता कि क़ुरआन के ज़रिये अल्लाह अपने बन्दों को क्या आदेश दे रहा है ?

आज हम देखते हैं कि बच्चों को क़ुरआन हिफ़्ज़ (कंठस्थ) करा दी जाती है । वे क़ुरआन को अरबी में रट डालते हैं और उनकी क़िरअत को सुनकर लोग वाह-वाह कर उठते हैं । अधिकतर हाफ़िज़ों का यह हाल है कि वे अरबी क़ुरआन बच्चों को पढ़ाते हैं तथा नमाज़ पढ़ा लेते हैं और इसकी उजरत लेते हैं । हम यह तो जान लेते हैं कि क़ुरआन में अरबी में क्या लिखा हुआ है, परन्तु यह नहीं जान पाते कि उसका तात्पर्य क्या है ?

क़ुरआन अल्लाह का कलाम है, जो सारे संसार का रब है । कितनी अजीब बात है कि बन्दों को यह नहीं पता कि उनका रब उनसे मुख़ातिब होकर क्या कह रहा है ? हम सवाब कमाने के लिए अरबी क़ुरआन पढ़ते हैं । सही बात यह है कि अपनी भाषा में यह जानना ज़रूरी है कि हमने जो पढ़ा, उसका मतलब क्या है ? अत: क़ुरआनका भावार्थ जानकर पढ़ने पर इन्सान को और भी अधिक सवाब मिलता है । कुछ 'ज्ञानी' स्वयं तो क़ुरआन का अनुवाद पढ़ लेते हैं, परन्तु अवाम को ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जैसे ही लोगों को मालूम चल गया कि क़ुरआन में आख़िर लिखा क्या है, तो उनकी रोज़ी-रोटी बन्द हो जाएगी । क़ुरआन में जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज मौजूद है । क़ुरआन सूअर का मांस खाने, शराब पीने तथा व्यभिचार करने से रोकता है । इन आदतों से कइ प्रकार की जिस्मानी बीमारियां हो जाती हैं ।

अत: इन बीमारियों को दूर करना है तो यह जानना अति आवश्यक है कि इनके बारे में क़ुरआन में क्या आदेश है तथा इसके लिए यह हमें क़ुरआन का अनुवाद पढ़ना ही होगी । इसी प्रकार क़ुरआन में कुछ वनस्पतियों, मछली तथा दूध का भी उल्लेख मिलता है, जिनसे हमें प्रोटीन तथा विटामिन प्राप्त होते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि क़ुरआन का अनुवाद पढ़ना अति आवश्यक है ।

अबरार अहमद (लाखेरी वाले)
कोटा, राजस्थान

कोलकाता में क़याम के लिए उमदा रिहाइश का मर्कज़



HOTEL AL-FALAH

Ph. : 033-22837901 , Cell : 9836015030
E-mail : hotelal_falah@hotmail.com

A/c Rooms & Non A/c Rooms
With
Attatch Bath Rooms

कोलकाता के शहर के दामन में (पार्क सर्कस) मुनासिब दामों पर रिहाइश का माक़ूल इन्तिज़ाम

एक बार ख़िदमत का मौक़ा ज़रूर दें।

83, Fazlul Haque Sarani, Kolkata - 700 017
WEST BENGAL

ब्याज का औचित्य

❖ मौलाना अबुल आला मौदूदी

सबसे पहले जिस बात को निश्चित होना चाहिए वह यह है कि क्या वास्तव में ब्याज एक उचित चीज़ है ? क्या एक व्यक्ति बुद्धि एवं तर्क की दृष्टि से अपने दिये हुए ऋण पर ब्याज की मांग करने का उचित अधिकार रखता है ? तथा क्या यह न्यायसंगत है कि जो व्यक्ति किसी से ऋण ले वह उसको मूलधन के अतिरिक्त कुछ न कुछ बयाज भी दे ? यह इस चर्चा का सबसे पहला प्रश्न है जिसके तय हो जाने से आधी से अधिक चर्चा आप से आप तय हो जाती है । क्योंकि यदि ब्याज एक न्यायोचित चीज़ है तो फिर सूद को प्रतिर्बंधित करने के मुक़दमे में कोई जान बाक़ी नहीं रहती और यदि ब्याज को बुद्धि तथा न्याय के आधार पर उचित साबित नहीं किया जा सकता तो फिर यह बात विचारणीय हो जाती है कि इन्सानी समाज में इस अनुचित चीज़ को अस्तित्व में रखने पर क्यों ज़ोर दिया जाए ?

न्यायोचित बात यह है जो व्यक्ति अपनी बचत किसी लाभ देने वाली क्रिया में लगाना चाहता हो उसे मेहनत करने वालों के साथ साझेदारी का समझौता करना चाहिए तथा लाभ-हानि में एक निर्धारित अनुपात में हिस्सेदार बन जाना चाहिए । लाभ कमाने का यह आख़िर कौन-सा उचित तरीक़ा है कि मैं एक व्यक्ति का साझी बनने के बजाय उसे सौ रुपये उधार दूं और उससे कहूं कि क्योंकि तू इस रक़म से फ़ायदा उठाएगा इसलिए तुझ पर मेरा यह हक़ है कि मुझे एक रुपया मासिक उस वक़्त तक देता रह जब तक मेरी रक़म तेरे कारोबार में इस्तेमाल हो रही है ।

ब्याज के पक्ष में दिये गये तर्कों का विश्लेषण

1. जोखिम उठाने एवं त्याग करने का प्रतिफल : ब्याज के औचित्य के पक्ष में सबसे पहले जो तर्क दिया जाता है वह यह है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे को अपनी बचत किया हुआ धन उधार देता है वह एक ख़तरा मोल लेता है और त्याग करते हुए अपनी आवश्यकता को पीछे करके दूसरे की आवश्यकता को पूरा करता है । जिस माल से वह स्वयं फ़ायदा उठा सकता था उसे दूसरे के हवाले करता है । उधार लेने वाले ने अगर उधार इसलिए लिया है कि अपनी कोई व्यक्तिगत आवश्यकता उससे पूरी करे तो उसे हम माल का किराया अदा करना चाहिए, जिस प्रकार वह मकान या फ़र्नीचर या सवारी का किराया देता है । यह किराया उस जोखिम का प्रतिफल भी होगा जो ऋणदाता ने अपना माल उसके हवाले करने में उठाया तथा इस बात का प्रतिफल भी होगा कि उसने अपने परिश्रम से कमाये धन को स्वयं प्रयोग में लाने के बजाय दूसरे को प्रयोग करने के लिए दे दी । अगर ऋणी न यह ऋण किसी उत्पादक क्रिया में लगाने हेतु लिया है तो फिर ऋणदाता उस पर सूद मांगने का और भी अधिकारी बन जाता है, क्योंकि जब ऋणी उसकी दी हुई दौलत से फ़ायदा उठा रहा है तो आख़िर ऋणदाता इस फ़ायदे में से क्यों न हिस्सा प्राप्त करे ?

इस दलील का यह भाग बिल्कुल ठीक है कि ऋण देने वाला अपना माल दूसरे को देने में जोखिम में पड़ जाता है तथा अपने धन का त्याग भी करता है, परन्तु इसका आशय यह कैसे हो गया कि जोखिम तथा त्याग की क़ीमत पांच या दस प्रतिशत वार्षिक या अर्द्धवार्षिक या मासिक वसूल करने का अधिकार ऋणदाता को प्राप्त हो गया । ऋण की वापसी न होने की जोखिम के आधार पर जो अधिकार उचित रीति से उसे पहुंचते हैं वे इससे अधिक कुछ नहीं है

कि ऋणी की कोई चीज़ गिरवी रख ली जाए, अथवा ज़मानती मांग लिया जाए या फिर यह जोखिम ही न उठाये और क़र्ज़ देने से इन्कार कर दे । मगर जोखिम न तो व्यापारिक सामान है जिसकी कोई क़ीमत हो और न कोई मकान या फ़र्नीचर या सवारी है कि उसका कोई किराया हो । जहां तक त्याग का मामला है तो वह उसी समय तक त्याग है जब तक कि वह कारोबार न हो । आदमी को त्याग करना हो तो त्याग ही करे तथा इस नैतिक कार्य के लिए नैतिक लाभ पर हो संतुष्ट रहे । यदि वह प्रतिफल की बात करता है तो फिर त्याग की बात न कहे बल्कि सीधे-सीधे सौदागरी को और यह बताये कि वह क़र्ज़ के मामले में मूलधन के अतिरिक्त एक और रक़म माहवार या सालाना वसूल करता है उसका वह किस आधार पर हक़दार है ?

क्या यह हर्जाना है ? मगर जो रक़म उसने उधार दी है वह उसकी ज़रूरत के अतिरिक्त थी और उसे वह स्वयं प्रयोग में नहीं ला रहा था । इसलिए यहां को हर्ज (नुक़सान) ही नहीं हुआ कि इस ऋण पर कोई हर्जाना लेने का अधिकारी होता ।

क्या यह किराया है ? मगर किराया तो उन चीज़ों का हुआ करता है जिन्हें रिकायेदार के लिए उपलब्ध कराने एवं ठीक-ठाक रखने पर आदमी, अपना समय, मेहनत तथा माल ख़र्च करता है । ऐसी चीज़ें किरायेदार के प्रयोग करने से ख़राब होती है, टूटती-फूटती है तथा उनकी क़ीमत में ह्रास होता रहता है । यह परिभाषा इस्तेमाल की चीज़ों जैसे मकान, फ़र्नीचर और सवारी आदि पर तो सही जान पड़ती है और उन्हीं का किराया एक उचित चीज़ है परन्तु यह परिभाषा किसी भी तरह उपयोग की वस्तुओं जैसे गेहूं, फल आदि पर लागू नहीं होती और न रुपये पर जो केवल वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय-विक्रय का माध्यम है इसलिए इन चीज़ों का 'किराया' होने का कोई अर्थ ही नहीं है ।

अधिक से अधिक एक ऋणदाता जो कुछ कह सकता है वह यह है कि मैं दूसरे व्यक्ति को अपने माल से फ़ायदा उठाने का अवसर दे रहा हूं, इसलिए मुझे इस फ़ायदे में से हिस्सा मिलना चाहिए । यह एक उचित मांग है मगर प्रश्न यह है कि जिस ग़रीब आदमी ने अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए तुम से पचास रुपये उधार लिए क्या वास्तव में वह तुम्हारे दिये हुए अनाज या रुपये से ऐसा ही 'फ़ायदा' उठा रहा है कि तुम दो प्रतिशत मासिक के हिसाब से अपना हिस्सा पाने के पात्र हो ? फ़ायदा तो वह बेशक उठा रहा है, इसका मौक़ा भी निस्संदेह तुमने ही उसे दिया है परन्तु बुद्धि, न्याय, अर्थशास्त्र, कारोबारी उसूल किस दृष्टि से इस 'फ़ायदे' में से एक माल क़ीमत वसूल करो तथा क़र्ज़ मांगने वाले की मुसीबत जितनी ज़्यादा हो उतनी ही यह 'क़ीमत' बढ़ जाए और उसकी मुसीबत की अवधि जितनी लंबी होती जाए तुम्हारे दिये हुए 'लाभ के अवसर' की क़ीमत भी महीनों और वर्षों के हिसाब से उस पर बढ़ती और चढ़ती चली जाए । तुम अगर इतना बड़ा दिल नहीं रखते कि एक ज़रूरतमंद, परेशान इन्सान को अपनी आवश्यकता से अधिक माल उसे दे दो, तो अधिक से अधिक तुम्हारे लिए उचित यह है कि अपनी रक़म की वापसी का इत्मीनान करके उसे क़र्ज़ दे दो । यदि तुम्हारे दिल में क़र्ज़ देने की गुंजाइश नहीं है आख़िरी चीज़ पर हो सकती है कि तुम उसे कुछ भी न दो । मगर व्यापार की यह कौन-सी उचित रीति है कि एक ग़रीब इन्सान की मुसीबत और कष्ट तुम्हारे लिए लाभ कमाने का अवसर बन जाए, भूखे पेट और मरते की कगार पर पहुंच रोगी तुम्हारे लिए रुपया लगाने (Investment) की जगह बन जाए, और इन्सानी कष्ट जितने बढ़े उतने ही तुम्हारे लिए 'लाभ' की संभावनाएं भी बढ़ती चली जाएं ।

'लाभ उठाने का अवसर देना' अगर किसी स्थिति में कोई क़ीमत रखता है तो वह स्थिति यह है कि रुपया लेने वाला उसे किसी कारोबार में लगाए ।

इस स्थिति में धन देने वाला यह कहने का हक़ रखता है कि मुझे उस फ़ायदे में से हिस्सा मिलना चाहिए जो मेरे धन से दूसरा व्यक्ति उठा रहा है । परन्तु सब जानते हैं कि पूंजी अकेले कोई लाभ पैदा करने की योग्यता नहीं रखती । वह लाभ केवल उस स्थिति में पैदा करती है जब इन्सानी श्रम तथा बुद्धि उस पर काम करे । फिर इन्सानी श्रम और बुद्धि भी, उसके साथ लगते ही तुरंत लाभ उत्पन्न करना आरंभ नहीं कर देते बल्कि उसके लाभकारी होने के पर्याप्त अवधि चाहिए होती है । फिर उसका लाभकारी होना निश्चित भी नहीं है, इसमें हानि और दिवालिया तक होने का ख़तरा होता है । लाभ होने की स्थिति में भी पेशगी तय नहीं किया जा सकता कि उसमें किस समय कितना लाभ होगा । अब यह बात किस तरह न्यायोचित हो सकती है कि धन देने वाले का लाभ उसी समय से आरंभ हो जाए जबकि इन्सानी मेहनत और दिमाग़ ने उस धन अभी हाथ ही लगाया

हो ? और उसके 'मुनाफ़े' की दर तथा मात्रा भी निर्धारित हो जबकि पूंजी के साथ मेहनत के मिलने से लाभ पैदा होना न तो निश्चित है और न ही ज्ञात है कि इससे वास्तव में कितना लाभ उत्पन्न होगा ।

न्यायोचित बात यह है जो व्यक्ति अपनी बचत किसी लाभ देने वाली क्रिया में लगाना चाहता हो उसे मेहनत करने वालों के साथ साझेदारी का समझौता करना चाहिए तथा लाभ-हानि में एक निर्धारित अनुपात में हिस्सेदार बन जाना चाहिए । लाभ कमाने का यह आख़िर कौन-सा उचित तरीक़ा है कि मैं एक व्यक्ति का साझी बनने के बजाय उसे सौ रुपये उधार दूं और उससे कहूं कि क्योंकि तू इस रक़म से फ़ायदा उठाएगा इसलिए तुझ पर मेरा यह हक़ है कि मुझे एक रुपया मासिक उस वक़्त तक देता रह जब तक मेरी रक़म तेरे कारोबार में इस्तेमाल हो रही है ।

सवाल यह है कि जब तक इस पूंजी को प्रयोग में लाकर उसकी मेहनत ने लाभ पैदा करना न आरंभ किया हो तब तक वह कौन-सा लाभ मौजूद है जिसमें से हिस्सा मांगने का मुझे हक़ पहुंचाता हो ? अगर वह व्यक्ति कारोबार में फ़ायदे के बजाय नुक़सान उठाये तो मैं किस तर्क और इन्साफ़ के आधार पर मासिक 'लाभ' वसूल करने का हक़ रखता हूं ?

यदि उसका लाभ एक रुपये मासिक से कम रहे तो मुझे एक रुपया मासिक लेने का क्या हक़ है ? और यदि उसका कुल लाभ एक रुपया ही हो क्या यह न्यायसंगत है कि जिसने महीने भर तक अपना समय, श्रम, योग्यता तथा व्यक्तिगत साधन सब कुछ ख़र्च किया वह तो कुछ न पाये ओर मैं जो केवल सौ रुपये देकर अलग हो गया था उसका पूरा लाभ ले उड़ूं ? एक बैल भी अगर तेली के लिए दिन भर कोल्हू चलाता है जो कम से कम उससे चाड़ा मांगने का हक़ तो ज़रूर रखता है मगर यह ब्याज एक कारोबारी आदमी का ऐसा बैल बना देता है जिसे कोल्हू तो दिन भर मेरे लिए चलाना है और चारा कहीं और से खाना चाहिए ।

अगर कारोबारी आदमी का लाभ उस निर्धारित रक़म से ज़्यादा भी हो जो ऋणदाता ने ब्याज के रूप में ऋणी के ज़िम्मे लगायी थी, तब भी अक़्ल, इन्साफ़, व्यापार के उसूल और आर्थिक नियम किसी आधार पर भी इस बात को उचित साबित नहीं किया जा सकता कि व्यापारी उत्पादक, किसम और दूसरे सभी लोग जो उत्पादन के साधन है और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना वक़्त लगाते हैं, मेहनत करते हैं, दिमाग़ लड़ाते हैं अपनी शारीरिक शक्तियों को झोंक देते हैं उन सब लोगों का लाभ तो अनिश्चित तथा संदेह में हो मगर केवल एक आदमी का लाभ निश्चित तथा निर्धारित हो जिसने मात्र अपनी बचत की हुई रक़म उधार दे दी है । उन तमाम लोगों के लिए तो नुक़सान का जोखिम भी हो मगर इसके लिए शुद्ध लाभ की गारंटी हो । उन सबके लाभ की दर बाज़ार की क़ीमतों के साथ घटती-बढ़ती हो मगर एक व्यक्ति (पूंजीपति) जो लाभ अपने लिए तय कर चुका है वह उसे निरंतर मासिक और वार्षिक मिलता रहे ।

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

www.kanti.in

प्रचार-प्रसार मुहिम के लिए विशेष छूट

मासिक कान्ति के प्रचार-प्रसार हेतु एक मुहिम शुरू की गयी है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति 'मासिक कान्ति' के 5 नये ख़रीदार बनाता है तो उसे मुफ़्त में एक और ख़रीदार बनाने की छूट होगी । इस अवसर से लाभ उठाने के लिए एक साथ एक हज़ार एक सौ रुपये (Rs. 1100/-) सीधे कान्ति के कार्यालय में जमा करने होंगे । प्रचार-प्रसार की यह मुहिम आगामी कुछ महीनों तक चलती रहेगी । मासिक कान्ति के पाठक इस विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए अपने-अपने इलाक़ों में अपने सगे-संबंधियों एवं अन्य साथियों को प्रेरित कर सकते हैं । विस्तार से जानने के लिए सम्पर्क करें :

मैनेजर

मासिक कान्ति

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025
09818799223, 011-26949430
E-mail : kanti hindimonthly@yahoo.com

OUR PUBLICAITON IN BENGALI

FOR DAWAH WORK

Pavitra Quran (Bengali)	S. A. Ala Moududi	180/-
Islam Parichity	S. A. Ala Moududi	25/-
Islamer Jivn Paddhati	S. A. Ala Moududi	15/-
Tawhid Resalat O P. Jivan	S. A. Ala Moududi	15/-
Shanti Path	S. A. Ala Moududi	7/-
Ekmatra Dharma	S. A. Ala Moududi	10/-
Islamer Paigam	S. A. Ala Moududi	5/-
Bhanga O Gara	S. A. Ala Moududi	7/-
Islamer Naitik Dristikon	S. A. Ala Moududi	10/-
Islam O Nari	Mohd. Qutub	6/-
Pardah Ekti Bastav Prayojon	Shamsunnahar Nizami	15/-
Quraner Talaq O Tin Talaq	Nurul Islam Khan	10/-
Purdah O Islam	S. A. Ala Moududi	75/-
Swami Strir Adhikar	S. A. Ala Moududi	50/-
Arthanaitik Samasyar	S. A. Ala Moududi	10/-
Ek Mahat Jivan	A.S.M. abdul Hai	66/-
Adarsha Manab	S. A. Ala Moududi	6/-
Nabi Jivaner Baishishtya	S. A. Ala Moududi	7/-
Muha. (S) : Islamer Vartabahak	R. Rao	12/-
Islam O V ishwer Bhabishyat	Dr. M.W. Hoffman	7/-
Ahwban (Appeal)	Ali Nasim Hejaji	15/-
Nari : Islamer Dristete	Al Bahi Al-Khawli	90/-

Bangla Islami Prakashani Trust
27B, Lenin Sarani, Kolkata-700 013
Email : mizanweekly@gmail.com

बस क़िस्सों में मुमकिन है पुनर्जन्म

■ दिनेश मिश्र

आज ही नहीं, शुरू से ही इन्सान के मन में 'पुनर्जन्म' को लेकर काफ़ी उत्सुकता रही है । इसे लेकर दुनिया भर में अनेक क़िस्से-कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें प्रेम, हत्या, पूर्व जन्म का बदला लेने जैसी घटनाओं की चर्चा होती है । कुछ धार्मिक ग्रंथों में भी इसे मान्यता दी गयी है । पुनर्जन्म की कथाओं को आधार बनाकर बहुत-सी हिट फ़िल्में बनी हैं । पर विज्ञान ऐसी कहानियों को कल्पना की उड़ान मानता है ।

कुछ समय पहले एक टी॰वी॰ चैनल पर काफ़ी दिनों तक पुनर्जन्म पर आधारित एक सीरियल प्रसारित होता था । उसमें दिखाया जाता था कि एक विशेषज्ञ किसी व्यक्ति को किस तरह उसके पिछले जन्म में ले जाता है । इसके साथ ही फ्लैश बैक में फ़िल्म बनाकर दिखाया जाता था कि अपने उस जन्म में किस तरह वह व्यक्ति अपने रिश्तेदार के साथ मिल-जुलकर रहा है ।

धारावाहिक में ऐसा माहौल बनाया जाता था मानो वह व्यक्ति अपने पिछले जन्म में इस शरीर के साथ पहुंच चुका है तथा अब वह अपने सारे राज़ बता रहा है । उसके आधार पर यह साबित करने की कोशिश की जाती थी कि इस जन्म में उसे जो भी डर या बीमारी है, वह सब पिछले जन्म में घटी किसी घटना के ही कारण है । यदि वह पानी से डरता है तो पिछले जन्म के कारण, यदि वह परीक्षा में पास नहीं होता तो वह भी पिछले जन्म में पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण । मानो इस जन्म के दुख-दर्द सब पिछले जन्म के कारण है तथा यह राज़ बताने से वह ठीक हो जाएगा ।

सीरियल का एंकर अंत में उस प्रतिभागी को एक कवच देता था और कहता था कि यह चमत्कारिक कवच उसकी बुरी शक्तियों से रक्षा करेगा । बिलासपुर की एक महिला ने एक प्रादेशिक चैनल में यह दावा किया कि वह भी पिछले कुछ वर्षों से लोगों के पूर्व जन्म का राज बताती है व उनका इलाज करती है तथा उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है । अभी मुझे पता चला कि रायपुर, मुंबई जैसे अनेक शहरों में ऐसे अनेक विशेषज्ञ पैदा हो गये हैं और कई संस्थान खुल गये हैं जो लोगों को पूर्वजन्म की याद के आधार पर इलाज करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का दावा करते हैं ।

विज्ञान कहता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के मस्तिष्क की हज़ारों-लाखों कोशिकाओं में संचित सारी स्मृतियां भी समाप्त हो जाती हैं, उनका कोई नामोनिशान नहीं रह जाता । कभी-कभी तो जब व्यक्ति ब्रेन हेमरेज, सिर की चोट, ब्रेन ट्यूमर, मनोरोग से भी पीड़ित हो जाता है, तब भी उसकी याद्दाश्त चली जाती है । मृत्यु के बाद जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब शरीर के बाक़ी अंगों की तरह उसका मस्तिष्क भी विघटित हो जाता है । ऐसे में उसकी संचित यादें किस प्रकार किसी दूसरे जन्म में किसी अन्य व्यक्ति में फिर से पहुंच सकती हैं ? जब कोई शिशु कहीं जन्म लेता है तो उसका दिमाग़ एक कोरी स्लेट की तरह होता है । उसके पालक उसे जो छोटी से छोटी बातें सिखाते हैं, वही उसकी स्मृति में संचित रहते हैं । वह बात करने, लिखने-पढ़ने, कपड़े पहनने और खाने-पीने से लेकर कामकाज तक समाज में रहकर विभिन्न व्यक्तियों से सीखता है ।

बचपन से लेकर अंत तक उसका मस्तिष्क करोड़ों सूचनाएं संचित करता है जिसमें से कुछ स्वयं के अनुभव पर आधारित होती हैं तो कुछ पढ़ने-लिखने, देखने, सुनने से संचित की हुई होती है । इसमें किसी की स्मृति पहले की या पिछले जन्म की नहीं होती । हर बच्चा छोटे से बड़ा होता है और अपनी स्मृतियां स्वयं निर्मित करता है । ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति/बच्चा जन्म से ही पूर्ण शिक्षित हो, अनुभवी हो या तकनीकी विशेषता रखता हो। यदि लोगों में पूर्वजन्म की यादें होतीं, स्मृतियां होतीं, तो हमें अपने आसपास ऐसे हज़ारों बच्चे देखने को मिलते जो पूर्व जन्म के अनुभव और ज्ञान के कारण पहले से ही शिक्षित और तकनीकी विशेषज्ञता रखते हों । पर ऐसा संभव नहीं है ।

स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि हमारा जीवन भी एक कंप्यूटर के समान है । उसके अलग-अलग हिस्सों के

असफल होने की वजह से यह कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है और हमारी मृत्यु हो जाती है । जिस तरह कंप्यूटर के ख़त्म होने के बाद कोई स्वर्ग, नरक या पूर्वजन्म जैसी कोई बात नहीं होती, उसी तरह मनुष्य की मृत्यु के बाद भी ऐसी बातें नहीं हो सकतीं ।

यदि मनुष्य का पुनर्जन्म होता तो दूसरे जीवित प्राणियों का भी होता । उनकी योनियां बदलतीं । संसार में कीड़े, मकोड़ों, पशु-पक्षियों, जानवरों की लाखों जातियां हैं, क्या उनका भी पुनर्जन्म होता है ? क्या कोई मनुष्य अपने पिछले जन्म में जाकर यह बताता है कि वह भुनगा, कौवा या लोमड़ी था, जिसकी वजह से इस जन्म में भी उसकी आवाज़ या वृत्ति वैसी ही है ?

रैशनलिस्ट लोगों की एक शाखा शरीर को अनेक प्रकार के अणुओं (मॉलिक्यूल्स) से भरी हुए कोशिकाओं का समूह मानती है । इसका मानना है कि ये अणु ही विभिन्न प्रकार की क्रिया-प्रतिक्रिया करते हैं, जिनसे जीवन पैदा होता है। हमें जीवन में जो कुछ भी आश्चर्य जनक दिखता है वह इन्हीं रासायनिक प्रतिक्रियाओं की वजह से घटित होता है । जब ये प्रतिक्रियाएं रुक जाती हैं तो कोशिकाओं के समूह भी मर जाते हैं और यह जीवन समाप्त हो जाता है ।

अमेरिका की एक संस्था है 'काउसिंल फॉर सेक्युलर ह्यूमनिज्म'। इसके एक वैज्ञानिक ऑस्टिन क्लाइन लंबे समय से इस विषय पर काम कर रहे हैं । उनका तर्क है कि जो कुछ मैं हूं वह मेरी याद्दाश्त एवं व्यक्तित्व पर निर्भर है । यह दोनों मेरे मस्तिष्क पर निर्भर है । जब मेरा मस्तिष्क मर गया तो मेरी याद्दाश्त एवं व्यक्तित्व दोनों ख़त्म । अगर वह ख़त्म तो व्यक्ति के रूप में मैं कौन हूं इसका भी अंत हो गया । अगर हमारी शारीरिक मृत्यु के बाद भी कुछ जीवित रहता है तो वह मैं तो नहीं होऊंगा ।

पुनर्जन्म की व्याख्या करने वाले दावा करते हैं कि वे 'पास्ट लाइफ रिग्रेशन थिरेपी' के आधार पर इलाज करते हैं । पर इस चिकित्सा पद्धति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है । आधुनिक मेडिकल साइंस इसे स्वीकार नहीं करता । पुनर्जन्म के रूप में प्रचारित मामलों का जब वैज्ञानिकों ने बारीकी से अध्ययन किया तब वे सभी फ़र्ज़ी व बनावटी निकले जिसमें उनके परिजनों का भी हाथ साबित हुआ । यदि पुनर्जन्म होता तो क्या किसी प्राणी का क्लोन बनाना संभव होता ? वैज्ञानिकों ने क्लोन बनाकर तो मृत प्राणी की आत्मा के दूसरे शरीर में जाने के बात को बिल्कुल ही ग़लत साबित कर दिया, क्योंकि एक ही समय में कोई व्यक्ति और उसका क्लोन-दोनों एक साथ जीवित रह सकते हैं ।

(सा० : नभाटा, नयी दिल्ली, 6 अगस्त 2011)

हज़रत अबू मूसा (रज़ि०) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा : "बूढ़े मुसलमान का आदर करना और क़ुरआन के हाफ़िज़ जो न क़ुरआन में अतिश्योक्ति से काम ले और न उसके विरुद्ध उसका आचरण हो और न्यायशील शासक का आदर करना वास्तव में अल्लाह तआला के प्रताप एवं गरिमा के आदर करने का एक हिस्सा है ।" (अबू दाऊद)

A WELL WISHER

Iqubal Bhai Masalawala, Nagpada, Mumbai

प्रतिध्वनि

■ डॉ॰ मुहम्मद कलीम 'ज़िया'

एक गांव में एक ग़रीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह दिन भर मेहनत मज़दूरी करता और जो कुछ मिलता उससे अपनी पत्नी और बच्चों का पोषण करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। पिछली फ़सल अच्छी हो जाने के कारण उसने कुछ राशि जमा कर रखी थी, जिससे उसने एक बछिया ख़रीदी। उसकी पत्नी अपने काम निपटाकर बछिया की सेवा में लग जाती। उसे नहलाती और समय पर चारा-पानी देती।

बछिया बड़ी हो गयी और उसने एक नन्ही बछिया को जन्म दिया। अब वह गाय हो चुकी थी और दूध देने लगी। किसान और उसके बच्चे नन्ही बछिया को देखकर बहुत ख़ुश होते। उसकी पत्नी सुबह और शाम उसका दूध दूहती जो बच्चों के काम आता। थोड़ा दूध वह बेच देती और कुछ बचा-बचाकर घी निकाल लेती। वह एक साधारण घरेलू महिला थी और ग़रीबी में सम्मान से जीने का गुर उसे आता था।

जब कुछ घी तैयार हो जाता तो किसान उसे बेचकर ज़रूरत के दूसरे सामान ले आता। जिस बनिये को किसान मक्खन और घी बेचता वह एक बड़ा व्यापारी था। उसकी दुकान पर हर चीज़ मिल जाती थी। आसपास के दूसरे किसान भी अपने खेतों से फल-सब्ज़ियां लाकर उसके पास बेच देते थे। वह बनिया नक़द पैसे देता था इसलिए किसानों की मदद हो जाती थी। हालांकि यह क़ीमत कुछ कम देता था–लेकिन किसानों के लिए 'कल की मुर्ग़ी से आज का अंडा भला।'

वह बनिया बड़ा अनुभवी था। वह सामान देखकर ही उसके वज़न का अनुमान लगा लेता और उसी अनुमान के आधार पर रुपये की चीज़ बारह आने में ख़रीद लेता। किसान जब मक्खन लेकर उसके पास पहुंचता तो वह उसे तौले बिना ही उसकी क़ीमत का अनुमान लगा लेता और किसान को पैसा या जो सामान चाहिए दे देता।

एक दिन किसान उसे एक किलो कहकर जो मक्खन दे गया वह बनिये को कुछ कम लगा। बनिये ने किसान के जाने के बाद उसे तौला तो वह केवल 900 ग्राम निकला। बनिये को बड़ा ग़ुस्सा आया और उसने किसान को मन ही मन बहुत गालियां दीं और यह इरादा कर लिया कि अब उस बेईमान किसान को अपनी दुकान की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ने देगा।

अगली बार जब किसान फिर एक किलो मक्खन का पैकेट लेकर आया तो बनिये ने उसे दुकान में नहीं आने दिया और उसे बहुत गालियां दीं। किसान हक्का-बक्का रह गया कि आख़िर बात क्या है। वह बनिये से पूछने लगा कि आख़िर हम से क्या भूल हो गयी ?

बनिये ने ग़ुस्से में कहा कि तुम बहुत बेईमान आदमी हो। मैं तुम पर भरोसा करता रहा और तुम मुझे धोखा देते रहे। किसान ने पूछा मगर मैंने क्या कर दिया ? कैसे धोखा दिया आपको ?

"चुप रहो चोर कहीं के, तुम जो एक किलो के पैकेट मुझे देते हो वह केवल 900 ग्राम के होते हैं, तुम डंडी मारते हो, बेईमानी करते हो, झूठे, मक्कार, धोखेबाज़।" बनिया ग़ुस्से में बकता रहा।

किसार ने कहा हुज़ूर मेरी भी एक बात सुन लो, फिर जो चाहे बोलना।

बनिया ने कहा–चल बोल क्या बकता है। किसान कहने लगा–

हुज़ूर ! मैं ग़रीब आदमी हूं मेरे पास तराज़ू के बाट तो है नहीं। मैंने एक तराज़ू बना रखी है। जो सामान आपके यहां से एक किलो का ले जाते हैं, उसी को तराज़ू के एक पलड़े पर रखकर दूसरे पलड़े में मक्खन रखकर तौलते हैं। फिर वही लाकर आपको दे देते हैं। अब हमें क्या पता की आपकी तौल..." किसान चुप हो गया।

बनिये के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। वह गर्दन झुकाये तुरन्त अपनी दुकान में घुस गया। वह शहर का बड़ा साहूकार था, मगर आज वह एक ग़रीब किसान से मुंह छिपा रहा था।

طبقات دوزخ سات ہیں۔ سقر۔ سعیر۔ فطی۔ حطمہ۔ جحیم۔ جہنم اور ہاویہ۔

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY

قادری قبض روجن ®

گیسٹک کے درد میں؟



بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے

زعفرانی تیل ®

گٹھیا کے درد میں؟



کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔ گٹھیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشٹک چورن ®



جریان، کثرت احتلام، سرعت انزال، ضعف باہ اور جملہ امراض مردانہ میں بہت مفید ہے

ذیابطیش سی ®

شوگر کی کامیاب دوا

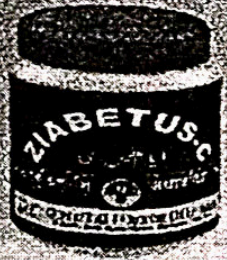

مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی اور ذیابطیش سے ہونے والی کمزوری میں بے حد مفید ہے

زعفرانی مالٹ

ہر عضو کی کمزوری کے لئے



دماغ و اعصاب کے لئے محرک ہے۔ ضعف باہ کو دور کرتی ہے اور اعلیٰ درجہ کا ممسک بھی ہے۔ اس کے متواتر استعمال سے مردانہ قوت اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ صبح و شام۔ ۵ گرام دودھ کے ساتھ

کیسر فورٹ

قوت باہ کی طاقت میں اضافہ کے لئے



اگر مردوں کی قوت میں مردانگی میں کمزوری واقع ہو اور اس کی وجہ سے باہ کمزور ہو اور اگر وہ عمل وقوعیت ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ ان کا کمال کمزوری کو دور کرنے کے لئے ادارہ قادری دواخانہ نے حق یونانی جڑی بوٹیوں کے مرکب سے ایک ایسی کیسر فورٹ ایجاد کی ہے جو اعصاب کو طاقت دے کر باہ کی طاقت کو بڑھاتی ہے اور کمزوری کو دور کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔

مقدار خوراک روزانہ ایک گولی سوتے وقت دودھ کے ہمراہ

Qadri Dawakhana ™
B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24
(O) S-152, S. A. Farooquie Road, (Akra Road) Kolkata- 700 015
Ph. No. 2469-3173-2489-3539 (M) 9830009616 / 9674013169
Website : www.qadridawakhana.com
Email : qadridawakhana80@yahoo.co.in

STOCKIST

Qadimi Dawakhana
1397, Ballimaran, Delhi - 6
Ph : 011 23966395

M/s. Shifa Clinic
A-230, Moti Masjid Road,
P.O. Chikamberpur Shaheed Nagar
Ghaziabad, Ph : 0120 - 2621286

गांधी जयंती की सार्थकता

■ सवाई सिंह
(अध्यक्ष-राजस्थान समग्र सेवा संघ)

अभी उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी पद की रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे गये जिस पर कुल 23 लाख आवेदन पत्र आये, जिनमें 2 लाख इंजीनियर्स ने भी आवेदन किये । राजस्थान में भी 2012 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लगभग 13 लाख युवकों ने आवेदन किया था जिनमें उच्चतम शिक्षा प्राप्त युवक भी थे । इन आंकड़ों से प्रतीत होता है कि हमारे देश में भले ही कोई-सा भी प्रांत हो, बेकारी ने सुरसा का-सा मुंह फाड़ रखा है, इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न उठता है ।

बात बेकारी की हो या भ्रष्टाचार की, ग़रीबी की हो या ग़ैर-बराबरी की, लूट-खसोट, शोषण, बलात्कार, अत्याचार, जातिवाद, साम्प्रदायिकता आदि सभी ने हमारे समाज में गहरी जड़ें जमा ली हैं । इस तरह की स्थिति बनने या बनाने का दायित्व आख़िर किस का है ? कौन-सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण ऐसे हालात बने ? ये परिस्थितियां कैसे बदलें ? परिस्थितियों को बदलने की प्रक्रिया क्या हो ? ये सब विचारणीय प्रश्न हैं ।

देश की 68 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा के बाद हम अपार समस्याओं से घिरे हुए नज़र आते हैं । दुनिया में साम्यवादी रचना के क़िले ढहते हुए नज़र आये, कुछ साम्यवादी देशों ने पूंजीवाद के ख़िलाफ़ नारे लगाते-लगाते स्वयं पूंजीवाद की गाड़ी ही दौड़ाना शुरू कर दिया । उन देशों में समता, स्वतंत्रता और शोषण-मुक्ति के बजाए सत्ता की पूंजीवादी नीति और सत्ता की तानाशाही के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता ।

पूंजीवाद की प्रयोगशाला अमेरिका भी बेकारी से घिरता हुआ नज़र आ रहा है । वहां के एक आंकड़े के अनुसार बेकारों की संख्या 12 प्रतिशत हो चुकी है । कुछ समय पूर्व ही अमेरिका के सबसे पुराने बैंक सहित लगभग 70 बैंक दिवालिये हो गये थे । अमेरिका और यूरोप सहित पूंजीवादी देशों में कॉर्पोरेट्स (बहुराष्ट्रीय कम्पनियों) का शिकंजा बढ़ रहा है । पूंजीवाद ने अपार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया और प्रदूषण का विकास किया जिससे ओज़ोन परत में भी छेद हो गया और पूरा जलवायु-चक्र बिगड़ गया जिससे पूरी दुनिया अकाल, बाढ़ और समुद्री तूफ़ानों का सामना कर रही है । पूंजीवाद ने शोषण, ग़ैर-बराबरी, भ्रष्टाचार, बेकारी और हिंसा को जन्म दिया जिससे समाज चरमरा रहा है ।

देश की आज़ादी के बाद काश हम गांधी जी द्वारा दिखाये गये रास्ते पर बढ़ते तो आज जो दिन देखने पड़ रहे हैं वे नहीं देखने पड़ते । आश्चर्य की बात है कि अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हमारी समस्याओं का समाधान सिलिकॉन वैली के कॉर्पोरेट्स में ढूंढ़ रहे हैं । सिलिकॉन वैली के कॉर्पोरेट्स हमारे देश को बाज़ार तो बना सकते हैं लेकिन यहां की समस्याओं से निजात नहीं दिला सकते बल्कि समस्याओं को बढ़ाने में ही उनका सहयोग हो पाएगा । पूर्व में कॉर्पोरेट्स के लिए बाज़ार बनाने के सशक्त प्रयास होते रहे हैं, उसके लिए वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की आर्थिक नीतियों को आधार बनाया गया । नारा लगाया गया कि इससे हमारे देश की बेकारी मिटेगी और आर्थिक विकास होगा । लेकिन परिणाम आया कि बेकारी बढ़ी और आर्थिक ग़ैर-बराबरी भी बढ़ी । ये सभी प्रयोग भविष्य में भी असफल रहेंगे ।

गांधी जी भारत की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जनसंख्या को केन्द्र में रखते हुए योजना बनाने के पक्षधर रहे । उनका तरीक़ा मनुष्य को केन्द्र में रखकर योजना निर्माण का था । मनुष्य के विकास में ही राष्ट्र का विकास निहित है । जबकि आज हमारी सरकारें मनुष्य के बजाए मशीन के विकास पर अधिक ज़ोर दे रही हैं । हमारे देश में गांधीजी को जन्मदिन और निर्वाण दिवस पर ख़ूब याद किया जाता है लेकिन उन्होंने जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक नीति बतायी उस ओर एक भी क़दम उठाने की ज़रूरत नहीं समझी गयी । यहां तक भी रहा कि गांधीजी के द्वारा दिये गये जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य

सत्य और अहिंसा का भी मखौल उड़ाया गया या अव्यावहारिक कहकर उपेक्षा की गयी । आज जब विश्व के समक्ष आतंकवाद और अन्य हिंसा की घटनाओं ने चुनौती दी है तब जाकर मजबूरी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने गांधी जी के जन्मदिन को अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फ़ैसला किया है । लेकिन आज भी हिंसा पैदा होने के कारणों पर कोई भी चिंतन नहीं होने से अहिंसा दिवस मनाने का औचित्य और गांधी जी के सपनों की व्यवस्था बन पाना मुश्किल होगा । असलियत यह है कि आज की व्यवस्था ही ऐसी है जिसके परिणामस्वरूप हिंसा सहित अन्य समस्याएं पैदा हुई हैं । जहां बेकारी, भ्रष्टाचार, शोषण, ग़ैर-बराबरी, अत्याचार और अन्याय होगा वहां हिंसा और अराजकता को रोका नहीं जा सकता ।

इसलिए गांधीजी का मानना था कि ऐसी व्यवस्था बनायी जाए जिसमें समता, स्वतंत्रता और भाईचारा विकसित हो । उनके विचार के अनुसार शोषण मुक्त, समता मूलक और शासन मुक्त समाज की स्थापना करना ही लक्ष्य होना चाहिए । यह तभी संभव है जब उनके विचारानुसार विकेन्द्रित आर्थिक व्यवस्था और विकेन्द्रित राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो, अर्थात लोगों के हाथ में आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था हो । संगठित जनता के नियंत्रण में यह व्यवस्था चले, अर्थात उत्पादन और वितरण की व्यवस्था जनता के हाथ में हो, उस पर किसी पूंजीवादी घरानों का नियंत्रण नहीं हो ।

गांधी जी मानते थे कि आर्थिक स्वावलंबी व्यवस्था के द्वारा ही सशक्त समाज संभव है । आज उसके उलट अर्थव्यवस्था पर कुछ लोगों का क़ब्ज़ा हो चुका है जिसके परिणामस्वरूप ही बेकारी सहित अन्य समस्याएं पैदा हुई हैं । इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप ही गत दिनों जो सर्वे हुआ उसमें प्रमाणित हुआ कि हमारे देश में 77 प्रतिशत लोगों की दैनिक आय 22 रुपये थी, जबकि कुछ कॉर्पोरेट्स के सी॰ई॰ ओज़॰ की दैनिक आय लाखों रुपये है । यह हमारी पूंजीवादी विकास की अवधारणा का परिणाम है । जबकि गांधी जी की स्वावलंबन की अवधारणा में न तो ग़ैर-बराबरी होती है न शोषण का अवसर और न ही बेकारी का वजूद । स्वावलंबन की अवधारणा में कुटीर और ग्रामोद्योग ही मूल आधार होते हैं जिनसे न प्रदूषण की मार झेलनी होती है और न सामाजिक ग़ैर-बराबरी ।

इसी प्रकार गांधीजी का मानना था कि सत्ता में जनता की सीधी भागीदारी हो और उसका नियंत्रण भी जनता के हाथों में हो । उन्होंने अपनी हत्या के एक दिन पूर्व 29 जनवरी 1948 को देश की जनता के नाम एक पत्र लिखकर अपील की कि वह नीचे के स्तर पर संगठित होते हुए ऊपर तक अपने संगठन की प्रक्रिया जारी रखे । उसे उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा पर आधारित व्यवस्था का नाम दिया । इस अवधारणा के अनुसार यह संगठित जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे और सत्ता पर नियंत्रण भी रखे । लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की सत्ता और आर्थिक व्यवस्था दोनों ही केन्द्रित हो चुकी हैं जिनके विकारों को पूरा देश भुगत रहा है । गांधी जयंती मनाना तभी सार्थक होगा जब हम गांधीजी द्वारा बताए और दिखाए गये रास्ते की ओर ठोस क़दम बढ़ाएं और अपनी समस्याओं का समाधान करें ।

विलम्ब या वंचन

एक मान्यता हमेशा से चली आयी है
कि न्याय में विलम्ब न्याय से वंचन
के समान है ।
फिर भी अपने यहां पड़दादा द्वारा
दायर वाद में पड़पोतों द्वारा पैरवी
एक सामान्य बात मानी जाती आयी है ।
एक प्रमुख केन्द्रीय मंत्री की हत्या के
मामले में निर्णय 40 वर्षों बाद
अभी हाल ही में आया है ।
कहते हैं कि यहां का ज़मीन जायदाद का
एक मामला 1878 से चल रहा है जिसमें
फ़ैसला होना अभी बाक़ी है ।
इन्हें अपवाद भी मान लें तो भी
3 करोड़ से अधिक लंबित मामलों का
अंकड़ा विचलित करता है, दहलाता है ।
कुछ लीक से हटकर करना ज़रूरी है
और वह भी बिना और देर किये ।

ओमप्रकाश बजाज
इंदौर (म॰प्र॰)

आरक्षण व्यवस्था की नहीं है कोई अवधि

■ पी॰ एल॰ मीमरोठ

आरक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिनके लिए संविधान में इनके शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए व्यवस्था की गयी थी । देश की 65 साल की आज़ादी के बाद आज भी ग्रामीण क्षेत्रों व शहर क़स्बों की कच्ची व झोपड़ पट्टी बस्तियों के बाशिंदों तथा घुमक्कड़ जातियों के लोग नारकीय जीवन गुज़ार रहे हैं, आरक्षण का लाभ उन्हें मिलना चाहिए ।

भारतीय संविधान में मूलत: आरक्षण व्यवस्था अनुसूचित जाति व आदिवासियों के लिए की थी जो कि हज़ारों वर्षों से सामाजिक व्यवस्था व ऐतिहासिक कारणों से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व गरिमा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए थे और देश की प्रगति के लिए समाज को मुख्यधारा में इन वर्गों को लाना बहुत आवश्यक था । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान-निर्माताओं ने इन वर्गों के उत्थान व विकास के लिए संविधान में निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में विशेष प्रावधान मूलभूत अधिकार के अंतर्गत रखे–

शिक्षण–संस्थाओं (सभी सरकारी अर्धसरकारी व सहायता प्राप्त) में । इन वर्गों के लिए आरक्षण की विशेष व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) में की गयी है और इसे मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है । शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण है उसकी संविधान में कहीं कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है । यह स्थायी व्यवस्था है और तब तक लागू रहेगी जब तक कि ये उपेक्षित वर्ग समाज के अन्य उच्च वर्गों के शैक्षणिक स्तर तक नहीं पहुंच जाते ।

इसी तरह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों को सरकारी व राजकीय सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने का विशेष प्रावधान भी संविधान के अनुच्छेद 16(4) में विस्तृत रूप से मूलभूत अधिकार के रूप में अंकित किया हुआ है । संविधान में इस प्रावधान की भी कोई समय-सीमा नहीं रखी गयी है । हालांकि इस राजकीय सेवाओं में आरक्षण को लेकर पूरी आरक्षण व्यवस्था को भोंटा कर दिया है तथा इस उदारीकरण के युग में सरकारें, तदर्थ नियुक्तियां, कर संविदा के आधार पर तथा आस्मिक कर्मचारी भर्ती कर इस आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करती जा रही है । इससे इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सरकारी व राजकीय सेवाओं में कम होता जा रहा है ।

संविधान में उपरोक्त दोनों आरक्षण प्रावधानों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गयी और इनको समाप्त करने की दृष्टि से समीक्षा करने का भी कोई प्रावधान नहीं है । यह अवश्य है कि इन दोनों आरक्षणों की सही तरह से सामाजिक न्याय के सिद्धांत को आधार बनाकर क्रियान्वयन करने हेतु समय-समय पर इनकी समीक्षा अवश्यकरनी चाहिए । तीसरा व महत्वपूर्ण राजनैतिक आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 के अंतर्गत की गयी है । इस व्यवस्था के अनुसार लोकसभा (संसद) व राज्य की विधानसभाओं के आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गयी है । संविधान में इस राजनैतिक आरक्षण के लिए शुरू-शुरू में 10 वर्ष की अवधि रखी गयी थी परन्तु कालांतर में इस राजनैतिक आरक्षण को हर दस साल बाद संविधान में संशोधन करके बढ़ाया जाता रहा है और अब यह राजनैतिक आरक्षण व्यवस्था 2020 तक है ।

संविधान निर्माताओं विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर ने यह राजनैतिक व्यवस्था इसलिए रखी थी कि दलित पूरे देश में बिखरे हुए हैं और वे दलितों के मतों के बलबूते संसद और विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे परन्तु दलितों के हितों की सुरक्षा और पैरवी करने के लिए उनका लोकसभा व विधानसभाओं में होना ज़रूरी है परन्तु यह सब उल्टा हुआ है । आज आरक्षित सीटों से जीतकर आने वाले सांसद व विधायक दलित हितों के लिए मौन और उदासीन रहते हैं । ऐसा नहीं है कि उनके दिल में दलितों के लिए तड़प नहीं है, इनमें से कई संवेदनशील भी है और दिल में दर्द भी रखते हैं परंतु उनकी विवशता है । सभी राजनैतिक दल वोट

बैंक को ध्यान में रखकर उन पर कड़ा अनुशासन व विहिप की तलवार लटका कर रखते हैं । उनके चुनाव क्षेत्र के दबंग व बहुसंख्यक उच्च वर्ग के लोग उन पर दबाव डाले रखते हैं । यदि इनमें से किसी दलितों के हित की पैरवी के लिए सक्रियता से काम करने की कोशिश की तो या तो दलों द्वारा उसे हाशिये में डाल दिया जाता है या फिर आगामी चुनावों में टिकट काट दिया जाता है । ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां दबंग और सक्षम दलित राज नेताओं को पंगु बनाया गया है । मूलतः आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था, परंतु वास्तव में आरक्षण व्यवस्था ऐसी नहीं है । यदि संविधान की आरक्षण संबंधी अनुच्छेदों को बारिकी से अध्ययन किया जाए तो यह भ्रामक धारणा दूर हो सकती है । हम दलितों पर होने वाले उत्पीड़न भेदभाव को समाप्त कर उन्हें न्याय व गरिमा के लिए अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं ।

आज भी कई अत्याचार परक क्षेत्रों के दलित विधायकों ने अपने चुनाव क्षेत्र के सभी थानाधिकारियों का मौखिक आदेश दे रखे हैं कि उनके थानों में दलित उत्पीड़न के मामले अनुसूचित जाति/जनजाति क़ानून के अंतर्गत दर्ज नहीं होने चाहिए । यदि ऐसे मामले कोर्ट के ज़रिये दर्ज हो तो उनमें पुलिस द्वारा एफ॰आर॰ (झूठा) साबित करना चाहिए । इन परिस्थितियों में हम दलित विधायकों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं । हम इस आरक्षण के ख़िलाफ़ नहीं है परंतु इसकी समीक्षा तो होनी ही चाहिए । हम वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय प्राप्ति के लिए लगातार संघर्षरत हैं और मांग करते रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लीक से हटकर कारगर प्रयास किये जाएं ।

ग्रामीण क्षेत्रों की आज भी बहुसंख्यक आबादी सामाजिक उत्पीड़न, छूआछुत और जातिगत भेदभाव से ग्रसित है । ये लोग दलित व वंचित वर्ग के हैं । अभी सरकार ने 2011 में किये गये आर्थिक, सामाजिक व जातिगत सर्वे के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, ये चौंकाने वाले हैं । हालांकि सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े उजागर नहीं किये हैं परन्तु इन आंकड़ों से जो भी बाहर आया है वह यह दर्शाता है कि जिन परिवारों के आंकड़ों को दिखाया गया है व बहुसंख्यक दलित व ग़रीबों की स्थिति को दर्शाते हैं । इन आंकड़ों को भी हम पूरा नहीं मानते हैं चूंकि इनमें घुमंतू,, अर्धघुमंतू व पूर्णयता आश्रयहीन लोगों को शामिल नहीं किया है ।

इस असमानता के शिकार ज़्यादातर दलित व वंचित वर्ग के लोग हैं जो कि आज भी हाशिये पर है । इस सामाजिक और आर्थिक असमानता को कुछ हद तक कम करने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी परन्तु सरकारों ने इस आरक्षण व्यवस्था को तथा दलितों व महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए जो कठोर रूप से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ । यदि सरकार वास्तव में इस असमानता की खाई को कम करना या पाटना चाहती है तो नये सिरे से ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं पर गंभीर विचार-विमर्श कर प्राकृतिक संसाधनों व उत्पादन के साधनों में दलितों, ग़रीबों, महिलाओं व वंचितों को भागीदार बनाने के लिए कठोर पग उठाने होंगे ।

ग़रीबों में जो भूमिहीन है उन्हें सिंचाई साधनों के साथ कृषि भूमि उपलब्ध करायी जाए, जिनके पास कृषि भूखंड है उन्हें सिंचाई आदि के साधन उपलब्ध कराये जाए । जो लोग गांव में रहकर कुटीर उद्योग खोलकर नयी तकनीक अपनाना चाहते हैं, उनके लिए पूरे अवसर व संसाधन दिये जाएं । जातिगत भेदभाव व छूआछुत को ख़त्म करने के लिए सरकार व गांव के भद्र लोग आगे आएं । आज पंचायतों के पास विकास के लिए काफ़ी अवसर व संसाधन दिये जा रहे हैं उनमें दलितों व महिलाओं को सक्रिय रूप से नेतृत्व व भागीदार दी जाए । ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की दशा को सुधारा जाए । गांव में स्वरोज़गार के अवसर बढ़ाएं जाए ।

सरकार का तर्क कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए समुचित फंड नहीं है परंतु यदि सरकार की इच्छाशक्ति हो तो पर्याप्त फंड जुटाया जाता है । आज राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास बड़े-बड़े उद्योगपतियों, रसूकदार लोगों, कारपोरेट लोगों व कंपनियों से लगभग 50 लाख करोड़ का ऋण वसूलना बाक़ी है । लोन के एवज में जो उनकी संपत्ति गिरवी है । जिसको एन॰पी॰ए॰ के नाम से बैंकों के खातों में दर्ज किया गया है, परन्तु चूंकि ये बड़े-बड़े उद्योगपति, सेठ, व्यावसायी घराने, रसूकदार लोगों के ख़िलाफ़ सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती । अतः इनके कारण बैंक भी असहाय है । अतः सुझाव है कि यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो एन॰पी॰ए॰ की जो संपत्ति बैंकों के पास है उसको नीलाम करके कम से कम 20-30 लाख करोड़ पैसा तो वसूल हो ही सकता है, उस पैसे को ग्रामीण विकास कार्य-कर्मों में लगाया जा सकता है । (विविधा फ़ीचर्स)

'अवतारवाद और रिसालत' : जन-जन के लिए उपयोगी पुस्तक

''अवतारवाद और रिसालत'' डॉ॰ मुहम्मद अहमद के मौलिक विचार-पुंजों की एक ऐसी सार्थक कृति है जिसके प्रत्येक पृष्ठ में उनकी प्रतिभा साकार हो उठी है । लगभग आठ वर्षों के गंभीर अध्ययन और चिंतन के बाद उन्होंने अवतारवाद और रिसालत पर ग्रंथों के संदर्भ के साथ जो तुलनात्मक प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत किया है, वह जन-जन के लिए उपयोगी है । पुस्तक में स्थान-स्थान पर चिंतन के नये पक्ष उद्घाटित हुए हैं जिनसे अवतार और रिसालत की यथार्थता उभर कर सामने आ गयी है ।

वास्तव में ''अवतार'' ऊपर से नीचे की ओर आने अथवा उतरने की क्रिया या भाव है । पौराणिक क्षेत्र में अवतार का आशय है ईश्वर परमात्मा का भौतिक या मानव-रूप धारण करके इस संसार में आना । कोशानुसार ''अवतार'' का एक अर्थ यह भी है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में यह माना जाता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि है । इसी आशय को स्पष्ट करते हुए लेखक का अपने ''दो शब्द'' के अंतर्गत यह लिखना युक्ति-युक्त है कि अवतार मौलिक रूप से इस अर्थ में है कि ईश्वर अपने प्रिय बन्दों द्वारा इन्सानों का मार्गदर्शन कराता है और कष्टों से छुटकारा दिलाता रहा है, यही अर्थ रिसालत और अवतार दोनों का है ।

''ईश्वर का अवतार क्यों ?'' शीर्षक के अंतर्गत पृष्ठ 28 पर लेखक की यह मौलिक अभिव्यक्ति कितनी सार्थक है कि ''ईश्वरीय आदेशों और शिक्षाओं में जब परिवर्तन आ जाता है या उनमें मिलावट हो जाती है, जिसके नतीजे में बिगाड़ पैदा हो जाता है, तो ईश्वर अपने आदेशों और अपनी शिक्षाओं को अर्थात धर्म को फिर से उनके मूल स्वरूप में अवतारों के माध्यम से लोगों के सामने पेश करके उनका मार्गदर्शन करता है । लेकिन इस काम के लिए ईश्वर को स्वयं शरीर नहीं धारण करना पड़ता है, बल्कि वह यह काम अपने दूतों, पैग़म्बरों और अवतारों ''सही अर्थ में'' के द्वारा कराता है ।''

मनुष्य-जीवन की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए लेखक द्वारा मनुष्य के जीवनोद्देश्य का निरूपण जिन सरल शब्दावलियों में किया गया है, वह क़ाबिले-तारीफ़ है–''अल्लाह ने मनुष्यों पर अनगिनत उपकार किये हैं । मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाकर उसे जानने-सोचने और समझने की शक्तियां व क्षमताएं प्रदान कीं । मनुष्य को पैदा करने के उद्देश्य बताए, अपना ज्ञान प्रदान किया और सिर्फ़ अल्लाह का बन्दा बनकर जीवन बिताने का निर्देश दिया... अल्लाह ने मनुष्य को बता दिया कि वह सांसारिक जीवन तुम्हारे लिए एक परीक्षा की अवधि है, जिसके पश्चात तुम्हें मेरे पास लौटना होगा और मैं तुम्हें परीक्षा-फल दूंगा ।'' वास्तव में लेखक की ये पंक्तियां मनुष्य को प्रबोधित करने में पूर्ण सक्षम हैं और इसमें उन्हें मानवोचित कार्याचरण करने की सद्प्रेरणा भी प्राप्त होगी ।

निष्कर्षत : लेखक ने इस कृति में अपने आठ वर्ष के गंभीर अध्ययन-मनन और चिंतन की जिन सूत्रों में पिरोया है, वे पठनीय, मननीय और अमल करने योग्य हैं । अवतारवाद और रिसालत के मूल तथ्यों को तार्किक एवं प्रामाणिक दृष्टि से प्रस्तुत करने हेतु डॉ॰ मुहम्मद अहमद ने विभिन्न धर्मशास्त्रियों और ग्रंथों से सार तत्व ग्रहण कर उसे अपनी मौलिक चिंतनाशक्ति से जिस प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है वह सहज नहीं अपितु एक श्रमसाध्य कार्य है ।

इस समूची कृति में अवतार और रिसालत के संबंध में मानव और मानवता की अनेक ज्ञानवर्धक और प्रेरक पाठ्य सामग्री सन्निहित है । वास्तव में इस कृति के अध्ययन से अवतारवाद की यथार्थ अवधारणा स्पष्ट हो जाती है । मेरी दृष्टि में 'अवतारवाद और रिसालत' कृति को शोध पुस्तक की संज्ञा देना सर्वथा उपयुक्त होगा । पुस्तक की छपाई, सफ़ाई भी अत्युत्तम है । मेरे विचार से पुस्तक के अंत में समस्त संदर्भ ग्रंथों पत्र-पत्रिकाओं की सूची जिनसे इस कृति के लेखन में यत्किंचित भी सहयोग प्राप्त हुआ है, की सूची में दी जानी चाहिए तथापि ऐसी उत्कृष्ट कृति के सृजन, प्रकाशन और विद्वज्जनों तक प्रेषण के लिए हम अपने सुहृद जनाब डॉ॰ मुहम्मद मुहम्मद जी को हार्दिक बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी उनकी सशक्त कृतियां साहित्य-जगत को यथावत् आलोकित करती रहेंगी ।

■ डॉ॰ त्रिलोकी सिंह

भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था

❖ मौलाना जलालुद्दीन उमरी

भारतीय समाज शताब्दियों से चार प्रमुख वर्णों में विभाजित रहा है । ये वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । वेदों के अनुसार ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता) के मुख से ब्राह्मण अस्तित्व में आये, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हुए । तदतंर इसी लिहाज़ से इनके काम और समाज में इनका स्थान नियत हुआ । ब्राह्मणों को धार्मिक नेतृत्व मिला । समाज में इनका स्थान सबसे ऊंचा था । देश की सुरक्षा और उस पर शासन करने की ज़िम्मेदारी क्षत्रियों को सौंपी गयी । वैश्यों की सामाजिक स्थिति इनके बाद थी । इनका काम कृषि, खेतीबाड़ी और व्यापार था । शूद्रों का काम इन सबकी सेवा करना तय पाया । ये सबसे निम्न वर्ण के थे । वर्णों का यह विभाजन ईश्वरीय विभाजन स्वीकार कर लिया गया ।



कहा जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य के विभिन्न अंग अपनी जगह अपना-अपना काम करते हैं, तभी जीवन की गाड़ी शांतिपूर्वक चलती है और जब इसमें व्यवधान उत्पन्न होता है, तो जीवन की सुख-शांति भंग हो जाती है । इसी प्रकार ईश्वर ने समाज के विभिन्न वर्णों को विभिन्न कामों के लिए पैदा किया है और वे सब मिलकर समाज की ज़रूरतों को पूरी करते हैं । लेकिन यह तर्क और दर्शन बिल्कुल ग़लत और आधारहीन है, क्योंकि ईश्वर ने इन्सान या जानवर के जिस अंग को जिस काम के लिए पैदा किया है, वही काम वह कर सकता है, कोई दूसरा काम वह नहीं कर सकता । आंख देख सकती है, उससे सुनने या बोलने का काम नहीं लिया जा सकता । इसी तरह हाथ स्पर्श करने व पकड़ने और पैर चलने के लिए बनाए गये हैं, वे बोलने या देखने की क्षमता से वंचित हैं ।

इसी लिए इनसे बोलने और देखने का काम नहीं किया जा सकता । लेकिन इन्सान विभिन्न योग्यताएं लेकर पैदा होता है, उन्हें किसी एक निश्चित कार्य का पाबन्द नहीं बनाया जा सकता । अत: सभी इन्सानों को उनकी अपनी स्वाभाविक योग्यता के आधार पर कार्य करने का समान अवसर मिलना चाहिए । इसी से वे व्यक्तिगत रूप से उन्नति कर सकते हैं और समाज के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं ।

वर्ण-व्यवस्था में कामों का विभाजन क्षमता व योग्यता के आधार पर नहीं है, बल्कि इसका आधार नस्ल पर है । इसका अर्थ यह है कि एक विशिष्ट नस्ल के लोग ही धार्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे और धार्मिक नेतृत्व उन्हीं को प्राप्त रहेगा । किसी दूसरी नस्ल और वर्ण के लिए धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना निषिद्ध होगा और वह कभी धार्मिक नेतृत्व नहीं कर सकेंगे । जिस नस्ल (जाति) का संबंध शासन करने और देश की सुरक्षा से है; सत्ता और सेना उसी के हाथ में होगी । शासन और सत्ता का अधिकार किसी दूसरी नस्ल को प्राप्त न होगा । जिस नस्ल का संबंध कृषि व खेतीबाड़ी से है, यही सदैव उसका देश होगा । इसके लिए किसी और जीवन-विभाग में हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा ।

इस तरह जो नस्ल गुलामी और चाकरी के लिए विशिष्ट है, वह सदैव व हर हाल में यही काम करेगी और वह इस चक्र से कभी बाहर नहीं निकल सकती ।

इन वर्णों को उनकी सेवाओं और पेशों के लिहाज़ से उच्च व निम्न वर्ण में विभाजित कर दिया गया है । ब्राह्मण को सबसे उच्च व प्रतिष्ठित समझा गया है, इसलिए कि

स्वस्थ समाज का आह्वान

धार्मिक नेतृत्व उसके हाथ में है । इसके बाद क्षत्रिय व वैश्य हैं । सबसे निम्न वर्ण शूद्र ठहराया गया है और उसके भाग्य को दासता व गुलामी से जोड़ दिया गया है । इन वर्णों को जीवन के संसाधन और आजीविका भी उच्च व निम्न के विभाजन के अनुपात में ही प्राप्त हो रही हैं । जो वर्ण धार्मिक नेतृत्व कर रहा था, उसे उसकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उसमें दक्षता प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध रहीं ।

धार्मिक नेतृत्व व शासन एक-दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए इस वर्ण को प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक नेतृत्व और मार्गदर्शन का पद भी प्राप्त रहा । इस लिहाज़ से आर्थिक संसाधनों पर भी उनका क़ब्ज़ा रहा । क्षत्रियों को शासन करने का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त था, इसलिए प्रशासनिक लाभ उसे प्राप्त थे । कोई दूसरी नस्ल न तो शासन का दावा कर सकती थी और न उसमें शरीक हो सकती थी । वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रियों के दया पर निर्भर थे और देश की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे । शूद्र इन सारी सुविधाओं और अवसरों से वंचित थे, जो उन वर्णों को प्राप्त थे । इसके परिणामस्वरूप आर्थिक ही नहीं, सामाजिक पहलू से भी उत्थान और पतन की धारणा ने जन्म लिया ।



उच्च वर्ण के लोगों ने निम्न वर्ण के लोगों को समानता का अधिकार नहीं दिया, न सामाजिक संबंधों में और न ही सामाजिक व्यवहार में । यहां तक कि खाने-पीने और उठने-बैठने में यह अन्तर बाक़ी रहा । इससे आगे बढ़कर एक के पवित्र और दूसरे के अपवित्र व अशुद्ध होने की धारणा पैदा हुई और छूत-छात व असमानता की धारणा ने समाज में अपना स्थान बना लिया । इन्सानों के मध्य इस विभाजन को धार्मिक प्रमाण पत्र प्राप्त रहा और वह ईश्वरीय विभाजन समझ लिया गया, इसलिए इसे चुनौती भी नहीं दी गयी ।

इन्सानों के मध्य यह पृथकता, अत्याचारपूर्ण एवं बुद्धि व प्रकृति के खुल्लमखुल्ला ख़िलाफ़ और उनके मान-सम्मान व शराफ़त के बिल्कुल विरुद्ध है । इसकी बुनियाद पर जो समाज अस्तित्व में आएगा, वह न्याय व इन्साफ़ से निश्चित रूप से वंचित और अन्याय एवं असंतुलन का हमेशा शिकार रहेगा । इस अन्तर और भेदभाव को आज पूरी दुनिया ज़ुल्म समझती है और मानवाधिकार के संगठन इसके विरुद्ध आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन इसे मिटाने में सफल नहीं हैं । भारतीय संविधान भी इसे उचित नहीं माना और यहां की राजनैतिक पार्टियां भी इसे न्याय और इन्साफ़ के विरुद्ध समझती हैं और इसे हर पार्टी अपना राजनैतिक मुद्दा बनाती है, लेकिन हमारे समाज ने अभी इसे पूर्णरूप से स्वीकार नहीं किया है, इसलिए सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर ज़ुल्म व अन्याय और असमानता का व्यवहार जारी है ।

इस मौक़े पर इस्लाम की तरफ़ नज़र जाती है, तो इस यक़ीन में और वृद्धि होती है कि मानव-जीवन की अन्य समस्याओं की तरह वह इस समस्या को भी इस तरह हल करता है कि इससे बेहतर हल की आशा नहीं की जा सकती । वह इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध न्याय व इन्साफ़ पर आधारित एक नयी व्यवस्था पेश करता है । यहां इसके कुछ पहलुओं की निशानदेही की जा रही है ।

इस्लाम हर तरह के शोषण का विरोधी है । वह इस बात की भी अनुमति नहीं देता कि एक इन्सान दूसरे इन्सान का या एक समुदाय दूसरे समुदाय का किसी भी तरह शोषण करे । वह ज़ुल्म व अत्याचार के हर मुमकिन रास्ते पर रोक

लगाता और इन्सान को न्याय व इन्साफ़ का पाबन्द बनाता है ।

दुनिया की हर व्यवस्था, कार्य-विभाजन के आधार पर चलती है । यह विभाजन योग्यता के आधार पर होना चाहिए, न कि वर्ण व समुदाय के आधार पर । न कोई वर्ण किसी काम से वंचित किया जा सकता है और न किसी वर्ण के लिए सेवाएं, पद व मंसब अनिवार्य रूप से सुरक्षित किय जा सकते हैं । वैचारिक स्वतंत्रता के साथ व्यावहारिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए । यही प्राकृतिक नियम है और यही इस्लाम की शिक्षा है ।

इस्लाम की शिक्षा है कि कोई व्यक्ति या गिरोह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, तो उसे ऊपर उठाने और मज़बूत बनाने की कोशिश की जाए और उसे असहाय और बेबसी की हालत में न छोड़ा जाए । उसकी परेशानियों में काम आना और उसकी तरक़्क़ी की राह की हर बाधा दूर करना लोगों और संस्थाओं की ज़िम्मेदारी है । शासन की ज़िम्मेदारी इस मामले में सबसे अधिक है ।

शिक्षा के क्षेत्र में नागरिकों के बीच कोई अन्तर नहीं होना चाहिए । प्रत्येक को इसका अवसर प्राप्त हो कि वह शिक्षा के जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहे बढ़े । इस्लामी इतिहास साक्षी है कि इस्लाम ने समाज में शिक्षा का आम वातावरण पैदा किया, जिसके परिणामस्वरूप हर वर्ण, हर क्षेत्र और प्रत्येक देश के मुसलमानों के लिए ज्ञान की राहें खुली रहीं और हर क्षेत्र में उन्होंने तरक़्क़ी की । कुरआन, हदीस, भाष्य, इस्लामी धर्मशास्त्र जैसे विशुद्ध इस्लामी शिक्षाओं के अलावा साहित्य, इतिहास, सामाजिक शिक्षा, दर्शनशास्त्र, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र और अंकशास्त्र के क्षेत्र में भी अरब व ग़ैर-अरब के हर वर्ण ने अग्रसरता दिखायी और अपनी भूमिका अदा की, बल्कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान-विज्ञान को फैलाने और उन्नति देने में ग़ैर-अरबों की भूमिका अरबों से अधिक रही ।

प्रत्येक वर्ण के लोगों ने अपनी योग्यता के आधार पर दीनी इमामत (धार्मिक नेतृत्व) भी किया, शासन की बागडोर भी संभाली और ऊंचे पद भी प्राप्त किये, किसी की राह में कोई बाधा नहीं आयी । समाज में कमज़ोरों और ताक़तवरों के बीच समानता पैदा की । छोटे-बड़े, अधम-श्रेष्ठ और ऊंच-नीच की धारणा को ख़त्म किया और सबको एक समान अधिकार दिये । समाज में जब तक बराबरी का एहसास न हो, आदमी मनोवैज्ञानिक रूप से ऊंच-नीच का शिकार रहेगा ।

इस्लाम की धारणा है कि अल्लाह के निकट सफलता और असफलता का मानदंड वर्ण और समुदायों पर नहीं, बल्कि ईमान और सद्कर्म पर है । इसके अलावा निम्नता और उच्चता के सारे मानदंड झूठे हैं । यहां ज्ञान और कर्म से लिहाज़ से जो उच्च और श्रेष्ठ होगा, अल्लाह के यहां भी वही उच्च व श्रेष्ठ होगा । जो यहां इस दौलत से वंचित होगा, वहां वह निर्धन समझा जाएगा और सबसे बड़े घाटे में पड़ा हुआ होगा ।

लेकिन अफ़सोस कि इस्लाम की इस धारणा को इस देश में आम करने की कोशिश एक लंबी अवधि से न हो सकी और ख़ुद इस्लाम के अनुयायी यहां की सभ्यता के प्रभाव में आकर झूठे भेदभाव का शिकार हो गये और ऊंच-नीचे के इन मानदंडों को कार्यान्वित रूप से स्वीकार कर लिया, जो इस देश में प्रचलित थे । अन्यथा इस्लाम इस देश के लिए जीवनदायक पैग़ाम साबित होता और वर्णों में बंटा हुआ यह समाज और ज़ुल्म व ज़्यादती की मारी हुई यह इन्सानी आबादी इसके समानता के पैग़ाम पर अमल कर इस तरह आगे बढ़ती जैसे धूप की गर्मी से प्यासा शीतल और मीटे पानी की ओर बढ़ता है ।

ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान अपने देशवासियों को सारे संसार के स्रष्टा व परवरदिगार के प्रदान किये हुए इस न्याय व इन्साफ़ की ओर अपने कथन और कर्म से दावत दें और यहां के वर्णों पर आधारित सभ्यता के दुष्प्रभावों से अपने दामन को बचाते हुए आगे बढ़ें और देशवासियों को भी सामाजिक न्याय की प्राप्ति का सन्मार्ग दिखाएं ।

For Information On
City Shops, RoaosQ, Restaurants, Magazines, Schools and much more.
Syed Shahbaz Alam Barvi
Business Development Director (09049185093)
Visit us:
www.shoppinglanes.com

मंगलग्रह, मंगलवार व अंधविश्वास

■ डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात
(एम॰ए॰, पी-एच॰डी॰)

मंगल से मंगलवार को हमने जोड़ रखा है और इस दिन को कोई 'सख़्त' बताते हैं तो कई इस या उस देवी-देवता से इसे जोड़ते हैं । कई इस दिन मांस नहीं खाते, बाक़ी दिन सब कुछ खाते रहते हैं । कई इस दिन उपवास करते हैं, कई इसे हनुमान से जोड़ते हैं । कई इस दिन दाढ़ी नहीं बनाते, कई जगहों पर नाई इस दिन सांप्रदायिक छुट्टी करते हैं, शायद इस विश्वास के कारण कि इस दिन कम ग्राहक आएंगे : कई दाढ़ी नहीं बनाते तो कई केश नहीं कटाएंगे ।

मंगल शब्द का अर्थ है–खुशी, इसी लिए मिलने पर एक-दूसरे से पूछते हैं–आनन्द मंगलम् ? अर्थात क्या आनंद से हो, खुशी से हो ? परन्तु प्राचीनकाल से मंगल ग्रह अनिष्टकारी ग्रह माना जाता है । कारण ? अंधविश्वास ।

मंगल का रंग : मंगल ग्रह का रंग लाल होने के कारण इसे 'अंगारक' (अंगारे जैसा, अंगारों से भरा) और 'लोहितांग' (लाल अंगों वाला) कहा जाता था । इस रंग के कारण प्राचीन भारतीय हिन्दू लोग डर गये कि यह तो आग बरसाएगा । यह अज्ञानता और अंधविश्वास का ही परिणाम था ।

लाल रंग : वैसे तो हिन्दू लोग लाल रंग को खुशी से जोड़ते हैं–विवाह के समय बहुएं लाल वस्त्र पहनती हैं, लाल रंग का टीका लगाते हैं और स्त्रियां केशों ममें लाल सिंदूर डालती हैं, आदि । परन्तु लाल रंग का तारा देखकर हमारे ऋषि-मुनि डर गये कि यह आग उगलेगा । उन्हें वैसे तो 'सर्वज्ञ' कहा जाता है कि वे सब कुछ समाधि लगा कर जान लेते थे । परन्तु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि लाल रंग उन तारों का होता है जिनकी सतह का तापमान अपेक्षाकृत रूप में कम होता है । पीले रंग के तारे की सतह का तापमान मध्यम होता है और अस्ल में आग बरसाने वाला सबसे ज़्यादा तापमान वाला तारा–नीले सफ़ेद रंग का होता है ।

मंगल का रंग लाल क्यों ?

मंगल की बालूमय मिट्टी में लौह आक्साइड (=जंग लगा हुआ लोहा) है । अत: वह लाल रंग का दिखायी देता है, न कि सतह के तापमान की अधिकता के कारण ।

भारतीय कहानियों में मंगल को भूमि का पुत्र (भौम) कहा गया है तो यूनानी-रोमन कहानियों में इसे 'युद्ध का देवता' माना गया है । रोमन में इसे 'मार्स' कहते हैं तथा यूनानी में 'आरेस' ।

मंगल की गतियां

हम देखते हैं कि आकाश के दूसरे पिंडों की तरह ग्रह पूर्व में उदित होकर पश्चिम में डूबते हैं । मगर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वे तारों से पिछड़ जाते हैं । (ध्यान रहे : सूर्य तारा है, मंगल ग्रह है । जो पिंड सूर्य के गिर्द घूमते हैं वे ग्रह हैं) पिछड़ने का अर्थ है कि वे तारों के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर विभिन्न कोणीय वेगों से सूर्य के रास्ते (रविपथ/ क्रांतिवृत्त) के आसपास रहकर यात्रा करते हैं । पश्चिम से पूर्व की ओर की अपनी इस गति में ग्रह कभी तेज़ चलते हैं, कभी धीमे, कभी उलटे (=वक्री) चलते हैं और कभी सीधे (=मार्गी)।

मंगल भी एक ग्रह है । अत: उसकी यही वक्री गति है । इसमें न कोई अजूबा है और न इससे किसी व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है, जैसे ज्योतिषियों द्वारा दावे किये जाते हैं ।

मंगल वक्री क्यों ?

पृथ्वी अपनी कक्षा (Orbit) में लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से गति करती है । मंगल ग्रह 24 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से गति करता है । इसलिए पृथ्वी पर स्थित लोगों को मंगल कभी वक्री दिखायी देता है, कभी मार्गी ।

वास्तव में न मंगल और न ही कोई दूसरा ग्रह कभी उलटी गति (=वक्री) करता है । हमारे ज्योतिषी इस दृष्टिभ्रम के शिकार हैं और अंधविश्वासपूर्ण बातें करते हैं ।

कोपर्निकस की देन

हमारी पृथ्वी और मंगल की गतियां सापेक्ष हैं–एक की गति 30 मिलोमीटर प्रति सेकेंड है तो दूसरे की 24 किलोमीटर प्रति सेकेंड । इसी कारण यह धारा दृष्टिभ्रम पैदा

होता है ।

ज्योतिषियों के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में यह नहीं बताया गया कि इस तरह ग्रहों की विभिन्न गतियां कैसे पैदा होती हैं । वे बता ही नहीं सकते थे, क्योंकि वे पृथ्वी को अचल (स्थिर) मानते थे और सूर्य ही उनकी पृथ्वी के गिर्द चक्कर मारता रहता था । पृथ्वी को 'अचला' मानने वाले ग्रहों की इन गतियों की व्याख्या कर ही नहीं सकते ।

इन गतियों की व्याख्या निकोलस कोपर्निकस (1473-1543 ई॰) द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत द्वारा ही संभव हुई कि विश्व का केन्द्र पृथ्वी नहीं, सूर्य है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के गिर्द घेमते हैं ।

मंगल की गति व स्थिति

मंगल ग्रह 687 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा करता है । सौर मंडल का मंगल जैसा कोई बाहरी ग्रह जब पृथ्वी के आकाश में सूर्य की विपरीत दिशा में होता है तो कहा जाता है कि वह 'वियुति' (विरोध, उलट दिशा) में है । ऐसे समय में पृथ्वी उस ग्रह और सूर्य के बीच में होती है । तब वह ग्रह रात के आकाश में ख़ूब चमकीला दिखायी देता है । मंगल ग्रह लगभग हर 2 वर्ष, 2 महीनों के बाद (औसतन 780 दिनों के बाद) 'वियुति' की स्थिति में पहुंचता है ।

पृथ्वी लगभग एक वृत्ताकर कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है, परन्तु मंगल एक अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है ।

अंडाकार कक्षा में घूमने के कारण वियुति के समय के दौरान जब मंगल ग्रह सूर्य के बहुत क़रीब आ जाता है तब पृथ्वी से उसकी दूसरी केवल 560 लाख किलोमीटर रह जाती है, इसके विपरीत, जब यह ग्रह वियुति के दौरान सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तब पृथ्वी से इसकी दूसरी 1020 लाख किलोमीटर होती है । मंगल औसतन 16 वर्ष बाद धरती के बहुत क़रीब आता है । 2003 में 27-28 अगस्त को मंगल पृथ्वी से सिर्फ़ 558 लाख किलोमीटर दूर था और यह स्थिति 60,000 वर्ष बाद आयी थी । आगे 2287 ई॰ में मंगल पृथ्वी के इससे भी ज़्यादा निकट आएगा ।

मंगल के चन्द्र

हमारी पृथ्वी का केवल एक चन्द्र है । पुराने ज़माने के ज्योतिषी और तथाकथित त्रिलोक के ज्ञाता और त्रिकालज्ञ एक ही चन्द्र के बारे में जानते थे । हमारे उन ग्रंथों तक में एक ही चन्द्र का उल्लेख है जिन्हें कथित तौर पर ईश्वर-रचित (अपौरुषेय) कहा जाता रहा था जिन्हें समाधि-दशा में प्राप्त ज्ञान के आधार पर त्रिकालज्ञ एवं महा तपस्वी ऋषियों ने रचा कहा जाता रहा है । कथित भगवान के किसी कथित अवतार, उसके किसी कथित पुत्र अथवा उनसे सीधे संदेश प्राप्त करने के दावे करने वाले उसके किसी कथित चुनिंदा व्यक्ति ने भी एक से ज़्यादा चांदों की बात नहीं की । हालांकि उन्होंने चांद्र वर्ष का अनुगमन किया और धर्म तथा चांद को घी खिचड़ी किया ।

ईश्वर के कथित पुत्र के अनुयायियों के एक दल इंक्वीजीशन द्वारा नास्तिक ठहराये गये गैलीलियो (1564-1642) ने 1610 ई॰ में बृहस्पति ग्रह के 4 चांदों की खोज की थी और आज हमारे सौरमंडल में इन चन्द्रों की संख्या 75 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें 2 चन्द्र मंगल ग्रह के भी हैं--फोबोस और देइमोस । इन दोनों को अमेरिकी खगोलविद् आसफ़ हाल (1829-1907 ई॰) ने खोज निकाला था ।

मंगल तक पहुंचे यान

मंगल 1965 में जब पृथ्वी के निकट आया था, तब नासा ने पहली बार मैरिनर-4 यान भेजा था, जिसने ग्रह के पास से गुज़रते हुए 21 चित्र उतारे थे ।

अगस्त 1971 में मंगल पृथ्वी के बहुत क़रीब था--मात्र 562 लाख किलोमीटर । तब अमेरिका ने मैरिनर-9 यान और सोवियत संघ-रूस ने 'मार्स' नामक दो यान मंगल की ओर भेजे थे ।

1975 में फिर मंगल पृथ्वी के निकट आया तो नासा ने पहली बार वाइकिंग-1 यान मंगल की सतह पर उतारा । इससे उनके जनवायु आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई ।

1988 में जब पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी 584 लाख किलोमीटर थी, तब सोवियत संघ ने 'फोबोस' नामक दो अंतरिक्षयान मंगल की सतह पर उतारे । 1997 में नासा के 'साजर्न' यान ने मंगल की सतह की यात्रा की और उसके चित्र पृथ्वी पर भेजे ।

1999 में भेजा गया मार्स पोलरलैंडर मंगल की सतह पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था । यह 11 प्रयासों में

5वीं बार की असफलता थी ।

2003 (जुलाई-अगस्त) में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्स एक्सप्रैस भेजा । नासा ने दो रोबोट गाड़ियां-स्पिरिट व अपार्च्युनिटी मंगल की ओर भेजीं । जनवरी 2004 में 'बगी' गाड़ी मंगल तल पर उतरी । उसके कुछ दिन बाद नासा की दोनों रोबोट गाड़ियां ग्रह की विपरीत दिशाओं में उतरी । नासा के 'सर्वेपर' और 'ओडेसी' यान पहले से ही मंगल की परिक्रमा कर रहे थे तथा सतह के बारे में सूचनाएं एकत्र कर रहे थे ।

यान जाते कैसे हैं ?

यदि राकेटयान को पृथ्वी से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से प्रक्षेपित किया जाए तो वह एक वृत्ताकार में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगता है । यदि यान को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से ज़्यादा गति से प्रक्षेपित किया जाए तो वह दीर्घवृत्ताकार (अंडाकार) कक्षा में पृथ्वी का चक्र लगाएगा, परन्तु यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड का वेग प्रदान किया जाए तो वह एक ऐसे वक्र में आगे बढ़ेगा जिसे परवलय (पैराबोला) कहते हैं । इस कक्षा में छोड़ा गया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को लांघकर सूर्य की परिक्रमा करने लग जाएगा–बशर्ते कि उनके मार्ग में कोई दूसरा ग्रहण न आ जाए । प्रति सेकेंड 11.6 किलोमीटर के वेग से छोड़ा गया राकेट यान 7-8 महीनों बाद मंगल के समीप पहुंच जाता है । फीनिक्स 10 महीनों के बाद मंगल पर उतरा है–इसकी यात्रा 4 अगस्त, 2007 को शुरू हुई थी ।

मंगल का भूगोल

विभिन्न यानों के माध्यम से मंगल के बारे में काफ़ी बातें ज्ञात हो चुकी हैं । वहां न आग बरसती है, न कोई युद्ध का देवता ही बैठा है । वहां की धरती पर मिट्टी में बालू मिली हुई है और उसमें जंग लगा हुआ लोहा मिला हुआ है । इसी कारण उसकी सतह लाल नज़र आती है ।

यह एक चट्टानी ग्रह है और पृथ्वी से काफ़ी छोटा है । इसकी सतह पर विशेषकर इसके दक्षिणी गोलार्ध में, एक विशाल खड्ड है । हेलास नामक खड्डा 2000 किलोमीटर चौड़ी और 4 किलोमीटर गहरी है । वहां बड़े-बड़े ज्वालामुखी शिखर भी हैं । मंगल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी शिखर-ओलंपस मोंस-600 किलोमीटर, चौड़ा और 24 किलोमीटर ऊंचा है-यानी माउंट एवरेस्ट से क़रीब 3 गुना ऊंचा ! वहां हज़ारों किलोमीटर लंबी और अत्यंत चौड़ी तथा गहरी घाटियां (केनयंस) भी है ।

मंगल की सतह पर धूलभरी तेज़ हवाएं चलती हैं । हवा में कार्बन डाइआक्साइड 95 प्रतिशत है, नाइट्रोजन 3 प्रतिशत है तथा आक्सीजन की मात्रा नगण्य है । वहां सतह पर वायुमंडल का दाब पृथ्वी की तुलना में महज़ एक प्रतिशत है ।

आग नहीं, बर्फ़

मंगल का औसत तापमान शून्य से 55 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है-55 डिग्री मंगल के ध्रुवीय क्षेत्र तुषार (बर्फ) की परतों से ढके हुए हैं । ऋतु परिवर्तन के साथ ये क्षेत्र घटते-बढ़ते रहते हैं ।

मंगल की सतह पर विशाल नदियों तथा उनकी सहायिकाओं के सूखे पाट भी मौजूद हैं । ये पाट 1500 किलोमीटर तक लंबे और 200 किलोमीटर तक चौड़े हैं । यह पानी संभवत: मंगल के ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फराशि की टोपियों के रूप में जम गया, क्योंकि नये प्राप्त चित्रों से पता चलता है कि न केवल दक्षिणी ध्रुव-क्षेत्र में, बल्कि उत्तरी ध्रुव-क्षेत्र में भी सतह के कुछ नीचे बर्फरूप पानी की परत मौजूद है ।

आक्सीजन बिन जीवन

विशेषज्ञों का मानना है कि अतीत में मंगल पर भले ही ऑक्सीजन न रही हो, मगर पानी अवश्य रहा है । यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि कुछ सूक्ष्म जीवाणु ऑक्सीजन के बिना भी पनप सकते हैं । आरंभ में पृथ्वी पर भी ऑक्सीजन कहां थी ? फिर भी यहां जीवन पनपा ही ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मंगल हमारी पृथ्वी की तरह का एक चट्टानी ग्रह है जो पृथ्वी से छोटा है तथा वहां शून्य से 55 डिग्री नीचे तापमान रहता है । सतह के नीचे बर्फ की परते हैं । वह ग्रह न कोई अनिष्ट ला सकता है, न युद्ध । आपके उपवास रखने से उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला । वह न किसी के भविष्य को प्रभावित कर सकता है, न विशेष तरह के नग अंगूठियों में पहनने से वह प्रसन्न हो सकता है और न उस दिन मांस खाने से रुष्ट । आख़िर एक 71 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित चट्टानी इलाक़े को इससे क्या लेना-देना हो सकता है ?

हमारी पाठ्य पुस्तकें

🕮 आसान कहानियाँ	अफ़ज़ल हुसैन		10.00
🕮 अख़लाक़ी कहानियाँ – 1	अफ़ज़ल हुसैन		10.00
🕮 अख़लाक़ी कहानियाँ – 2	अफ़ज़ल हुसैन		10.00
🕮 अख़लाक़ी कहानियाँ – 3	अफ़ज़ल हुसैन		12.00
🕮 अख़लाक़ी कहानियाँ – 4	अफ़ज़ल हुसैन	[set 44.00]	12.00
🕮 क़ुरआन की बातें–1(बच्चों के लिए)	सय्यद नज़र ज़ैदी		20.00
🕮 क़ुरआन की बातें–2(बच्चों के लिए)	सय्यद नज़र ज़ैदी	[set 38.00]	18.00
🕮 नेक औरतें–1	मतीन तरिक़ बाग़पती		15.00
🕮 नेक औरतें–2	मतीन तरिक़ बाग़पती	[set 27.00]	12.00
🕮 नवीन सरल गणित–1	सम्पादन समिति		30.00
🕮 नवीन सरल गणित–2	सम्पादन समिति		35.00
🕮 नवीन सरल गणित–3	सम्पादन समिति		50.00
🕮 नवीन सरल गणित–4	सम्पादन समिति		50.00
🕮 नवीन सरल गणित–5	सम्पादन समिति	[set 279.00]	114.00
🕮 प्यारे रसूल (सल्ल0)	अफ़ज़ल हुसैन		14.00
🕮 सामान्य ज्ञान (भाग–1)	अफ़ज़ल हुसैन		08.00
🕮 सामान्य ज्ञान (भाग–2)	अफ़ज़ल हुसैन	[set 18.00]	10.00
🕮 सच्चा दीन (पहला भाग)	अफ़ज़ल हुसैन		55.00
🕮 सच्चा दीन (दूसरा भाग)	अफ़ज़ल हुसैन		60.00
🕮 सच्चा दीन (तीसरा भाग)	मौलाना मुहम्मद यूसुफ इस्लाही		75.00
🕮 सच्चा दीन (चौथा भाग)	मौलाना मुहम्मद यूसुफ इस्लाही		80.00

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26981652, 26984347, Fax: 26987858
E-mail: mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

हिन्दी सम्मेलन बनाम हिन्दी-दुर्दशा

■ सी॰ के॰ रहमानी

14 सितम्बर को देश में हिन्दी दिवस ज़ोर-शोर से मनाया गया । इस बार विश्व हिन्दी सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया । उनके अलावा रक्षा राज्यमंत्री बी॰के सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृहमंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कई अन्य मंत्री इस सम्मेलन में शामिल हुए । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर राज्य का पूरा अमला इस कार्यक्रम में लगा रहा ।

इस सम्मेलन की ख़ास बात यह रही कि पूरे भोपाल मेमं हिन्दी या हिन्दी लेखकों के फ़ोटो न के बराबर थे जबकि सड़कें, चौराहे और गलियां नरेन्द्र मोदी के पोस्टरों और फ़ोटो से पटे पड़े थे । यह इस बात का प्रमाण था कि हिन्दी भले ही जहां की तहां पड़ी रहे, लेखकों भले ही खुश न हो लेकिन प्रधानमंत्री को प्रसन्न करना राज्य सरकार के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था ।

हिन्दी सम्मेलन के उद्घाटन मौक़े पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 'मैंने हिन्दी चाय बेचते-बेचते सीखी ।' उत्तर प्रदेश के लोग भैंस और दूध बेचने आते थे उनसे हिन्दी सीखी जबकि मैं गुजराती भाषी हूं ।' कार्यक्रम में एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि सम्मेलन के नाम पर लेखक दारू पीने आते हैं, इसलिए इस बार ऐसे दारूबाज़ों को नहीं बुलाया गया । जैसा कि होता आया है इस कार्यक्रम में औपचारिक तौर पर हिन्दी के विकास पर ज़ोर दिया गया और उसमें आ रही बाधाओं पर भी चिंता जतायी गयी । कुछ विद्वानों ने हिन्दी को बढ़ावा देने के सुझाव दिये ।

इस बार हिन्दी सप्ताह पखवाड़े में हिन्दी को लेकर कई अख़बारों ने लेख प्रकाशित किये । इन लेखकों ने हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए अपने 'अमूल्य' प्रकट किये तो कुछ ने आशा जतायी कि कुछ समय बाद हिन्दी विश्व स्तर पर अपना डंका बजाएगी ।

कुछ हिन्दी की वर्तनी को लेकर चर्चा की तो कुछ ने इस बात पर एतिराज़ जताया कि हिन्दी में अंग्रेज़ी शब्दों की भरमार हो रही है यह हिन्दी के लिए ख़तरा है । कुछ लोग इस पक्ष में दिखायी दिये कि हिन्दी को लगातार 'लिबरल' बने रहना चाहिए ताकि इसका लगातार विस्तार हो सके । दरअस्ल सितम्बर आते ही लोग हिन्दी लिखने के प्रति सतर्क हो जाते हैं कि कहीं वह ऐसे शब्द या कोई ऐसी बात न लिख जाए जिसके कारण उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़े या उन्हें लोग उनके हिन्दी लेखक होने पर ही सवाल खड़ा कर दें ।

देश में जितने भी मंत्रालय हैं उन सभी में एक हिन्दी विभाग भी होता है । इसके अलावा देश भर में तमाम हिन्दी समितियां हैं । मंत्रालय के हिन्दी विभाग और समितियां पूरे साल विदेशों में घूमकर हिन्दी की सेवा करती हैं । जब पैसा सरकारी हो तो सेवाभाव और भी बढ़ जाता है । उसके विस्तार पर चर्चा करने में मज़ा आता है । यह अलग बात है कि फिर पूरे साल हिन्दी को पूछने वाला भले ही कोई न हो लेकिन इन आठ दिनों तक हिन्दी का जाप होता रहता है । सरकारी समितियां और वो लोग जो हिन्दी के नाम पर मौज करते रहते हैं वे इन दिनों उसका पूजा पाठ कर देश विदेश में 'सेवा' करने में जुट जाते हैं । इसके बाद उन सेवकों का कहीं पता नहीं होता है और हमेशा की तरह अंग्रेज़ी में काम ज्यों की त्यों शुरू हो जाता है ।

हिन्दी दिवस हर साल देश में कार्यक्रम होते हैं और आगे भी होते रहेंगे लेकिन हिन्दी उसी हाल में रहेगी जिस हाल में है । इसके साथ ही इतनी निराशा की भी बात नहीं है कि हिन्दी पिछड़ जाएगी क्योंकि इस भाषा को बोलने वाले 56 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं । इसलिए जो विदेशी कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं या करने जा रही हैं उनका काम भी बिना हिन्दी के नहीं चल पाएगा, क्योंकि उन 56 करोड़ लोगों को अपना ग्राहक बनाने के लिए उन्हें भी मजबूरी में हिन्दी सीखनी ही पड़ेगी ।

ऐसा क्या कारण है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल सम्मेलन होते हैं । उसके नाम पर अनेक समितियां गठित हैं लेकिन

हिन्दी जहां की तहां खड़ी है । क्या किसी अन्य देश में वहां की भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के सम्मेलन आयोजन होते हैं । कभी अमेरिका ने अंग्रेज़ी को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन आयोजित किये हैं ? क्या चीन, जापान, सऊदी अरब, रूस या किसी अन्य देश ने वहां की भाषा को लेकर सम्मेलन किये या उनके हर सरकारी विभाग में अलग से भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोई अलग विभाग होता है । नहीं, क्यों ? क्योंकि उन्हें इस तरह की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी । तो हिन्दी के लिए इस तरह के आन्दोलन की ज़रूरत क्यों पड़ती है ।

हमारे देश में इस समय कई हज़ार हिन्दी पत्र-पत्रिकाएं निकलती हैं जबकि अंग्रेज़ी के अख़बारों और पत्रिकाओं की संख्या हिन्दी के मुक़ाबले चौथाई भी नहीं है । इसके बाद भी उसका वर्चस्व है । इसके कई उदाहरण हैं । हिन्दी भाषा को कम पढ़े-लिखे या गंवार लोगों की भाषा ही माना जाता है ।

हिन्दी की उपेक्षा के क्या कारण हैं ? क्यों इसे ग़रीब गुरबाओं की भाषा कहा जाता है ? क्यों हिन्दी बोलने वाले को भैया कहा जाता है ? क्यों हिन्दी के विस्तार के लिए सम्मेलन बुलाए जाते हैं ? क्यों हिन्दी वाले को बहुत इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखा जाता ? क्यों हिन्दी अख़बार वाले को एक लेख का पारिश्रमिक हज़ार या पांच सौ रुपये पकड़ा दिया जाता है जबकि अंग्रेज़ी के एक लेख का पांच हज़ार तक दिया जाता है । यह भेदभाव लगातार जारी है ।

एक राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक के संपादक को जितनी तनख़्वाह उतनी अंग्रेज़ी के साधारण से पत्रकार को मिलती है । अपवाद स्वरूप चंद हिन्दी के पत्रकारों को छोड़ दीजिए तो बाक़ी के हिन्दी के पत्रकारों को कितना वेतन मिलता है । इसके ठीक उलट यह है कि अंग्रेज़ी के स्ट्रिंगर को जितना वेतन मिलता है, उतना हिन्दी के वरिष्ठ पत्रकार को भी नहीं मिलता ।

आज जितने भी बड़े अधिकारी बनते हैं उनकी पहली शर्त अंग्रेज़ी ही होती है । इसकी जगह पहली शर्त अगर हिन्दी हो तो हालात बदलते देर नहीं लगेगी । दूसरा बड़ा कारण है कि तकनीक, विज्ञान, डॉक्ट्री, आविष्कार या इसी तरह की चीज़ों में हिन्दी का दख़ल नहीं है ।

दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में अख़बार तो दफ़्तरों में 90 प्रतिशत विज्ञप्तियां अंग्रेज़ी में आती हैं । यह रेश्यो भी अब हुई है । कुछ साल पहले तो यह हाल था कि 99 प्रतिशत विज्ञप्तियां अंग्रेज़ी में आती थीं जिन्हें पत्रकारों को अनुवाद करना होता था । जहां तक हिन्दी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद का सवाल है तो वह बहुत अच्छा नहीं होता । जो अनुवाद गूगल करता है वह तो किसी काम का नहीं होता । हां, उसकी हिन्दी-अंग्रेज़ी डिक्शनरी ज़रूर ठीक है । उससे सिर्फ़ शब्दों का अनुवाद ही किया जा सकता है । अंग्रेज़ी से हिन्दी में हिन्दी का रुतबा बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ी की मजबूरी को छोड़ना होगा । आज भी अदालत से लेकर हर बड़े सरकार काम में अंग्रेज़ी की अनिवार्यता है, जो नहीं होनी चाहिए ।

एक बात और जो हिन्दी की सबसे बड़ी विडम्बना है । सरकारी दफ़्तरों, रोड, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस अड्डों, दीवारों, टेंपो, ट्रक, दुकानों के बोर्डों पर सरकारी बोर्डों से लेकर हर जगह आपको हिन्दी में अशुद्धियां और ग़लत हिन्दी मिल जाएगी । ऐसी-ऐसी जगह आपको ग़लत हिन्दी पढ़ने को मिलेगी जहां की आप कल्पना नहीं कर सकते । दूसरी ओर अंग्रेज़ी की हालत इतनी मज़बूत है कि जिस क्षेत्र के लोगों की अंग्रेज़ी कमज़ोर है वहां भी आपको अंग्रेज़ी का बोर्ड, नाम, गांव या जो भी शब्द मिलेंगे एक दम सही मिलेंगे उसमें ग़लती ढूंढ़े नहीं मिलेगी । जैसे यहां 'धुम्रपान' करना मना है । यहां 'मुतना' मना है ।

अस्पताल में 'बिडि' 'सीगरेट' पीना मना है । अमुक 'बिमारी' का तसल्ली 'बखस' 'ईलाज' किया जाता है । 'दिवार' पर लिखना मना है । बसों, ट्रकों, टेंपो और इसी तरह के अन्य वाहनों पर जो शब्द और शेर-ओ-शायरी लिखी होगी उसके अनेक शब्द ग़लत होते हैं । जयपुर में विधानसभा के सामने रोड पर जो दिशा सूचक बोर्ड लगा है उस पर भी ग़लत लिखा हुआ है । इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो मेट्रो रेल लाइन के नीचे जो लिखा है उसमें अशुद्धि देखी जा सकती है, जबकि यहां से पढ़े-लिखे अफ़सर रोज़ाना निकलते होंगे ।

एक तरफ़ हिन्दी का यह आलम है तो दूसरी ओर सरकारी भाषा देखेंगे तो सिर पीट लेंगे । वह यह ऐसी भाषा होती है तो आम तो क्या ख़ास आदमी भी शब्दकोष ढूंढ़ता फिरता है । पहले तो सह समझने की ज़रूरत है कि हिन्दी एकदम पूरी भाषा नहीं है । यह संस्कृत, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, पंजाबी, अंग्रेज़ी, अवधी, खड़ी बोली जैसी कई

बोलियों और भाषाओं को मिलकर बनी है ।

कुछ तंगनज़र लोगों ने हिन्दी बढ़ाने का नारा देकर ऐसी वैमनस्यता फैलायी कि हिन्दी के विकास पर रोक लग गयी । इन्हीं लोगों ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है । जबकि हिन्दी उर्दू के साथ मिलकर अपना विकास कर रही थी और करती रहती क्योंकि उर्दू के साथ मिलकर जो हिन्दी बनती वह आम लोगों की भाषा होती जिसका विस्तार तेज़ी से हो सकता था । अंततोगत्वा, (आख़िरकार) अपरिहार्य, (न टाला जा सकने वाला) लौहपथ गामिनी (ट्रेन), शुष्क रेखांकनी, (पेंसिल) आवक जावक सूचक यंत्र (सिग्नल) सहिष्णुता (मेल-मिलाप, धैर्यवान), वैद्यक (डॉक्ट्री से संबंधित), वैद्युत (बिजली से संबंधित सामान), विलंबी (देरी करने या लटकाने वाला), चलचित्र (फ़िल्म, प्रलेखीय (डाक्यूमेंट्री) (बेहोश) इस तरह के शब्द आम लोगों की भाषा या बोली नहीं कही जा सकती । ऊपर जिन शब्दों का ज़िक्र किया गया है ये सरकारी कामकाज की हिन्दी है जो नहीं होनी चाहिए । उर्दू में हमेशा हिन्दी का विकास किया है जबकि कुछ लोग इसे प्रतिद्वंद्वी मानते हैं । आज जो आम बोलचाल की हिन्दी है उसमें कई भेषाओं का मिश्रण है इसीलिए वह प्रिय लगती है और समझने में आसान होती है ।

व्यंग्य लेखक के॰पी॰ सक्सेना नाम भले ही साहित्य लेखकों में शामिल न किया गया हो लेकिन उन्होंने लेखन में कभी शब्दों की बाधा नहीं आने दी । वाक्य में रवानी के लिए पंजाबी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी जो शब्द फिट बैठा उसे लगा दिया । इसी वजह से लोग उन्हें ज़्यादा पढ़ते । दूसरे लेखक हिन्दी से बंधे होने के चक्कर में वह जनता के क़रीब नहीं पहुंच पाते । पहले अख़बारों से हिन्दी सीखी जाती थी । अख़बार को मानक माना जाता था । कहा जाता था कि देखो अख़बार में यह शब्द ऐसे लिखा है, लेकिन आज स्थितियां बदल गयी हैं । जो पत्रकार आ रहे हैं उनके व्याकरण पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वे ननद को 'नंद', के अतिरिक्त 'मुझको गुस्सा बहुत आती है', पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ 'हो गया', 'आईये' 'मेरा ससुराल', मूर्ती, प्रस्तुती, श्रद्धांजली, 'हरीदास', 'आपका रजिस्ट्री मिला', 'जान से मारने की धमकी दिया', 'लैंडलाईन', 'मोबाईल', 'पाईप', 'लाईसैंस', 'टकरावों', 'व्यवस्थाओं', 'क़ानूनों' 'आदेशों', 'निर्देशों', 'ज़मीनों' लिख रहे हैं । क्या ऐसे शब्द लिखने से हम अपने बच्चों को अख़बारों से हिन्दी सिखा पाएंगे ?



PERFECT SERVICE CENTRE

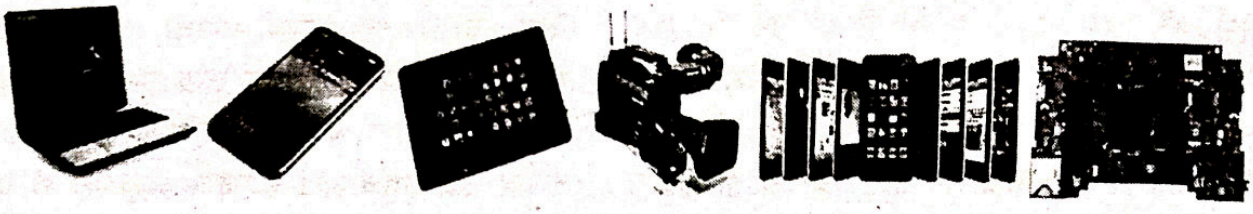

Laptop, Motherboard, Digital Camera, I-tab, iphone, Mobile Phones & Other

No. 58, Second Floor, Adharshila Complex,
South Gandhi Maidan, Patna- 800001

Set Yourself

IFB CARE

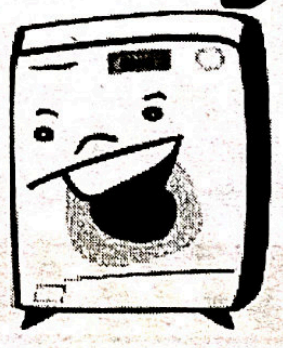

Ideal Marketing & Service
No. 67, Second Floor, Adharshila Complex,
South Gandhi Maidan, Patna- 800001

शोषित, पीड़ितों के पक्षधर कवि नागार्जुन

❖ प्रो॰ डॉ॰ यशवंतकर एस॰एल॰
(अध्यक्ष, हिन्दी विभाग कला-विज्ञान महाविद्यालय, बीड)

हिन्दी साहित्य में शोषित एवं पीड़ितों का चित्रण प्रगतिवादी काव्यधारा से आरंभ होता है। प्रगतिवादी काव्यधारा की पूर्व के कविताओं में आम आदमी केन्द्र में नहीं था और न ही उनकी समस्याओं, दुख, दर्द को लेकर काव्य का सृजन हुआ। आदिकालीन कविता के केन्द्र में ईश्वर था। रीतिकालीन कविता सुरा और सुन्दरी के बीच लिपटी थी। आधुनिक कालीन भारतेंदुयुगीन कविता देशभक्ति एवं राष्ट्र भक्ति को लेकर चली। द्विवेदी युगीन कविता नैतिकता, आदर्श एवं इतिवृत्तात्मकता से बद्ध थी। छायावादी कविता आत्म केन्द्रित थी। प्रगतिवादी काव्यधारा से ही आम व्यक्ति साहित्य के केन्द्र में आया था। किसान और मज़दूरों के दुख, दर्द और उसके प्रति सहानुभूति की भावना प्रगतिवादी काव्य में दृष्टिगोचर होती है।

पंत, निराला, रामविलास शर्मा, नवीन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, नरेन्द्र शर्मा, दिनकर, महेन्द्र भटनागर आदि प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन का स्थान अग्रणी है। नागार्जुन के काव्य में शोषित पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और उसके दुख, दर्द की अभिव्यक्ति जितनी प्रबल मात्रा में हुई है, उतनी प्रबल अभिव्यक्ति अन्य किसी प्रगतिवादी कवियों में दिखायी नहीं देती। इस संदर्भ में मत्सेन्द्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि–"अपनी कविताओं में कवि नागार्जुन मध्यवर्गीय भारतीय समाज के पक्षधर हैं। यह भी कहा जा सकता है कि इनका समूचा साहित्य इसी रंग में आद्यंत डूबा है।"[1] उच्च समाज के आधार स्तंभ कृषक और मज़दूर हैं, उन्हीं कृषक एवं मज़दूरों को नागार्जुन ने अपने काव्य का प्रमुख विषय बनाया। शोषक वर्ग शोषित वर्ग पर किस प्रकार से अनाचार करता है इसका विस्तार से चित्रण नागार्जुन के काव्य में है मानो उनकी कविता का लक्ष्य शोषित, पीड़ितों की दुरवस्था का चित्रण करना तथा उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करना है।

नागार्जुन ने अपने काव्य में मज़दूरों को विशेष स्थान दिया है। मज़दूरों का शोषण करने वाले शोषकों का विरोध करने के लिए उकसाते हैं। यही नहीं तो वे शोषितों के मन में अपने हक़ और अधिकारों के प्रति सचेत कर उन्हें शोषकों के विरोध में लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शोषण एवं तानाशाही की बुनियाद को खोद-खोदकर मिटाने की बात करते हैं। जैसे कि–

"स्वयं अपने बलबूते पर/हम प्राप्त करेंगे/शोषण एवं तानाशाही की बुनियादें/खोद-खोदकर हम सचमुच/नया हिन्दुस्थान बनाएंगे।"[2]

शोषक वर्ग शोषितों के कर्म पर जीता है, वह उसकी कमाई हड़प लेता है, उसके परिश्रम को चुराता है। श्रमिक के हाथ तो केवल बचा-खुचा ही आता है। शोषित दूसरों के लिए सब प्रकार की सुख-सामग्री का निर्माण करता है किंतु उसका अपना जीवन अभावग्रस्त है। इसका बेबाक चित्रण नागार्जुन के काव्य में दृष्टिगोचर होता है। जैसे–

"तन जर्जर है भूख प्यास से / व्यक्ति दुख दैन्य ग्रस्त है / दुविधा में समुदाय पस्त है / लो मशाल अब घर-घर को आलोकित कर दो। सेतु बनो प्रज्ञा प्रयत्न के मध्य / शांति

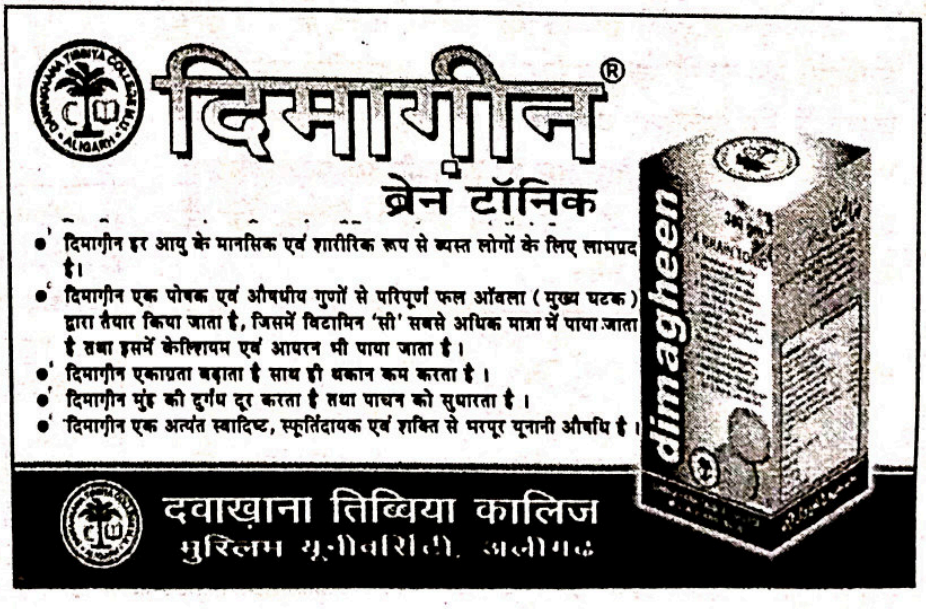

को सर्व मंगला हो जाने दो ।"[3]

नागार्जुन ने शोषित, पीड़ित, मज़दूर, किसानों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है । 'प्रेत का बयान' कविता में प्राईमरी स्कूल के मास्टर की आर्थिक विपन्न अवस्था होने के कारण भूख से मरता है । इसका बेबाक चित्रण उनके काव्य में दृष्टिगोचर होता है । जैसे कि–

"उमर है लगभग पचपन साल की / पेशा से प्राईमरी स्कूल का मास्टर था / तनख़ाह थी तीस, सो भी नहीं मिली / मुश्किल से काटे हैं, एक नहीं, दो नहीं नौ-नौ महीने । घरनी थी, मां थी, बच्चे थे चार / आ चुके हैं वे भी दया सागर करुणा के अवतार आपकी ही छाया में । मैं ही था बाक़ी क्योंकि करमी की पत्तियां अभी कुछ शेष थीं / हमारे अपने पुश्तैनी पोखर में मानोबल शेष था, सूखे शरीर मानोबल शेष था ।"[4]

अपना ख़ून-पसीना एक करके अपने शरीर को गला तपाकर देश में रहने वालों के लिए फ़सल उपजाने वाला किसान खुद रोटी, कपड़ा और मकान जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए संघर्ष करता है । निरंतर अभावों में जीता है, मानो भूख-प्यास और अभाव उसके हमजोली हों । ये जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ते और मरने के पश्चात विरासत के रूप में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते रहते हैं । इसका सजीव चित्रांकन करते हैं ।

"पैदा हुआ था / दीन-हीन अपठित किसी कृषक कुल में / आ रहा हूं पीता अभाव का आसव ठेठ बचपन से / कवि । मैं रूपक हूं दबी हुई दूब का जीवन / गुज़रता प्रतिपल संघर्ष में / मेरा क्षुद्र व्यक्तित्व / रूद्र है, सीमित है । आटा, दाल, नमक, लकड़ी के जुगाड़ में ।"[5]

नागार्जुन शोषित पीड़ितों के पक्षधर कवि हैं । उन्होंने मल्लाहों के जीवन के दयनीय पक्ष को उद्घाटित करते हुए लिखा है कि मल्लादा के नंग धड़ंग वस्त्र दीन बच्चे पानी ममें सिक्के खोजने में लगे हुए हैं, जिनकी उम्र पढ़ने-लिखने और खेलने-कूदने की है । वे बच्चे पानी में सिक्के खोजने में लगे हुए हैं । जैसे कि–

"मल्लाहों के नंग-धड़ंग छोकरे / दो-दो पैर / हाथ दो-दो / खोज रहे पानी में जाने कौस्तुभ मणि ।"[6]

इतना ही नहीं कलकत्ता जैसे महानगरों में रहने वाले मध्यवर्गीय परिवारों के करुण चित्र उभारने में कवि ने अपनी सूक्ष्मदर्शी शक्ति का परिचय दिया है । अभाव में पलने वाले इस वर्ग को एक ही कोठरी में अपने परिवार के समेत रहना पड़ता है । उनके बच्चे भूखे अंगूठा चुसते रहते हैं । अभाव ने इस वर्ग की कमर तोड़ दी है–

"ऊपर देखते हैं / पितरों की प्यासी रूहें / अंगूठा चूसती है नवजात बच्ची / खिड़की से लटका दिया गया है लाल खिलौना ।"[7]

जो मज़दूर दूसरों के लिए महल बनाता है, वह खुद आसमान की छत के नीचे रहता है । जो दूसरे के लिए जूता बनाता है वह खुद नंगे पैर घूमता है । जो दूसरों के लिए वस्त्र बनाता है वह खुद निवस्त्र है । इसी अभावग्रस्त जीवन का चित्रण नागार्जुन ने किया है ।

"वे लोहा पीट रहे हैं, तुम मन को पीट रहे हो, वे पत्थर जोड़ रहे हैं, तुम सपने जोड़ रहे हो ।

उनकी घुटन ठहाकों में घुलती है । और तुम्हारी घुटन उनींद घड़ियों में चुरती है ।"[8]

शोषित, पीड़ितों को वे उनके अधिकार देने की बात करते हैं । मज़दूर किसान और जो शोषित हैं उन्हें मानव के रूप में देखने की बात करते हैं । जैसे–

"क्यों नहीं है तुमको अधिकार / मनुज तुम भी मैं भी हूं मनुज / महल्लक कहों नहीं सरकार / तुम्हीं-सा मैं भी हूं सामान्य / मुझको मत समझो देवकुमार / इतर साधारण मैं हूं मनुज ।"[9]

निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि नागार्जुन ने अपनी कविताओं के माध्यम से शोषित, पीड़ितों के दुख, दर्द का चित्रण किया है और उनके प्रति सहानुभूति की भावना प्रकट की है । उनके काव्य का लक्ष्य शोषित पीड़ितों की कथा को मुखरित किया है । उनके काव्य के भाव पक्ष का मुख्य स्वर शोषित, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति है । इसलिए इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं कि नागार्जुन शोषित एवं पीड़ितों के पक्षधर कवि हैं ।

संदर्भ ग्रंथ

1. कविता का आधुनिक परिप्रेक्ष्य-मत्सेंद्र शुक्ल, पृ॰ 148
2. तालाब की मछलियां-नागार्जुन, पृ॰ 126
3. सतरंगे पंखों वाली-नागार्जुन, पृ॰ 28
4. नागार्जुन प्रतिनिधिक कविताएं-स॰ नामवर सिंह, पृ॰ 95
5. युगधारा-नागार्जुन, पृ॰ 32
6. सतरंगे पंखों वाली-नागार्जुन, पृ॰ 19
7. ज्यासी पथराई आंखें-नागार्जुन, पृ॰ 18
8. हिन्दी के प्रगतिशील और समकालीन कवि रणजीत सिंह, पृ॰ 92
9. इस गुब्बारे की छाया में-नागार्जुन, पृ॰ 17

विकास में बाधक ख़ुदग़र्ज़ सियासत

■ विद्या प्रकाश

किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक उन्नति, समस्याओं के समाधान, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवादोन्मूलनख अपराध नियंत्रण आदि से जुड़े विभिन्न मामलों के संबंध में आत्म रंजनात्मक, आत्म प्रवंचनात्मक, प्रतिशोधात्मक नकारात्मक तथा आत्म श्लाघा की प्रवृत्ति हानिकारक होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्तासीन तथा विरोधी पार्टियां एक सिक्के के दो पार्श्व के समान होती हैं। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्र में संसद तथा प्रांतीय विधानमंडलों के रूप में जनप्रतिनिधि सभाओं के गठन तथा निर्माण का उद्देश्य यही है कि पक्ष तथा प्रतिपक्ष और सत्तासीन एवं विरोधी ख़ेमे के भिन्न-भिन्न विचारधाराओं के एक स्थान पर एकत्र लोग संबंधित प्रतिपाद्य विचाराधीन विषय पर अपना-अपना मत, दृष्टिकोण तथा विचार व्यक्त कर सामान्य सर्वस्वीकार्य उभयनिष्ठ निष्कर्षण प्रस्तुत कर सकें।

इन तर्कसम्मत युक्तियुक्त विचार विमर्श की पृष्ठभूमि में सुविचारित तर्क और मर्यादा होती है। इस संबंध में देश में प्रचलित वादे-वादे जायते तत्वबोध उक्ति का अभिप्राय ही है–किसी निश्चित वाद बिन्दु पर परस्पर तर्कसम्मत विवाद विमर्श से तत्वबोध होता है। पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों का उद्देश्य सामान्य एकनिष्ठ होता है तथा वह है राष्ट्रहित और वे इस बात पर एक राय तथा सहमत होते हैं कि नवीन राष्ट्र रचना तथा देशोन्नति हेतु जो भी नीति निर्मित, जो भी योजना क्रियान्वित की जाए, वह वास्तव में देश तथा अनेक समाज की दृष्टि से हितकारी तथा शुभचिंतक हो। मत वैभिन्न्य होकर भी पक्ष-प्रतिपक्ष में मनभिन्नता तथा अनेकात्मकता नहीं पायी जाती।

यह हमारी क्षुद्र अतिवादी पूर्वाग्रही मानसिकता का परिचायक नहीं तो और क्या है कि एक तरफ़ हम अपनी उपलब्धियों को जनसाधारण के मध्य अतिरंजनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं और दूसरी तरफ़ हम सार्वजनिक जनसभाओं से लेकर संसद तथा प्रादेशिक विधानमंडलों तक शक्ल बदल-बदलकर राजनीतिक स्तर पर अशिष्ट अमर्यादित आचार व्यवहार का प्रदर्शन करने से बाज़ नहीं आते।

जिस देश में स्वतंत्रता के पश्चात दो ढाई दशकों तक भाषणों में उच्च सैद्धांतिक आदर्शों की बातें तथा युक्तियुक्त समीचीन तर्कशुद्ध वस्तुपरक विवेचना की जाती थी, उसी मुल्क में आज सार्वजनिक दृष्टि से बिना विश्वसनीय ठोस सबूत के एक दूसरे के ख़िलाफ़ बेतुके आक्षेप प्रत्याक्षेप लगाये, कीचड़ उछाले जा रहे हैं तथा कोई किसी को ख़राब मानसिक संतुलन वाला, नौटंकीबाज़ और न जाने क्या-क्या कहे डाल रहा है। संसद का बेशक़ीमती समय अर्थहीन शोर-शराबे और हो-हल्ला में गंवाया जा रहा है तथा उस पर लोकतंत्र की ख़ूबसूरत चिप्पी चिपकाकर लोक हितैषी बनने की स्वांग रचना की जा रही है। एक-दूसरे पर सरे आम कीचड़ उछालकर जनतंत्र की खिल्ली व धज्जी उड़ायी जा रही है।

ललित मोदी, भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी गुनाहगार एंडरसन, बोफोर्स दलाली कांड के आरोपी क्वात्रोची, कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल कांड वग़ैरह से मुताल्लिक़ प्रकरणों को लेकर एक-दूसरे के ख़िलाफ़ कटाक्ष तथा व्यंग्यवाण प्रहार किये जा रहे हैं। जिसका दामन स्वयं दाग़दार, कलंकित तथा कालिख लगा हो, वह खुद को दूध का धोया दयानतदार बनने का बाकमाल रिहर्सल कर रहा है।

संसद तथा विधानसभा में एक-दूसरे के विरुद्ध आरोप-प्रत्यारोप, हंगामा तथा ज़बानी सियासी पटखनी देने की ज़ोर आज़माइश में अपनी बहादुरी, अपनी हिम्मत का इज़हार कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय आत्म-सम्मान तथा स्वाभिमान आज क्या इस हद तक गिर गया है ? अपनी उपलब्धियों को अतिरंजनात्मक रूप में प्रस्तुत करने, खुशामद, चापलूसी, चरण चुम्बन, बेतुके आक्षेप-प्रत्याक्षेप आदि के रूप में वागविलास लोकतंत्र के लिए ग़लत ख़तरनाक है। आज देश के विकासार्थ आत्म चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टि तथा कर्मठ व्यक्तित्व की आश्यकता है।

ऐ लोगो ! निश्चय ही अल्लाह का वादा सच्चा है । अतः सांसारिक जीवन तुम्हें धोखे में न डाले और न वह धोखेबाज़ अल्लाह के विषय में तुम्हें धोखा दे । निश्चय ही शैतान तुम्हारा शत्रु है । अतः तुम उसे शत्रु ही समझो । वह तो अपने गिरोह को केवल इसी लिए बुला रहा है कि वे दहकती आग वालों में सम्मिलित हो जाएं ।

(क़ुरआन)

With Best Compliments From :

Companions of Jamaat-e-Islami Hind
Millat Nagar, Jogeshwari,
Mumbai

गले में गिल्टी : कारण और लक्षण

● डॉ॰ देवेन्द्र लालचन्दानी

गले की गिल्टियां चिंता का विषय बन जात हैं क्योंकि ये प्राय: कैंसर जैसे गंभीर बीमारी की द्योतक होती हैं । अत: इन्हें नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए । गर्दन में या उसके आसपास ऊपर नीचे की गांठ कई रोगों का परिचायक होती हैं ।

गिल्टी या लिम्फनोड क्या होती है–यह एक प्रकार की ग्रंथि होती है । ये हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऊपर से नीचे तक जगह-जगह बसी हैं–जैसे गर्दन में चारों तरफ़, हाथ की नली में आगे-पीछे, जांघों के ऊपरी हिस्से में, पेट के अन्दर दाएं-बाएं कतार में व आंतों के आसपास, फेफड़ों के बीच में इत्यादि । शरीर में इनके निश्चित स्थान होते हैं । चिकित्सकों को पता होता है कि ये गिल्टियां कहां होती हैं साथ ही इनका निरीक्षण हमेशा नियमित रूप से कोई भी बीमारी होने पर किया जाता है । जैसे बुख़ार ही आ जाने पर ये गिल्टियां बढ़ जाती हैं ।

ये गिल्टियां साधारणत: पता नहीं लगती । जग ये बढ़ जाती हैं तभी इनका पता लगता है । किन्तु शरीर के कई हिस्सों में ये गिल्टियां साधारणत: भी मिल सकती हैं व किसी बीमारी से इनका मतलब नहीं होता । जैसे–जांघ के ऊपरी हिस्से की गिल्टियां सामान्य रूप से महसूस की जा सकती हैं । पर ये छोटी होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर से कम ।

प्राय: बच्चों में छोटी-छोटी गिल्टियां गर्दन या जांघ में महसूस होती हैं । ये अक्सर सामान्य होती हैं व कोई अन्य लक्षण न होने पर चिंता की बात नहीं होती । 30 वर्ष की उम्र से कम में ये गिल्टियां छोटी-मोटी बीमारियों का प्रतीक होती हैं । साथ ही 50 वर्ष से अधिक उम्र में गिल्टियों का होना गंभीर स्थिति है ।

गिल्टियों का काम क्या है ? : आमतौर पर ये हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता से वास्ता रखती हैं । इनमें से जो सत्त होता है उसमें कुछ आवश्यक कोष्ठ होते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा में लगे रहते हैं । जब वे इस कार्य में लड़ते-लड़ते अक्षम हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं तो उनमें अन्दर काम्पलेक्स प्रतिक्रिया के कारण कोष्ठ अधिक बढ़ने लगते हैं व गिल्टियां बाहर उभरने लगती हैं ।

गिल्टियां कब बढ़ती हैं ? : किसी एलर्जी में अर्थात शरीर को कोई बाहरी तत्व जब भाता नहीं है तो गिल्टियों में प्रतिक्रिया के कारण ये बड़ी हो जाती है ।

शरीर में कहीं भी संक्रमण हो तो उस स्थान की गिल्टियां बढ़ जाती हैं । शरीर के किसी भी हिस्से में चोट या फोड़ा हो तो गिल्टियां बढ़ जाती हैं । कैंसर में दो प्रकार से गिल्टियां बढ़ती हैं या तो स्वयं गिल्टी का ही कैंसर हो, जिसमें एक प्रकार का ट्यूमर अर्थात लिम्फोमा भी होता है । या फिर किसी भी अंग का कैंसर हो जो स्वयं पता न लगे जैसे पेट के किसी हिस्से का अथवा प्रोस्टेट ग्रंथि का या अंडकोष, सीने, फेफड़ा आदि का कैंसर । इनमें उस स्थान की रखवाली करने वाली गिल्टियां बड़ी हो जाती हैं ।

कुछ अन्य बीमारियां जैसे–स्टोरेज डिसीज ।

ख़ून की बीमारियां जैसे–रक्त के किसी कोष्ठ का कैंसर, ल्यूकीमिया आदि ।

गिल्टी बढ़ने के सामान्य लक्षण : जब गिल्टियां बड़ी होती हैं तो कुछ उनके साथ अच्छे व बुरे लक्षण जुड़े होते हैं जैसे–

● 30 वर्ष के बाद गिल्टियों का कड़ा परीक्षण होना चाहिए ।

● एक अकेली गिल्टी प्राय: गंभीर नहीं होती । कई एक गिल्टियों का होना गंभीर बात हो सकती है ।

● यदि गिल्टियां आपस में जुड़ी हों, चिपकी हों, फैली-फैली हों, चिपटी हों तो कैंसर की संभावना अत्यधिक होती है । गोल-गोल गिल्टियां संक्रमण के कारण होती हैं ।

● गिल्टी यदि कई एक हों, चिपकी हों व रबर के समान उनकी बनावट हो तो ये टी॰बी॰ यानी ट्यूबरक्यूलोसिस या तपेदिक के कारण होती हैं । ये गिल्टी की टी॰बी॰ होती है–इसके साथ ही मरीज को प्राय: फेफड़े की भी टी॰बी॰ होती है ।

● गिल्टियां यदि इसी प्रकार की कई एक हों, चिपकी हों, व रबर के समान हों तथा 30 वर्ष की उम्र के बाद हों तो ये एक गंभीर क़िस्म की बीमारियों (लिम्फोमस) के कारण भी हो सकती हैं । जो धीरे-धीरे कैंसर का रूप ले लेता है ।

● बड़ी-बड़ी गिल्टियां जो एक सेंटीमीटर से अधिक बड़ी हों, ये ख़तरनाक होती हैं । छोटी-छोटी गिल्टियां छोटी-मोटी परेशानी जैसे–सिर में रूसी फुंसी, फोड़े, चोट के कारण होती हैं ।

● यदि पूरे शरीर में गिल्टी हों व मरीज़ काफ़ी अस्वस्थ हो तथा इतना तक कि पेट के अन्दर भी गिल्टियां महसूस हो रही हों तो एड्स के लिए परीक्षण करा लेना चाहिए ।

गले में गिल्टियां व बीमारियां : चोट, घाव, फोड़े, फुंसी, टी॰बी॰, मुंह के अन्दर छाले, घाव, चोट, दांत की बीमारी आदि ।

● टॉसिल की बीमारी । कैंसर जैसे–मुंह के अन्दर थाइराइड में, दांत, जबड़े, मसूढ़े, टॉसिल में, लार की ग्रंथियों में, जीभ में, गले के अन्दर, लैरिक्स में इत्यादि । कान की बीमारियों में जैसे फोड़े, संक्रमण, चोट, फफूंदी इत्यादि ।

वाइरस का संक्रमण जैसे–(इन्फेक्शंस मोनोन्यूक्लियोसिस), हरपीज आदि । एड्स, कुष्ठ या लेप्रोसी । शरीर के किसी ख़ास हिस्से के कैंसर भी गर्दन में गिल्टियों को जन्म देते हैं–जैसे पेट-अंडकोष, फेफड़े, पित्त की थैली, प्रोस्टेट, सीना, गुर्दे के कैंसर । लिम्फोमा–ये एक क़िस्म की बीमारी है । जो हल्की से गंभीर हो सकती है ।

थायराइड : गर्दन के बीचोंबीच ये ग्रंथि होती है । यदि हमारे शरीर को पर्याप्त आयोडीन नहीं मिलती तो ये बढ़ जाती हैं जिसे 'गायटर' कहते हैं । साथ ही थाइराइड, कैंसर, थायरायड, नाड्यूल-ये छोटी-सी गिल्टी थायराइड ग्रंथि के ऊपर हो जाती है । प्राय: इसमें अधिक हारमोन रक्त में जाने से हायपर थायराइड यानी थायराइड ग्रंथि के अतिक्रियाशील होने से शरीर में धड़कन, कम्पन इत्यादि होता है । अमाइलायडोसिस, सारकाइडोसिस व कई पारिवारिक व आनुवांशिक बीमारियां । रक्त की बीमारियां जैसे–ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया ।

गिल्टी बढ़ने के साथ अन्य लक्षण व बीमारियों की पहचान : टी॰बी॰ में वजन घटता जाता है व भूख नहीं लगती । खांसी भी हो सकती है । गिल्टी में दर्द नहीं होता । कैंसर चाहे कहीं का हो गिल्टी तेज़ी से बढ़ती है व दर्द भी नहीं होता । मरीज़ की सेहत नित्य प्रति बिगड़ती जाती है । भूख नहीं लगती जिस हिस्से का कैंसर होता है उसके भी लक्षण साथ में जुड़ जाते हैं ।

इन्फेक्शंस मोनोन्यूक्लियोसिस : जब जवान आदमी को बुख़ार आये व गिल्टी बढ़ जाए तो वाइरल फीवर की संभावना होती है । एड्स इसमें कई लक्षण एक साथ होते हैं । रक्त की जांच से इसका पक्का पता चलता है । थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के साथ निम्न प्रकार के लक्षण होते हैं । सुस्ती, मोटापा बढ़ना, अधिक नींद आना, चर्बी मोटी होना, हरारत इत्यादि । धड़कन, घबराहट, बेचैनी, गर्मी लगना, पसीना आना, भूख ज़्यादा लगना । टॉसिल की बीमारियों में गले के अन्दर दर्द होता है या थूक निकलने में, खाना खाने में परेशानी होती है । बुख़ार, खांसी, गले में ख़राश होती है । लार की ग्रंथि में संक्रमण, पथरी का निर्माण व कैंसर की परेशानी होती है । पैरोटिड ग्लैंड भी सूज जाती है जो कान के पास दिखायी पड़ती है । पम्पस भी इसी प्रकार की बीमारी है जो एक वायरस के कारण होती है ।

गिल्टियों की बीमारियों का परीक्षण : गर्दन की गिल्टी के लिए नाक, कान, गला विशेषज्ञ निम्न जांच करते हैं–लैरिंगोस्कोपी व एंडोस्कोपी । रक्त की संपूर्ण जांच । मुंह के अन्दर का परीक्षण । गले के भीतर का परीक्षण कान का बाहर व भीतर से परीक्षण । नाक के अन्दर की जांच । टी॰बी॰ के लिए ख़ास पांच मान्टू टेस्ट । एड्स के लिए नक्त की जांच । ल्यूकीमिया के लिए रक्त की जांच । थायराइड के लिए टी-3, टी-4 टी॰एस॰एच॰ जांच । लिम्फ नोड की बायोप्सी के लिए एक टुकड़ा उस स्थान से निकाल कर जांच की जाती है । ये टुकड़ा ऑपरेशन से या सुई से खींचकर निकाला जाता है ।

उपचार : गिल्टियों की बीमारी का इलाज इसके बढ़ने के कारण पर निर्भर करता है । जैसे–कैंसर की कीमोथिरैप, रेडियो थिरैपी व ऑपरेशन । थायराइड के लिए दवाइयां व आपरेशन । लार की ग्रंथि के लिए छोटा-मोटा ऑपरेशन । संक्रमण के लिए एंटीबायटिक दवाएं व चीरा लगाकर मवाद निकालना ।

● गिल्टियां जब छोटी हों तभी उनका परीक्षण करा लेना चाहिए । क्योंकि छोटी गिल्टियों का इलाज सहज है व ऑपरेशन भी सरल है ।

कैसे रुके महिला अपराध ?

● निशा प्रवीण
(ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय)

आज देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में विद्यमान है । यह अपराध चाहे दहेज कुप्रथा के रूप में हो अथवा शोषण के रूप में हो, सब में दिनानुदिन वृद्धि हो रही है ।

आज समाज में महिलाओं की न केवल उपेक्षा की जाने लगी है, अपितु महिलाएं उत्पीड़न और प्रताड़ना की शिकार होने लगी हैं । 2004 के भारत में अपराध के आंकड़ों के अनुसार देश में हर 29 मिनट में एक बलात्कार, 15 मिनट में एक छेड़छाड़, 23 मिनट में एक अपहरण, 75 मिनट में एक दहेज हत्या होती है । यह किसी सभ्य समाज की पहचान नहीं है ।

आज भारतीय समाज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है । इन अनेक समस्याओं में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की समस्या सबसे अधिक ज्वलंत और जटिल है । यह समस्या समाज तथा शोधकर्त्ताओं का जितना ध्यान आकर्षित करती है, अन्य कोई समस्या नहीं करती । महिलाओं के विरुद्ध अपराध समाज की कोई नई समस्या नहीं है । भारतीय समाज की महिलाएं लम्बे समय से अवमानना, यातना और शोषण की शिकार हो रही है ।

आज़ादी के बाद संवैधानिक प्रावधानों में महिला अधिकारों की गारंटी दी गई है । फिर भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध की संख्या में किसी प्रकार की कमी नहीं देखी जा रही है । आज भी महिलाओं को पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको जला दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है । इसी प्रकार आज भारतीय समाज महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों का जीता जागता नमूना पेश करता है, इसलिए समाज हितैषियों, चिन्तकों और शोधकर्त्ताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि समाज से इस रोग को मुक्त किया जा सके ।

सामाजिक संस्थाओं में परिवार तथा विवाह प्राथमिक संस्थाएं हैं । प्राचीन काल में विवाह को पुष्ट धार्मिक संस्कार माना जाता था । यही कारण था कि परिवार विघटन की समस्या सीमित थी । आधुनिक युग में जहां एकांकी परिवार का बोल बाला है । लोग शहरों में रहने लगे हैं । प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ा है । वधू की शादी में दहेज का प्रचलन बढ़ा है । ऐसे में महिलाओं के विरुद्ध अपराध भी बढ़े हैं । इस संदर्भ में उक्त विषय पर शोधकार्य बहुत कम हुए हैं । फिर भी यह कहा जा सकता है कि आज पति-पत्नी में तनाव की स्थिति का ख़मियाज़ा पत्नी को अधिक भोगना पड़ता है । यह स्थिति महिला अपराध को जन्म देती है । संचार माध्यम प्रतिदिन ऐसे समाचार देते रहते हैं, जिनमें पुरुषों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराध घटित होते हैं, जैसे एक महिला को जलाया जाना, पत्नी को ज़हर देना, महिला का उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, यातना, शोषण इत्यादि देखने को मिल रहा है, जो चिन्ता का विषय बना हुआ है । महिला अपराध में स्वयं महिलाएं भी पूरक का कार्य करती दिखाई पड़ती हैं ।

राम आहूजा ने महिला के प्रति होने वाले अपराधों एवं हिंसा को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है–

आपराधिक हिसां की श्रेणी में उन अपराधों को रखा जा सकता है जो कि पुरुष द्वारा नारी के अति आपराधिक हिंसा की प्रवृत्ति के कारण किए जाते हैं। बलात्कार, अपहरण तथा हत्या इस प्रकार के अपराधों के प्रमुख उदाहरण हैं । इनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है–

बलात्कार–भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 के अन्तर्गत बलात्कार एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए बलात्कारी को आजीवन कारावास तक की सज़ा से दंडित करने का प्रावधान है । धारा 375 में बलात्कार के अपराध की विस्तृत व्याख्या की गई है । जब कोई पुरुष किसी स्त्री से, उसकी इच्छा के विरुद्ध या सम्मति के बिना या मृत्यु का भय देकर मैथुन करता है तो वह बलात्कारी कहलाता है ।

वैसे तो बलात्कार की घटनाएं संसार के सभी देशों में होती हैं, फिर भी भारत जैसे देश में ऐसी घटनाओं में वृद्धि से चिन्ता होना स्वाभाविक है । बलात्कार दो प्रकार के हैं– (i) जिसमें कोई अकेला व्यक्ति बलात्कार करता है, तथा (ii) जिसमें एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं । भारत में दोनों प्रकार के बलात्कारों की संख्या में वृद्धि हो रही है ।

राम आहूजा ने बलात्कार की शिकार 42 महिलाओं के अपने आनुभाविक अध्ययन में निष्कर्ष निकाले हैं कि बलात्कार पूर्णतः अजनबी लोगों द्वारा नहीं होता, आधे मामलों में महिलाएं बलात्कारी से परिचित थी । 10 में से नौ बलात्कार परिस्थितिवश होते हैं । प्रत्येक पांच में तीन (58.0 प्रतिशत) बलात्कार एकाकी बलात्कार होते हैं, पांच में से एक (21.0 प्रतिशत) सामूहिक बलात्कार होते हैं । दस में से नौ बलात्कारों में शारीरिक हिंसा या क्रूरता का अभाव होता है, अर्थात अधिकांश मामलों में केवल प्रलोभन अथवा मौखिक दबाव का ही प्रयोग किया जाता है ।

तीन चौथाई से कम (70 प्रतिशत) बलात्कार की शिकार महिला बलात्कारी के घरों में होते हैं, केवल एक-चौथाई (25.0 प्रतिशत) ग़ैर-रिहाइशी भवनों में होते हैं । बलत्कृत महिलाओं की आयु 15 से 20 वर्ष तथा बलात्कारियों की आयु 23 से 30 वर्ष आयु समूह में सर्वाधिक होती है ।

आज समाजशास्त्रियों एवं समाज नियोजकों को इस बढ़ते हुए अपराध को रोकने हेतु गंभीरता से सोचना होगा ताकि इसके बढ़ते हुए आंकड़े कम हो सकें । भारत में बलात्कार के जो आंकड़े सन् 1988 में उपलब्ध कराए गए हैं, उनमें पता चलता है कि इसकी सर्वाधिक (64.1 प्रतिशत) शिकार 16 से 30 वर्ष की महिलाएं होती हैं । इसकी शिकार केवल ग़रीब महिलाएं ही नहीं होतीं, अपितु मध्यवर्गीय कामकाजी महिलाएं उनके सेवायोजकों द्वारा मौखिक रूप से अपमानजनक व्यवहार किया जाता है । जेल में बन्दी महिलाओं से जेल अधिकारियों, पूछताछ के लिए थाने में लाई गई महिलाओं से पुलिस कर्मियों, महिला रोगियों से अस्पताल कर्मियों, गृह सेविकाओं से गृहस्वामियों तथा दैनिक वेतन भोगी महिलाओं से ठेकेदारों द्वारा किये जाने वाले बलात्कारों में भी कमी नहीं है ।

संक्षेप में मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि महिला के विरुद्ध अपराध चाहे दहेज कुप्रथा के द्वारा हो समाज का यह दायित्व बनता है कि इस पर गंभीरता से सोचे तथा पूरी ईमानदारी से इस समस्या के निदान हेतु पहल करे ।

संदर्भ

1. Scientific Social Survey and Research, P.V. Young.
2. Method of Social Research, Goode & Hatt.
3. सामाजिक विघटन – श्री कृष्ण दत्त भट्ट
4. अपराधशास्त्र, डॉ॰ एस॰ बाघेल, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली-07, वर्ष-2007.
6. Social Disorganisation, Elliot and Merril.

M/s. ABBAS SOAP FACTORY

77/2, Topsia Road (South)
KOLKATA - 700 046

अगर कोई अपने ब्रांड के नाम से माल बनवाना चाहते हैं तो भी राबिता क़ायम करें।

PRODUCTS

- ✓ WASHING POWDER
- ✓ TOILET SOAP
- ✓ WASHING SOAP
- ✓ DETERGENT POWDER
- ✓ BATH SOAP

Contact For Business
For
Agency & Distributor Ship

M : 08100226137 (Mohd. Abbas)
M : 09831496237 (Mohd. Khalid)
M : 08981605834 (Mohd. Khalid)

अब्दुर्रहमान ख़ां को फांसी

● संपादन प्रभाग

दिल्ली के आस-पास क़रीब सात छोटी रियासतें थीं जो दिल्ली के अधीन थीं । यानी झज्जर, पाटौदी, दुजाना, लुहारी, बल्लभगढ़, फ़रुख़नगर और बहादुरगढ़ । इन रियासतों के नवाबों ने भी सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसी न किसी रूप में दिल्ली का साथ दिया था, लेकिन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई भारी जुर्म या अपराध नहीं किया था । फिर भी उन पर जुर्म आरोपित किए गए और कई को जान और रियासत से हाथ धोना पड़ा ।

झज्जर के नवाब अब्दुर्रमान ख़ां पर आरोप लगाया गया कि उसने थ्यूफिलिस मेटकॉफ़ साहब को उस समय अपने यहां शरण देने से इन्कार किया था जब वह जंगे आज़ादी के सेनानियों से बचकर नवाब झज्जर के पास शरण लेने गये थे । एक दूसरा आरोप यह था कि उसने दिल्ली सम्राट बहादुरशाह को प्रार्थना-पत्र (अर्ज़ियां) लिखकर भेजा था, इसलिए 1857 के 20 अक्तूबर को अंग्रेज़ सेना झज्जर भेजी गई और नवाब अब्दुर्रहमान ख़ां को गिरफ़्तार कर दिल्ली लाया गया । कुछ दिन लाल क़िले के दीवाने-आम में क़ैद रखकर उस पर मुक़दमा चलाया गया और फांसी दे दी गई ।

बल्लभगढ़ के हिन्दू राजा नाहर सिंह को भी फांसी की सज़ा हुई थी । उस पर भी नवाब झज्जर की तरह के आरोप लगाए गए थे और बल्लभगढ़ को भी अंग्रेज़ों ने अपने क़ब्ज़े में ले लिया था । फ़रुख़ नगर के नवाब अहमद अली ख़ां को भी फांसी दी गई और उसकी रियासत भी ज़ब्त कर ली गई थी । उस पर भी उसी तरह के बेहूदा आरोप लगाए गए थे, जैसे नवाब झज्जर और राजा बल्लभगढ़ पर लगाए गए थे । लुहारी के रईस नवाब अमीनुद्दीन ख़ां और नवाब ज़ियाउद्दीन ख़ां को भी कुछ दिन क़ैद रखा गया और मुक़दमा चलाया गया । मुक़दमे के दौरान अदालत में उन्हें घंटों खड़ा रखा जाता था । अन्ततः सर जॉन लारेंस की कोशिश से इन दोनों की जान व रियासत बच गई । रियासत पाटौदी और दुजाना पर कोई जुर्म क़ायम नहीं किया गया तब भी उन्हें अंग्रेज़ों की सरपरस्ती स्वीकार करनी पड़ी ।

बहादुरगढ़ और दादरी के रईस बहादुर जंग ख़ां को फांसी तो नहीं दी गई, लेकिन उसकी रियासत ज़ब्त कर ली गई और एक हज़ार रुपये मासिक पेंशन देकर लाहौर भेज दिय गया । दिल्ली के ही एक रईस नवाब मुहम्मद हसन ख़ां ने एक मेम (अंग्रेज़ औरत) को अपने घर में शरण देकर अंग्रेज़ों के मुताबिक़ नेक काम किया था, लेकिन साथ ही उनपर बलात्कार का आरोप लगा दिया गया इसी अपराध में मुहम्मद हसन ख़ां को फांसी पर लटका दिया गया ।

अनेक मुसलमानों को इसीलिए फांसी पर लटकाया गया कि उन्होंने फ़ौज की-सी पोशाक पहन रखी थी, इसलिए वे अंग्रेज़ों की निगाह में बाग़ी थे ।

दर्पण

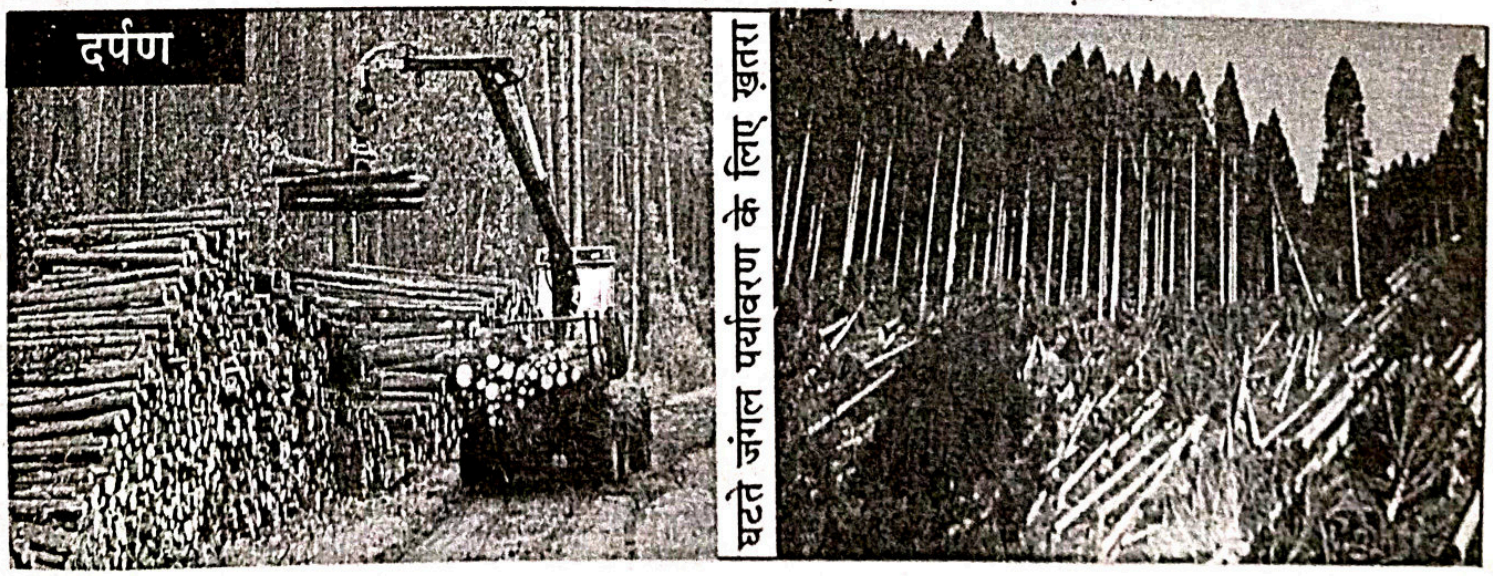

घटते जंगल पर्यावरण के लिए ख़तरा

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि एक व्यक्ति अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के पास आया और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), लोगों में कौन सबसे ज़्यादा मेरे अच्छे व्यवहार और सहचरता का हक़दार है ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "तेरी मां ।" उसने कहा : फिर कौन ? आप (सल्ल॰) ने कहा : " तेरी मां ।" उसने कहा : फिर कौन ? आप (सल्ल॰) ने कहा : तेरी मां ।" उसने कहा : फिर कौन ? आपने कहा : "तेरा बाप ।"

(बुख़ारी, मुस्लिम)

A WELL WISHER
Jb. Razi Hasan Sb.
Mumbai

धरती की सबसे बड़ी चुनौतिया

■ भारत डोगरा

सामान्यत: वर्ष 1950 से अभी तक के समय को विज्ञान और तकनीकी पर आधारित तेज प्रगति का समय माना जाता है पर लगभग 25 वर्ष पहले से (वर्ष 1990 के आसपास) इस बारे में बहुत गंभीर चिंताएं उठनी शुरू हो गयी थी कि धरती में बेहद विविध तरह के जीवन को पनपाने वाली स्थितियां ही बुरी तरह संकटग्रस्त होती जा रही हैं। अनेक जाने-माने वैज्ञानिकों द्वारा उठायी गयी यह चिंताएं अधिक प्रमाण मिलने के साथ और प्रबल होती गयी और इस समय कहा जा सकता है कि यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि समता और न्याय के जो सवाल पहले से सबसे महत्वपूर्ण थे उनका महत्व कम हो गया है। उनका महत्व पहले की तरह बना हुआ है पर अब उन्हें धरती की जीवनदायिनी क्षमता को बचाने के नये मुद्दों से इस तरह जोड़ना ज़रूरी हो गया है कि सबसे गंभीर समस्याओं को समता व न्याय के आधार पर सुलझाया जा सके। इतना ही नहीं, यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि धरती पर जीवन की रक्षा की योजना बनाने में समता व न्याय के सिद्धांत बहुत उपयोगी ही नहीं अपितु अनिवार्य भी हैं।

वर्ष 1992 में विश्व के 1575 वैज्ञानिकों ने (जिनमें उस समय जीवित नोबल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों में से लगभग आधे वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे) एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, ''हम मानवता को इस बारे में चेतावनी देना चाहते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है ? पृथ्वी और उसके जीवन की व्यवस्था जिस तरह हो रही है उसमें एक व्यापक बदलाव की ज़रूरत है अन्यथा बहुत दुख-दर्द बढ़ेंगे और हम सबका घर यह पृथ्वी इतनी बुरी तरह तहस-नहस हो जाएगी कि फिर उसे बचाया नहीं जा सकेगा।''

आगे इन वैज्ञानिकों ने कहा कि वायुमंडल, समुद्र, मिट्टी, वन और जीवन के विभिन्न रूपों सभी पर तबाह हो रहे पर्यावरण का बहुत दबाव पड़ रहा है और वर्ष 2100 तक पृथ्वी के विभिन्न जीवन रूपों में से एक तिहाई लुप्त हो सकते हैं। मनुष्य की वर्तमान जीवन पद्धति के अनेक तौर-तरीक़े भविष्य में सुरक्षित जीवन की संभावनाओं को नष्ट कर रहे हैं ओर इस जीती-जागती दुनिया को इतना बदल सकते हैं कि जिस रूप में जीवन को हमने जाना है उसका अस्तित्व ही कठिन हो जाए।

इन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने ज़ोर देकर कहा कि प्रकृति की इस तबाही को राकने के लिए बुनियादी बदलाव ज़रूरी है। हारवर्ड के जाने-माने विशेषज्ञ प्रोफ़ेसर एडवर्ड ओ. विलसन ने कुछ समय पहले टाइम पत्रिका ममें लिखा था ''जीव-विज्ञानी प्राय: स्वीकार करते हैं कि यदि हम मनुष्य के आगमन (होमो सेपियंस) के आरंभिक दिनों की तुलना आज की दुनिया से करें तो प्रजातियों के लुप्त होने की गति सौ गुणा बढ़ चुकी है।'' इससे पहले एम॰आई॰टी॰ द्वारा प्रकाशित चर्चित अध्ययन 'इमपैरिल्ड प्लैनट' में एडवर्ड गोल्ड स्मिथ व उनके साथी पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा था कि धरती की जीवनदायिनी क्षमता सदा ऐसी ही बनी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस रिपोर्ट ने कहा बड़ा ख़तरा यही है कि हम उन प्रक्रियाओं को ही अस्त-व्यस्त कर रहे हैं जिनसे धरती की जीवनदायिनी क्षमता बनती है स्टॉकहोम रेसिलियंस सेन्टर के वैज्ञानिकों के अनुसंधान ने हाल के समय में धरती के सबसे बड़े संकटों की ओर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया है। यह अनुसंधान बहुत चर्चित रहा है। इस अनुसंधान में धरती पर जीवन की सुरक्षा के लिए नौ विशिष्ट सीमा-रेखाओं की पहचान की गयी है जिनका अतिक्रमण मनुष्य की क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। गहरी चिंता की बात है कि इन नौ में से तीन सीमाओं का अतिक्रमण होना आरंभ हो चुका है। यह तीन सीमाएं हैं–जलवायु बदलाव, जैव-विविधता का ह्रास व भूमंडलीय नाईट्रोजन चक्र में बदलाव। इसके अतिरिक्त चार अन्य सीमाएं ऐसी है जिसका अतिक्रमण होने की संभावना निकट भविष्य में है। यह चार क्षेत्र हैं–भूमंडलीय फासफोरस चक्र, भूमंडलीय जल उपयोग, समुद्रों का अम्लीकरण व भूमंडलीय स्तर पर भूमि उपयोग में बदलाव।

इस अनुसंधान में सामने आ रहा है कि इन अति

संवेदनशील क्षेत्रों में कोई सीमा-रेखा एक 'टिपिंग प्वाइंट' के आगे पहुंच गयी तो बहुत अचानक बड़े पर्यावरण बदलाव हो सकते हैं । यह बदलाव ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें सीमा-रेखा पार होने के बाद रोका न जा सके या पहले की जीवन पनपाने वाली स्थिति में लौटा न जा सके । वैज्ञानिकों की भाषा में यह बदलाव ऐसे हो सकते हैं जो 'रिवर्सिबल' न हो । इन बहुत संवेदनशील बदलावों में जलवायु बदलाव न जल संकट पर ही अभी व्यापक स्तर पर ध्यान आकर्षित हुआ है । वैसे इन दो मुद्दों पर भी वह क़तई नहीं कहा जा सकता है कि अधिक चर्चा होने से इन पर असरदार कार्यवाही हुई है ।

संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक के विश्व में टिकाऊ विकास पर उच्च स्तरीय पैनल ने कुछ समय पहले अपनी रिपोर्ट में बताया कि जलवायु बदलाव नियंत्रित करने पर क्योटो समझौता होने के बाद भी 1990 और 2009 के बीच कार्बन डायाक्साइड में प्रति वर्ष भारी वृद्धि जारी रही, जिसकी दर 2000-2009 में वर्ष 1990-1999 की अपेक्षा और तेज़ हो गयी । इस रिपोर्ट ने इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि जहां जलवायु बदलाव के दौर में तापमान वृद्धि को 20 सेल्सियस तक नियंत्रित रखना अति आवश्यक है, वहां मौजूदा प्रवृत्तियों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जो अनुमान प्रस्तुत किये हैं उनके अनुसार इस शताब्दी में तापमान वृद्धि 2.5 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है ।

यदि तापमान 20 सेल्सियस बढ़ा तो भी समुद्र जल स्तर बढ़ेगा, अनेक निचले क्षेत्र डूबेंगे व आपदाएं विकट होंगी । अत: अनेक विकासशील व ग़रीब देशों विशेषकर छोटे टापू देशों ने मांग की है कि सहनीय सीमा को 20 सेल्सियस से कम कर 1.50 सेल्सियस कर दिया जाए । पर 1.50 सेल्सियस तक तापमान वृद्धि सीमित करने की शायद अब क्षमता नहीं बची है । अत: अब तापमान वृद्धि को 20 सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की ही चर्चा हो रही है । यदि तापमान वृद्धि 20 सेल्सियस से पार कर गयी तो चर्चित 'टिपिंग प्वाइंट' पार हो जाएगा अथवा जलवायु बदलाव की समस्या को नियंत्रित करना बहुत हद तक मनुष्य की क्षमता से बाहर हो जाएगा । 20 सेल्सियस पार करने पर धरती की प्राकृतिक प्रक्रियाएं टूटने लगेंगी । बहुत-सी ग्रीनहाउस गैस जो साइबेरिया के ठंडे क्षेत्र में पर्माफ्रास्ट के रूप में जमी पड़ी हैं वह वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाएंगी । आर्द्रता वाले वर्षा वन अपनी नमी खोकर ज्वलनशील हो जाएंगे व बहुत-सी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इस कारण भी होगा । संक्षेप में स्थिति हाथ से निकल जाएगी । आपदाएं बहुत विकट हो जाएंगी, खाद्य-उत्पादन छिन्न-भिन्न या बेहद अनिश्चित हो जाएगा, कई नयी बीमारियों का ख़तरा झेलना पड़ेगा, विभिन्न प्रजातियों के नष्ट होने की दर और तेज़ हो जाएगी ।

फ़िलहाल बेहद चिंताजनक स्थिति यह है कि 20 सेल्सियस तक तापमान वृद्धि सीमित करने का लक्ष्य भी अब बहुत कठिन होता जा रहा है । ग्रीन गठबंधन के निदेशक व कुछ समय पहले तक ब्रिटिश सरकार के सलाहकार स्टीफेन हेल ने (रिसर्जेसैंस पत्रिका) लिखा है, ''कड़वी सच्चाई तो यही है कि हम विफल हो रहे हैं । जलवायु बदलाव पर कार्य करने वाले सब के सामूहिक प्रयासों का अभी तक जो परिणाम मिला वह उससे बहुत कम है जो संकट के समाधान के लिए चाहिए । जिस तेज़ गति से व जिस बड़े पैमाने पर कार्यवाही चाहिए, इस समय उसकी कोई वास्तविक संभावना नज़र नहीं आ रही है । अब हमें पहले से कहीं बेहतर प्रयास करना होगा । औसत विश्व तापमान वृद्धि को 20 सेल्सियस तक सीमित रखना है तो इस संभावना को अधिक बढ़ाने के लिए इस दशक में ही विश्व में उत्सर्जन के उत्कर्ष से गिरावट शुरू की जानी चाहिए । पर जलवायु बदलाव के अन्तर्राष्ट्रीय पैनल ने बताया है कि वर्ष 2000 व 2030 के बीच विश्व स्तर का उत्सर्जन 25 से 90 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है ।''

जिस तरह से कनाडा में व कुछ अन्य स्थानों पर तारसैंड के बहुत बड़े पैमाने के खनन की तैयारी चल रही है उससे तो यही लगता है कि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन और तेज़ी से बढ़ेगा । अत: तापमान वृद्धि 20 सेल्सियस से कम रखना बहुत ज़रूरी है । बेहतर होता यदि 1.50 सेल्सियस तक ही इस वृद्धि को सीमित कर पाते, जैसा कि बहुत से देशों ने मांग की है ।

अत: अभी स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है । इसका मुख्य कारण यह है कि बुनियादी तौर पर जीवनशैली बदलने औद्योगीकरण आधारित विकास का मॉडल बदलने, उत्पादन व उपभोग में बड़े बदलाव लाने व समता तथा सादगी का आदर्श अपनाने की दृष्टि से जो मूल सुधार चाहिए, उस दिशा में दुनिया नहीं बढ़ रही है । विश्व स्तर की ऐसी योजना बनाना ज़रूरी है जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में पर्याप्त कमी के लक्ष्य को सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लक्ष्य से जोड़ सके । (विविधा फ़ीचर्स)

मंगल ग्रह पर पानी ?

● संपादन प्रभाग

लंबे समय से मंगल ग्रह पर पानी होने का अनुमान लगा रहे वैज्ञानिकों को अब इस बारे में स्पष्ट साक्ष्य मिल गया है । नासा के मार्स ऑर्बिटर से गर्मी के दिनों में मंगल की सतह के नीचे नमकीन पानी के प्रवाह का पता चला है । नासा के ग्रह विज्ञान विभाग के निदेशक जिम ग्रीन ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि हमारे अब तक के अनुमानों के विपरीत मंगल कोई सूखा और बंजर ग्रह नहीं है ।

हालांकि, इस पानी के स्रोत और इसकी रासायनिक संरचना का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन इससे मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना को लेकर वैज्ञानिकों में बहस और तेज़ हो जाएगी । वैज्ञानिक अब इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे कि क्या सर्द ग्रह होने के बावजूद मंगल को बसने लायक़ बनाया जा सकता है ? क्या यह सौरमंडल में धरती से सबसे मिलता-जुलता ग्रह है ? नासा के एक दूसरे वैज्ञानिक जॉन ग्रंसफेल्ड ने कहा कि इससे पता चलता है कि मौजूदा समय में भी मंगल जीवन के लिए अनुकूल है ।

मंगल ग्रह पर पानी मिलने से संबंधित शोध पत्र नैचुरल जियोसाइंस जनरल में भी प्रकाशित किया गया है । नेपाली मूल के वैज्ञानिक लुजेंद्र ओझा और उनके सहयोगी शोध कर्ताओं ने यह शोध पत्र लिखा है । एरिजोना विवि के खगोल वैज्ञानिक अल्फ्रेड मैकइवेन ने कहा कि इस खोज से इतना तो स्पष्ट है कि मंगल के वातावरण में पानी की अहम भूमिका है । लाल ग्रह पर जलप्रवाह का पता तब चला जब वैज्ञानिकों ने नयी तकनीक से इसकी सतह के रासायनिक मानचित्र का अध्ययन किया ।

- नासा के अंतरिक्ष यान की मदद से वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह के अध्ययन का नया तरीक़ा निकाला ।
- मंगल के समूचे भूमध्य क्षेत्र में चट्टान की दीवारों पर उन्हें छोटी-छोटी नालियों में नमक के निशान मिले ।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, इस नमक की ख़ासियत है कि इसका निर्माण सिर्फ़ पानी की मौजूदगी में होता है ।
- 2011 में मंगल पर गर्मी में इस तरह की नालियां मिली थीं । पारा गिरने के बाद नालियां ग़ायब हो गयीं ।
- वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आवर्ती ढलानों की धारियों का निर्माण पानी के प्रवाह के कारण हुआ होगा ।

खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले चुंबकीय क्षेत्र के अभाव में मंगल ने अपने वातावरण को खो दिया । अब वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि इस ग्रह का कितना पानी नष्ट हो गया है और क्या भूमिगत जलाशयों में अब भी कुछ पानी बचा हुआ है ?

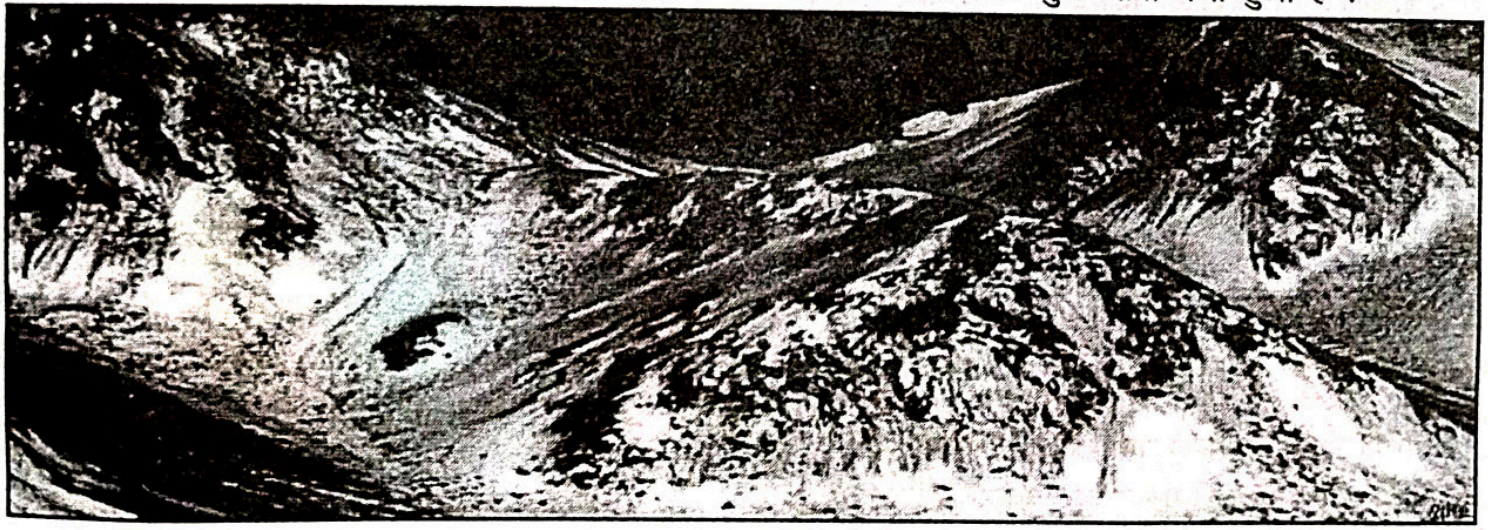

क्या मंगल ग्रह पर जीवन है ?

● संपादन प्रभाग

क्या मंगल ग्रह पर जीवन है ? इसकी खोज में दुनिया भर के वैज्ञानिक सदैव प्रयत्नशील रहे हैं । इस पर अनेक नाविल भी लिखे जा चुके हैं जो पूर्णत: कल्पनाओं पर आधारित हैं । जैसे H. G. Wales की "War of the words"! परंतु यदि NASA (National Aeronotics and Space Administration) के वैज्ञानिक ग़लत नहीं हुए तो मानव इतिहास में यह कल्पना एक सत्य के रूप में सामने आ सकता है । जो इस वैज्ञानिक विश्व के लिए एक नवीन अध्याय का आरंभ होगा । इस समय खगोलशास्त्र (Astronomy) में दो बड़ी खोजें हुई हैं । एक यह कि मंगल पर जीवन और दूसरा आकाशगंगा (Galaxy) में दो अन्य ग्रहों की पहचान ।

दो किलोग्राम का एक उल्कापिंड (Meteorite) मंगल के किसी चट्टान में बना और लगभग एक करोड़ 60 साल पहले इससे अलग हुआ और लगभग 13 हज़ार साल पहले अंटार्कटिका के बर्फ़ीले क्षेत्र में गिर पड़ा । 1984 में ''नेशनल साइंस फाउंडेशन'' के अनुसंधानकर्ता ने इसे वहां से उठाया । एलन हील्स 84001 नाम का यह उल्कापिंड नासा स्टैंडफोर्ड, मैकगिल, कनाडा और जार्जिया यूनीवर्सिटी के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन किया गया । श्री मैके की अध्यक्षता में इस सुनहरे रंग के उल्कापिंड का दो सालों तक रासायनिक, सूक्ष्म और कार्बनिक परीक्षण के बाद निष्कर्ष निकाला गया है कि मंगल ग्रह पर लगभग 3 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले एक कोशिकीय जीवन (Single Celleed Microscopic Creatures) वहां मौजूद था ।

7 अगस्त 1996 के नासा के इस ख़बर ने पूरे विश्व के लोगों और वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित किया और वर्षों से चली आ रही अर्थात ''ज़मीन के अलावा किसी अन्य गृह पर जीवन की तलाश'' अब अपने विकास के पहली मंज़िल पर पहुंच चुकी है । इस ख़बर ने इतना महत्व इसलिए प्राप्त किया, क्योंकि अगर 13 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले मंगल पर एक कोशिकीय जीव विद्यमान थे तो ज़मीन पर इतने ही वर्ष पहले यही अवस्था थी । आज ज़मीन पर करोड़ों प्रकार के प्राणी पाये जाते हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि वहां पर भी इसी प्रकार की विकास प्रक्रिया हुई है । तो वहां किसी प्रकार के प्राणियों ने जन्म लिया है । यदि, हां तो वे कैसे प्राणी हैं । अगर ऐसा नहीं तो क्यों ?

यह तथ्य स्पष्ट रहे कि मंगल पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है, जो पृथ्वी से 54.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है । पृथ्वी और मंगल में अनेक विशेषताएं समान हैं, जैसे पृथ्वी की तरह यहां भी मौसम का होना और पृथ्वी ही की तरह मंगल का भी अपने ध्रुव पर घूमना । यहां के दिन का तापमान 20^0C और रात का तापमान $(-50)^0$C होता है । मंगल के दो उपग्रह फाबोस (Phabos) तथा डिमोस (Demos) हैं । USA ने सर्वप्रथम 1976 में ''वाइकिंग स्पेस क्राफ्ट'' मंगल पर उतारा था । वहां से प्राप्त डाटा के अनुसार कोई भी ऐसा प्रमाण न मिल पाया था कि वहां किसी प्रकार का जीवन कभी विद्यमान रहा होगा ।

अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नासा के वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए यह घोषणा की कि इस खोज पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए आगामी नवम्बर में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ताकि मंगल ग्रह के लिए Robust Exploration Programme को सफल बनाया जा सके । वहीं दूसरी ओर ''नासा'' के अध्यक्ष डेनियल गोल्डिन ने दुनिया के सारे वैज्ञानिकों को ''नासा'' के साथ काम करने के लिए सुझाव और सहयोग देने का आग्रह किया है । इसी सिलसिले में अमेरिका के दो Space Craft लेंडर और आराबट इस साल मंगल पर भेजे जाएंगे । और प्रत्येक दो साल पर एक एयरक्राफ्ट भेजने की दस वर्षीय योजना है । इस वर्ष रूस भी Mars'96 मंगल पर लांच करेगा । जापान ने भी यह एलान किया है कि अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट की वापसी के बाद वह भी अपना मिशन शुरू करेगा ।

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबंधित है ।



With Best Compliments from :

MAKING THE [EXTRA] ORDINARY

LIS (INDIA) CONSTRUCTION CO. PVT. LTD.

BUILDERS & DEVELOPERS

Regd. office: A/2, Swati Apartment, Juhu Lane, Andheri (W), Mumbai - 400 058
Ph.: 2625 5702-34 Fax: 262 88474 Email: lis.co.in.@gmail.com

Posted on 20-21 October 2015
November 2015
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.10.2015
Total Pages-116 (With Covers)

कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2015-2017
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2015-2017

और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल॰) की आज्ञा का पालन करे और अल्लाह से डरे और उसकी सीमाओं का ख़्याल रखे, तो ऐसे ही लोग सफल हैं।
(क़ुरआन, 24:52)

Best compliments from :
PROP. AZIZUR RAHMAN

City Makers



फ़्लैट एवं मकान ख़रीदने के लिए

Tel. : 22851438
22045328

Contact :
City Maker Builder Pvt. Ltd.
6/D, Metro House, Near Regal Cinema,
Kolaba, Mumbai-400001 (Maharashtra)